खण्ड-262, अंक-10
सोमवार, 25 माघ, शक संवत् 1887
(14 फरवरी, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १४ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गणेशीलाल चौधरी, श्री
गय प्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमालाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप ारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शशंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर

सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वित्तमंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १४ फरवरी, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, फतेहगढ़ की इमारत

**१—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के राजकीय कन्या इंटर कालेज की पूरी इमारत एक लम्बे अर्से से इतनी अधिक खराब है जिसके कारण छात्राओं को बठने के लिये स्थान नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए तुरन्त क्या-क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

जी हां ।

कुछ अतिरिक्त कमरों तथा भवन की व्यवस्था की जा चुकी है ।

*२—श्री महरामसिंह तथा श्री सूबेदारसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ राजकीय कन्या इण्टर कालेज के नवीन भवन बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा धन स्वीकृत है ? यदि हां, तो धन कब और कितना स्वीकृत किया गया, फिर भी भवन अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां ।

जुलाई, १९६१ में ४ लाख रुपये ।

उपर्युक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इमारत बालिकाओं के बैठने के लायक नहीं रह गई है वह सरकार की है या किराये पर ली हुई है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वह स्थान क्रय कर लिया जायगा और अब उस पर स्कूल बनेगा ।

महंगाई भत्ता के संबंध में दिल्ली वार्ता

*३--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार बतायेगी कि २ फरवरी, १९६६ को दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने सम्बन्धी बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ने क्या सुझाव दिये और उक्त बैठक में प्रदेशीय कर्मचारियों के लिये इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

इस विषय में प्रदेश प्रतिनिधियों की केन्द्रीय वित्त मंत्री से हुई वार्ता गोपनीय है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस बैठक के बाद पत्र संवाददाताओं को मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया और उसका सारांश सब समाचार पत्रों में छपा है तो माननीय मंत्री जी किस प्रकार कहते हैं कि यह सूचना गोपनीय है ।

श्री जयराम वर्मा--

जो बातें अखबारों में आ गई हैं वे माननीय सदस्यों की जानकारी में होंगी । उसके अलावा सब गोपनीय हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

केन्द्रीय मंत्री जी ने प्रेस प्रतिनिधियों को वक्तव्य दिया है इस बैठक के बारे में क्या माननीय मंत्री उसकी मोटी-मोटी बात इस सदन को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--

माननीय सदस्यों ने अखबारों में देख ही लिया होगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के प्रतिनिधियों का आश्वासन है कि वह उस दर पर महंगाई भत्ता जिस दर पर केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का बढ़ाया है बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, मैंने बताया कि यह गोपनीय है तो मैं कैसे बता दूं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, बातें गोपनीय हो सकती है लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

कोई निर्णय लिये गये हों तो बता दीजिये ।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, वित्त मंत्री भारत सरकार ने निर्णय जरूर लिये हैं और हमारे प्रतिनिधियों से क्या बात हुई, यह सब गोपनीय है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, आप हमारी कुछ मदद कीजिये। इस संबंध में जो निर्णय लिये गये हैं उनका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है तो मंत्री जी वह बतायें कि क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह यह प्रश्न कर रहे हैं कि उक्त बैठक में प्रदेशीय कर्मचारियों के लिये क्या निर्णय लिये गये हैं । वह इतने भाग का उत्तर चाहते हैं । क्या वह गोपनीय है या आप बता रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां, गोपनीय हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है और बराबर उनका बढ़ता रहता है, इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि उसी हिसाब से प्रदेशीय कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ा दिया जाये ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, वेतन अभिलेखीकरण समिति की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि जब केन्द्रीय सरकार महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों का बढ़ाये तो इस सरकार को भी उस पर विचार करना चाहिये । हम यह कहते हैं कि जब ऐसा मौका आयेगा तो हम अपने फंडस को देखते हुये विचार करेंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिस प्रकार से महंगाई सूचकांक बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो क्या सरकार वही प्रणाली जो केन्द्र में अपनाई गई है अपने कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये अपनाने की सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि वह परिस्थितियों को देखकर उसी का अनुसरण करते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, वह रिपोर्ट तो कैबिनेट द्वारा स्वीकृत हो चुकी है तो अब उसमें उलट पलट क्या है और क्या उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

वह तो बताया कि वह रिपोर्ट सिद्धान्त के रूप में सामान्यतया स्वीकार कर ली गई है। जहां तक इसका प्रश्न है सरकार यह कहती है कि जब ऐसा मौका आयेगा तब अपने रिसोर्सेज देखत हुए विचार करेगी ।

श्री चन्द्रबली सिंह---

चूंकि सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार, उसके अनुपात में महंगाई भत्ता नहीं दे रही है, तो क्या सरकार को कोई ऐसी आशंका है कि सरकारी कर्मचारी यह कहने लगें कि जैसा पैसा वैसा काम, ऐसी स्थिति पैदा हो जाये ?

श्री जयराम वर्मा---

हमारे कर्मचारी तो यह समझते हैं कि जब हमारे पास पैसा केन्द्र के बराबर है ही नहीं तो हम उन्हें कहां से दें, हम अपनी यथाशक्ति आर्थिक साधनों को देखते हुये उन्हें देते हैं, इसलिये इस प्रकार का असन्तोष उनमें पैदा हो जाने की हमको आशंका ही नहीं है।

लखनऊ में चोरी के अभियोग में कान्स्टेबिल

**४---कुंवर श्री पालसिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि फरवरी, १९६६ के प्रथम सप्ताह में चाइना गेट चौकी, लखनऊ के दो पुलिस के सिपाहियों को चोरी के अभियोग में पकड़ा गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

जी हां, पूर्ण विवरण संलग्न है ।

(देखिये परिशिष्ट 'क' आगे पृष्ठ ८८७ पर)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस को चोरी में पकड़ा गया, जब कि उनका काम चोरी को रोकना है इसका असर पूरे प्रदेश की पुलिस पर, जनता पर और अधिकारियों पर बड़ा बुरा पड़ेगा । यदि यह सत्य है और इसे मंत्री जी मानते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस मंत्री ने पूरे प्रदेश में क्या कदम उठाये हैं या उठाने जा रहें है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जो दंड विधान है, उसके मुताबिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

पुलिस के द्वारा चोरी की घटना को एक गम्भीर प्रश्न मानकर, क्या माननीय मंत्री जी उसकी तफतीश की कार्यवाही को किसी अन्य विभाग के विजिलेंस, डी० आई० जी० या सी० आ ई० डी० के हाथ में देने की कृपा करेंगे ताकि तफतीश में गड़बड़ी न हो सके और वह छूटने की स्थिति में न हो सकें ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह जो पुलिस वाले पकड़े गये यह टैंटेंटिव अफेन्स है,वो पकड़े गये, चालान कर दिया गया और आगे की कार्यवाही हो रही है ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)---

यह जो दो सिपाही चोरी करते पकड़े गये, वे ड्यूटी पर थे ? उनको पुलिस ने पकड़ा या जनता के लोगों ने पकड़ा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह तो मैं नहीं बता सकता कि वह ड्यूटी पर थे या नहीं। किन्तु उनमें से एक वर्दी में था और एक बिना वर्दी के था। उनको पुलिस के आदमियों ने पकड़ा, तलाशी ली और उनको उन्होंने जेल भेज दिया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मंत्री जी ने दंडविधान के अनुसार कार्यवाही की बात कही। यह तो साधारण व्यक्ति जो इस प्रकार का अपराध करता है, उसके लिये लागू होता है, लेकिन ऐसी सर्विसेज में, जिनके द्वारा ही दंड विधान का प्राविधान किया जाता है, जो हमारी रखवाली करते हैं, उनके द्वारा नित्य प्रति ही ऐसी घटनायें हों तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा मंत्री जी से कि इन बातों को ध्यान में रख कर कोई कमेटी द्वारा इस बात का पता लगाया जाये कि उनके द्वारा इस प्रकार के अपराध क्यों किये गये हैं?

श्री अध्यक्ष—

आपका सुझाव यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुलिस द्वारा जो अत्याचार होते हैं, दंड विधान द्वारा विहित कार्यवाहियां उनका पूर्णतया समाधान नहीं कर पातीं तो क्या सरकार कोई ऐसी कमेटी बनायेगी जिस से उनको इसके अतिरिक्त भी दंड दिया जा सके, यही आपका मतलब है न?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जी हां।

श्री हरगोविन्दसिंह—

उसके अलावा पुलिस रेगुलेशन भी हैं जिसके अन्तर्गत दंड विधान के अलावा भी कार्यवाही होती है।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जो लोग पकड़े गये हैं क्या वे मुअत्तल हैं या कार्य में लगे हुये हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर दिया कि वे दोनों जेल में हैं।

श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रोज सैकड़ों की तादाद में जिलों में कांस्टिबिलों द्वारा किये गये अत्याचारों के विवरण आते हैं और चूंकि वे लोग पुलिस विभाग में होते हैं इसलिये व्यापक जांच उनके खिलाफ संभव नहीं होती। क्या पुलिस के अन्दर के इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ कोई कमेटी हाई पुलिस आफिशियल्स की बनावेंगे जो उनकी स्क्रूटिनी करके कार्यवाही करने की कृपा करे?

श्री हरगोविन्द सिंह—

ऐसा कोई विचार इस समय तो नहीं है।

आगरा जिले में सरकारी वकील

**५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में सरकारी वकील का स्थान गत ६ माह से रिक्त पड़ा है? यदि हां, तो अब तक नियुक्त न करने का क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा---

जी हां। फिलहाल सहायक सरकारी वकील (फौजदारी) को जिला सरकारी वकील (फौजदारी) का भी काम करने का आदेश किया गया है।

नियुक्ति उम्मीदवारों के प्रार्थना पत्र तथा जिलाधिकारियों की संस्तुतियां न मिलने के कारण न हो सकी। सिफारिशें शीघ्र भेजने तथा देर का कारण बताने के लिये जिलाधीश आगरा को बराबर लिखा जा रहा है।

श्री बालोजी अग्रवाल---

जिलाधीश ने बारबार लिखने पर भी अब तक क्यों नहीं संस्तुतियां भेजी हैं और यदि वह नहीं भेजते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री जयराम वर्मा---

जिलाधीश की सिफारिश न आने के कारण नियुक्ति नहीं हुई उनके खिलाफ क्या हो, इसके लिये चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया गया है।

श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या यह सही है कि जिलाधीश ने ३ नाम भेजे हैं लेकिन उन पर प्रभावशाली लोगों द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि दूसरे नाम भेजें ?

श्री जयराम वर्मा---

इसकी जानकारी नहीं है।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

मेरी सूचना है कि जिलाधीश और जिला जज ने एक बार नाम सरकार के पास भेजे और क्या उसके बाद यहां से कुछ कारणों से दोबारा फाइल वापिस की गई है ?

श्री जयराम वर्मा---

हमारे पास यह सूचना है कि उन्होंने कोई सिफारिश नहीं भेजी।

श्री छत्रपति अम्बेश---

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर पता करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---

मिसिल को देख लिया जायगा कि कौन-सी बात सही है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

यह स्थान कब रिक्त हुआ और सरकार ने सबसे पहले कब जिलाधीश से नाम भेजने का आग्रह किया और जो जी० जी० सी० आफिशियेट कर रहे हैं क्या वह सीनियर मोस्ट आदमी है ?

श्री जयराम वर्मा---

मई ६५ में रिक्त हुआ और तभी जिलाधीश को लिखा गया।

शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर विचार

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

**६---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने स्थानीय निकायों के अध्यापकों की भांति शहरी, स्थानीय निकायों के अन्य कर्मचारियों को भी २० रुपये प्रतिमास की वेतन या भत्ते में अतिरिक्त वृद्धि की है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक करने जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

प्रथम भाग—

जी नहीं ।

द्वितीय भाग—

प्रश्न विचाराधीन है । कोई समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

१० अगस्त, सन् १९६४ को सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति स्थापित की जायगी, जिसे एमर्जेन्सी के कारण स्थगित कर दिया गया, और अब केन्द्रीय और स्टेट गवर्नमेंट्स के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता या वेतन बढ़ रहे हैं, तो उनको इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य ने स्वयं ही कहा कि एमर्जेन्सी के कारण स्थगित कर दिया गया । चूंकि एमर्जेन्सी में धन की आवश्यकता है दूसरे कार्यों के लिये अधिक होती है, इसलिये फिलहाल स्थगित किया गया है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

केवल स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये क्यों स्थगित किया गया जब कि सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति देख कर इन्टेरियम सहायता पर सरकार अलग से विचार कर रही है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिला परिषदों के कर्मचारियों को कोई भत्ता न देने का क्या कारण है जैसे अध्यापकों को २० रुपया दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिला परिषद् तो लोकल बाडीज से अलग कर दिये गये हैं । इसलिये इसका उत्तर देना मेरे लिये उचित नहीं है ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

टाउन एरिया, कोड़ा जहानाबाद के चेयरमैन, श्री राशिद हुसैन की नजरबन्दी

*१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री दीपनारायण सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि फतेहपुर जिलान्तर्गत टाउन एरिया कमेटी, कोड़ा जहानाबाद के चेयरमैन श्री राशिद हुसैन उर्फ हसन मियां, फतेहपुर जिला जेल में पर्याप्त समय से नजरबन्द हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वे नजरबन्द थे। अब नहीं हैं ।

*२—श्री रामकिशोर वर्मा तथा श्री दीपनारायणसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि जब से इस बार पिछले वर्ष टाउन एरिया कमेटी कोड़ा जहानाबाद, जिला फतेहपुर के चेयरमैन एवं सदस्यों का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कब तक हो सकेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

कारण यह है कि इस सम्बन्ध में कई बार कमेटी द्वारा एजेन्डा निकाला गया पर सदस्यों में मतभेद होने के कारण सफलता नहीं मिली। इस दिशा में पुनः प्रयत्न किया जा रहा है, यदि सदस्यगण चाहेंगे तो चुनाव हो जावेगा।

*३—श्री रामकिशोर वर्मा तथा श्री दीपनारायणसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह भी पता है कि चेयरमैन के जेल में बन्द हो जाने एवं उपाध्यक्ष का चुनाव न हो पाने से टाउन एरिया का कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है और आय के समस्त स्रोत बन्द हो जाने से रोशनी सफाई का भी प्रबन्ध नहीं है। इसे ठीक कराने के लिये क्या तात्कालिक प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। अब सारा कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

गुलाब

*४—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय जड़ी-बूटी उत्पादन संस्था द्वारा प्रदेश में गुलाब के फूल पर आधारित सुगन्ध उद्योग की गिरती हुई दशा को सुधारने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

जड़ी-बूटी विकास समिति द्वारा उत्तर प्रदेश में गुलाब के फूल पर आधारित सुगन्ध उद्योग सुधारने की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

झांसी में भूमि-भवन-कर सम्बन्धी अपीलें

*५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि जिलाधीश झांसी के यहां इस आशय की अनेक शिकायतें मार्च सन्, १९६४ से अक्तूबर, सन् १९६५ तक जनता द्वारा लिखित की गई है कि वहां भूमि-भवन कर अधिकारियों द्वारा १० रुपया प्रति माह के किराये के मकानों या दूकानों पर भी लगा दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

शिकायतें तो कोई प्राप्त नहीं हुई परन्तु ३७ अपीलें जरूर दायर की गई जिनमें से ३४ मंजूर कर दी गई और ३ खारिज कर दी गयीं।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन ३४ स्वीकार होने वाली अपीलों में मुख्य मुख्य आरोप क्या थे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो ३४ स्वीकार की गयी हैं उनका आशय यह नहीं है कि आरोप सिद्ध हुये बल्कि जिस समय असेसमेंट हुआ था, उस समय करदाताओं को अपील करने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने समय के अन्दर अपीलें कीं और मौके पर जाकर अधिकारियों ने उनको उचित पा ।, इसलिये स्वीकार की गयीं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

नियमों के अनुसार आप १० प्रतिशत पर भूमि-भवन कर नहीं लगा सकते। लेकिन झांसी में यह १० प्रतिशत से कम पर लगाया गया है। यदि यह सत्य है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी जिन्होंने सरकारी आदेशों के विरुद्ध कार्यवाही की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिस समय भूमि-भवन-कर लगाया गया था, उस वक्त सरकार के पास कोई स्टाफ नहीं था जो असेसमेंट करने का काम करता। इसलिये स्थानीय निकायों में जो जल कर और गृह कर आरोपित था, उसी आधार पर भूमि भवन कर आरोपित किया गया।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड के रजिस्ट्रारों में कर कम था लेकिन यहां पर भूमि भवन कर अधिक लगा दिया गया। क्या इस प्रकार की शिकायतें जिलाधीश के पास आयीं और वे स्वीकार की गयीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिलाधीश के उत्तर में यह है कि इस प्रकार की शिकायतें कोई नहीं आयीं, अपीलें आयीं।

[१४ फरवरी, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खरीफ उत्पादन

*१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में इस वर्ष खरीफ का कुल कितना उत्पादन हुआ और गत तीन वर्षों की अपेक्षा कितना कम या अधिक है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वर्ष १९६५-६६ खरीफ की सब फसलों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। जो आंकड़ें उपलब्ध हैं वह अभी तक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित न होने के कारण गोपनीय हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न है कि अपेक्षाकृत कितना कम या ज्यादा होगा, सरकार के पास इसके आंकड़े होंगे, क्या सरकार कृपया यह बतायेगी ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

पिछले वर्ष से कम होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष खरीफ के उत्पादन का लक्ष्य क्या था ? इस लक्ष्य के अनुसार कितना कम या ज्यादा होगा ?

श्री गेंदासिंह—

इसके लिये सूचना चाहिये लेकिन इतना निश्चित है कि पिछले वर्ष से भी कम होगा और जितना लक्ष्य था उससे भी कम होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले वर्षों के मुकाबले में किसी जायदा धरती में गेहूं और चने की फसल उगायी गई ?

श्री गेंदासिंह—

प्रश्न खरीफ के सम्बन्ध में पूछा गया था, अगर रबी के सम्बन्ध में प्रश्न होता तो बताना संभव होता ।

अनाज की खपत

*२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने गल्ले की आवश्यकता गत तीन वर्षों में पड़ी थी और इस वर्ष इसका अनुमान मार्च तक क्या है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

पिछले तीन वर्षों में तथा इस वर्ष खाद्यान्नों की उपलब्धता के अनुसार गल्ले का वितरण आवश्यकतानुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया परन्तु माननीय सदस्य का तात्पर्य सम्भवतः खाद्यान्न की उस मात्रा से है जिसकी आवश्यकता पूरी जन संख्या के लिये है । १६ औंस प्रति यूनिट प्रति दिन के हिसाब से अनुमानित वयस्क जन-संख्या के लिये कुल खाद्यान्न (बालों को छोड़कर) की आवश्यकता निम्न प्रकार है ।

(आंकड़े लाख टनों में)

१९६२–६३	..	..	..	..	१०६.७६
१९६३–६४	..	..	..	..	१०९.१४
१९६४–६५	..	..	..	..	१११.५८
१९६५–६६	..	..	..	..	११४.०८

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सन् ६२–६३ और ६५–६६ के बीच में ८ लाख टन के खर्च की बढ़ोत्तरी हुई है तो बढ़ती हुई आबादी के अनुमान के हिसाब से कितना अधिक है और कितनी कमी है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इसके लिये तो कलम दावात लेकर हिसाब के लिये बैठना पड़ेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो यह ८ लाख टन की बढ़ोत्तरी किस आधार पर हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह १६ औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगाया है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

सन् ६५–६६ का जो यह ११४ लाख टन का मानक है उसमें प्रदेश की पैदावार कितनी है और सरकार को कितना आयात करना होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

६५-६६ का अनुमान है कि खरीफ में ५० लाख टन और रबी में ७५ लाख टन होगा और आवश्यकता १२५ लाख टन की होगी और हमारा अन्दाजा है कि इसमें १२ लाख टन की कमी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा २० लाख टन तक की हो सकती है ।

१९५० के बाद की इमारतों को रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट में लेने की प्रार्थना

*३—श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) अनुपस्थित—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिससे रेंट कन्ट्रोल एन्ड एविक्शन ऐक्ट उन इमारतों पर भी लागू किया जा सके जो १९५० के बाद बन कर तैयार हुई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उत्तर देना सार्वजनिक हित में न होगा ।

*४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५-६—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

नगरपालिकाओं के अधिशासी पदों का प्रान्तीयकरण

*७—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारी पदों का वह प्रान्तीयकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रान्तीयकरण की रूपरेखा तैयार की जा रही थी इसी बीच में अन्य मामलों के साथ यह मामला भी सेन्ट्रल काउन्सिल आफ एल० एस० जी० की कार्यकारिणी समिति के सन्मुख विचारार्थ जून, १९६५ में प्रस्तुत हुआ जिस पर कार्यकारिणी ने इस विषय को एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया है । उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस विषय में आगे कार्यवाही की जावेगी ।

श्री सुखलाल (इटावा)—

यह मामला सरकार के बिचाराधीन कब से है और कब तक कार्यकारिणी की रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जून, १९६५ में यह रिपोर्ट कार्यकारिणी के सुपुर्द की गयी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ५ महीने में रिपोर्ट आ जायगी किन्तु अभी तक रिपोर्ट नहीं आयी है और इसलिये ७ जनवरी, को पुनः केन्द्रीय सरकार को उसकी याद दिलाई गयी है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रान्तीयकरण के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अगर प्रदेशीय सरकार इस पक्ष में न होती तो यह मामला केन्द्रीय कार्यकारिणी में आता ही कैसे ।

जालौन जिले में रबी के बीज का वितरण

*८—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रबी की लेट फसल बोने के लिये जालौन जिले में गेहूं का कौन सा बीज और कौन-कौन से कृषि बीज गोदामों पर माह अक्तूबर, १९६५ में कितना कितना उपलब्ध था ?

*९—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त जिले को १९६५ के० ६८ गेहूं का बीज कितना वितरण हेतु दिया गया था और कितना कितना माह सितम्बर व अक्तूबर, १९६५ में बांटा गया और अभी कितना शेष है उसका क्या किया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कृषि बीज भंडारों पर अक्तूबर, १९६५ में रबी की लेट बोआई के लिये के० ६८ गेहूं का बीज निम्नलिखित मात्रा में उपलब्ध था ;

बीज भंडार का नाम	बीज की मात्रा (क्विंटल में)
कुठोन्द	५.७४.५००
उरई	१८.८८.०००
जखौली	४.७९.५००
कदौरा	४.९६.५००
रामपुरा	३.८६.५००
कालपी	५.००.०००
नदी गांव	६.००.०००
माधौगढ़	४.८१.५००
योग ..	५४.०६.५००

उक्त बीज का वितरण अक्तूबर, १९६५ में कर दिया गया। शेष कुछ नहीं बचा। अतः उसके वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम—

इस साल शुगर फैक्टरी एक महीना देर से चलवाई गई और गन्ने की उन जड़ों को निकलवाकर गेहूं की लेट वैराइटी उसमें बोई गई। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि शुगर फैक्टरी को इस साल जल्दी क्यों नहीं चलवाया गया और गेहूं की लेट वैराइटी को उसमें क्यों नहीं बोवाया गया ?

श्री गेंदासिंह—

यह सवाल जालौन जिले से संबंध रखता है। जालौन जिले में कोई गन्ने की मिल भी नहीं है। इसलिये यह सवाल इससे संबंध नहीं रखता है।

*१०–११—श्री रामकिशोर वर्मा—

[केन्द्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण हटा दिये गये।]

*१२–१३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

चकिया तहसील में वन विभाग द्वारा लगान वसूली की शिकायत

*१४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव चिकनी के भूमि नं० २० रग्घू नं० २२, रामदास नं० ५, मूखल नं० ९, १० राम सूरत नं० ८०, रामधनी नं० २६, २८ रामनाथ नं० १८, १९ बैजनाथ नं० ३५, ३६, ३७, ३८, फेक्कू, नं० ३१/२ ४० रामधारी नं० ३१/१ व ३२/२ चिलई जो काश्तकार तालुका नवगढ़ तहसील चकिया, जिला वाराणसी है उनसे वन विभाग क्यों लगान वसूल करता है जब कि लगान की वसूली माल विभाग को करनी चाहिये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रश्न में उल्लिखित खसरा प्लाट नम्बरान, महिला ब्लाक के सुरक्षित वन की सीमा के अन्तर्गत हैं। वन विभाग द्वारा प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी से लगान नहीं लिया जा रहा है।

श्री ऊदल—

उन्होंने जो उत्तर में कहा है कि सुरक्षित वन की सीमा के अन्तर्गत है तो क्या वह इन नम्बरों के काश्तकार हैं या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यहां जो नाम दिये हैं उन्होंने अनधिकृत रूप से वन भूमि को जोता है और उनकी बेदखली की कार्यवाही हो रही है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी पुनः इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा नहीं किया है बल्कि वह उस भूमि के काश्तकार हैं और सेटिलमेन्ट आफिसर ने उनके पक्ष में फैसला किया है और क्या उनका जजमेन्ट देखकर इसको देखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि राजकीय विज्ञप्ति संख्या ७४२५/१४ दिनांक २० सितम्बर, को उक्त भूमि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत सुरक्षित कर दी गयी है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि उन किसानों की वह भूमि है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है कि जिन नम्बरों का जिक्र मैंने किया है उनका नाम कागजों में भी दर्ज है और आप कह रहे हैं कि उन्हें बेदखल किया जा रहा है। सैटिलमेन्ट आफिसर का जो फैसला हुआ है वह भी इन काश्तकारों के पक्ष में है पर उसके बाद भी जंगल विभाग खुद लगान वसूल करता है ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री ऊदल से) आपका मतलब यह है कि जो नम्बर हैं, वे वन विभाग के अन्तर्गत नहीं आते हैं और वन विभाग नाजायज तरीके से लगान वसूल करता है। मंत्री से उनका मतलब यह है कि जिन नम्बरों का उल्लेख किया गया है क्या उनका लगान आप वसूल कर रहे हैं यद्यपि वे नम्बर सुरक्षित नहीं हैं।

श्री बल्देवसिंह आर्य—

जिन नम्बरों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वे नम्बर उन काश्तकारों के अपने नहीं हैं। यह वन भूमि है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी, यदि उनके पास जजमेन्ट की प्रतिलिपि भेज दी जाय, तो वे इस पर विचार करेंगे कि लगान की वसूली माल विभाग ही करें ?

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में आप यह पूछ सकते हैं कि किस तारीख को जजमेन्ट हुआ। संभव है कि उनकी सूचना उस जजमेन्ट के पहले की हो। तो जजमेन्ट की तारीख आप बता दें ?

श्री ऊदल—

मैं जानना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी के पास फैसले की प्रतिलिपि उनके पास भेज दी जाय तो क्या वे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जब आप दिखलायेंगे, उसके बाद यह प्रश्न उठेगा। जजमेन्ट हो गया तो साफ हो जायगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो ऐसे किसान सरकार को लगान नहीं देते, इससे सरकार को काश्तकार से लगान नहीं मिलता, यह भी नुकसान होता है दूसरे सरकार का यह भी ध्येय है कि अन्न के उत्पादन के कारण कोई जमीन खाली न रहे। तो क्या जंगल विभाग की जो जमीन है और जब तक उसे जंगल विभाग नहीं लेता है, तब तक के लिये काश्तकारों को वह जमीन पट्टे पर क्यों नहीं दे देती ताकि सरकार को घाटा न उठाना पड़े ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वन भूमि को दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह तो अनधिकृत रूप से काबिज किए हुए हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, वन विभाग के सिलसिले में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे जिले में ३८ मजरे हैं जो वहां पर गंगा नदी के पेटे में आते हैं। वहां पर वन विभाग ने कोई पेड़ नहीं लगाये हैं और वहां पर हजारों एकड़ भूमि फर्जी वन विभाग में इन्दराज है। सैकड़ों काश्तकार आज बेदखल हो रहे हैं तो क्या यह वन विभाग बेदखली बन्द करने के पक्ष में हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय भीखालाल जी के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कि अन्न का अधिक उत्पादन हो तो क्या वन विभाग उन क्षेत्रों को जिनके ऊपर वृक्ष नहीं लगाए गए हैं या परती पड़े हुए हैं उनको अस्थाई रूप से जोतने के लिये काश्तकारों को देंगे।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है।

श्री श्रीराम—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। क्या मंत्री जी जब वन के उप मंत्री नहीं थे और ऐसी जमीनों को कृषकों को देने के लिये जो वन विभाग में अब शामिल हो गई है एक कमेटी बनी थी जिसमें वह चेयरमैन थे और जिस पर ८० हजार रु० भी खर्च हुआ इसलिये कि वह जमीन भूमिहीनों को दी जायें। तो क्या मंत्री जी उन भूमियों को जो वन विभाग में शामिल हो गई हैं जो उनकी नोटिस में हैं उन भूमियों को भूमिहीनों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं जो खाली जमीनें हैं उनमें सरकार वनीकरण कर रही है। इसलिये कृषि के काम के लिये देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ)—

क्या मंत्री जी दोनों तरफ से जो प्रश्न किए गये उनको ध्यान में रखते हुए स्वयं या हाउस की एक कमेटी से सारे मामलों की जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने अर्ज किया कि उसका बाकायदा गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। आप अगर चाहें तो गजट नोटिफिकेशन को देख लें और उसको देख करके फिर आप अगर कोई बात कहेंगे तो उस पर कार्यबाही की जायगी।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ का जो नोटिफिकेशन जिसका जिक्र मंत्री जी कर रहे हैं, उससे पहले काश्तकार जमीन पर काबिज थे या नहीं और उससे पहले यह जमीन कैसी थी, वन विभाग की थी या काश्तकारों की, क्या इसकी जानकारी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल—

इसका जवाब क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

उसमें तो फैसला हो चुका है। वह फैसला आपको दिखला देना है।

श्री ऊदल—

जंगल वाले लगान ले रहे हैं, रसीद मैंने देखी है।

*१५—श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१६—श्री ऊदल—

[३सरे बुधवार के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

*१७-१८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[४ थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

केन्द्र से प्राप्त अन्न

*१९—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ४ मास (सितम्बर, १९६५) में केन्द्र से प्रतिमास के हिसाब से कुल कितना अन्न प्रदेश को प्राप्त हुआ है ?

*२०—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रतिमास कितना अन्न देने का वचन केन्द्र ने दिया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८८८ पर)

*२१-२२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सुपरिन्टेंडेंट फ्रूट यूटिलाइजेशन

*२३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस-किस जिले में सुपरिन्टेन्डेंट फ्रूट यूटिलाइजेशन की जगह हैं और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन जगहों पर कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं और किस-किस जगह से तरक्की पाकर आये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में सुपरिन्टेन्डेन्ट फ्रूट यूटीलाइजेशन की जगह नहीं है, अतः इन स्थानों पर कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं तथा किस जगह से तरक्की पाकर आये हैं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन

*२४—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन कितने १२० से २५० तथा कितने ७५-५-१२० में कार्य कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

१२० सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) १२०-२५० में तथा २०२ अधिकारी ७५-५-१२० के वेतन क्रम में कार्य कर रहे हैं।

*२५—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि सरकार में कोई परिपत्र भेज कर कहा है कि दो वर्ष कार्य करने के बाद ७५-५-१२० वालों में से चुनाव कर के १२० के वेतन-क्रम में कर दिया जायगा यदि हां, तो वह कब से लागू किया जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुखदेव प्रसाद---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अधिकारी ७५-५-१२० के ग्रेड में काम कर रहे हैं उनका और वे अधिकारी जो १२०-२५० के ग्रेड में हैं उनका काम एक समान है और दोनों की योग्यता एक ही है? यदि हां, तो क्या सरकार उन को समान वेतन देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गेंदासिंह---

दोनों की योग्यता में अन्तर है और पहले भी इस योग्यता को ही ध्यान में रख कर यह वेतन निर्धारित किया गया था ? यदि नीचे वाले यही योग्यता प्राप्त कर लें तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

श्री जगन्नाथ राव---

उन की योग्यता भिन्न है, परन्तु कार्य समान है, इस बात को ध्यान में रख कर क्या सरकार उनका वेतन समान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री गेंदासिंह---

इस पर विचार किया गया था, किन्तु इस समय ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है कि उनका वेतन समान कर दिया जाय ।

मोहम्मदी तथा सीतापुर नगरपालिकाओं का चुनाव

*२६---श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६५ में मोहम्मदी तथा सीतापुर नगरपालिकाओं के आम चुनाव किस तिथि को स्थगित किये गये तथा चुनाव कब होने वाले थे तथा स्थगित करने का उद्देश्य क्या था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मोहम्मदी तथा सीतापुर नगरपालिकाओं के आम चुनाव दिनांक १५ नवम्बर, १९६५ को स्थगित किये गये । उक्त नगरपालिका का निर्वाचन २१ नवम्बर, १९६५ को होना था। देश में आपातिक स्थिति होने के कारण उक्त निर्वाचनों को जनहित के लिये स्थगित करना उचित समझा गया ।

श्री शारदानन्द---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिस्थिति को देखते हुये निकट भविष्य में इन चुनावों को कब कराने पर वह विचार कर रहे ह ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिन स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के चुनाव हो सकते हैं। उसके लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं ।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा में अध्यापकों को पारिश्रमिक न मिलना तथा चुंगी चौकी पर मारपीट

१---श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगरपालिका की पाठशालाओं के जिन अध्यापकों ने सन् १९६२-६३ में सस्ते गल्ले के राशन कार्ड बनाये और मकानों पर नम्बर डाले थे उन्हें उस कार्य का पारिश्रमिक दिया गया या नहीं और नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं। क्योंकि सन् ६२-६३ में इस कार्य के लिये जो धनराशि की स्वीकृति दी गई वह समयाभाव के कारण लैप्स हो गई। इसके पश्चात् सन् ६३-६४ में पुनः स्वीकृति दी गई पर जिला मैजिस्ट्रेट के कथनानुसार उस आदेश की प्रतिलिपि जिले में नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार वह वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो गया और अध्यापकों को पैसे का भुगतान नहीं किया जा सका। अब वित्त विभाग से पुनः अनुरोध किया जा रहा है कि इस पैसे के भुगतान हेतु आवश्यक स्वीकृति पुनः प्रदान करें।

२---श्री केदारनाथ भार्गव---

क्या सरकार को ज्ञात है कि मथुरा नगरपालिका की चुंगी चौकी बाग चैनसुख पर कुछ व्यक्तियों ने १५ अगस्त, १९६५ की रात को यात्री कर मांगने पर हुल्लड़ किया और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर टैक्स वसूली की रसीद बुक उठाकर ले गये? क्या इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में हुई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपलानी---

जी हां। उक्त घटना की जांच अभी तक जारी है।

३---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

४---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

[प्रश्नकर्त्ता ने स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६, जो विधान सभा द्वारा ४ फरवरी, १९६६ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के पारित होने के उपरान्त ८ फरवरी, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा श्री रामायण राय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय राम सुन्दर पांडेय ने उठाया है। वह माननीय रामायणराय जी के विरुद्ध है। इन्होंने परसों किसी विषय पर कहा कि माननीय रामसुन्दर जी असत्य बात कह रहे हैं। माननीय रामसुन्दर ने इस पर कहा था कि श्री रामायणराय भ्रमवश ऐसी बात कह रहे हैं। (श्री रामायण राय से) आप को क्या कहना है?

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, उस समय जो पीठासीन माननीय सदस्य थे, उन से भी मैंने यह जानना चाहा था कि आप ने क्या सुना। मेरी मंशा केवल इतनी थी कि बात स्पष्ट हो जाय। मेरी माननीय रामसुन्दर जी से कोई बात नहीं हुई। मुझे स्वयं दुख है कि ऐसी बात हो गयी, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, तो यह समाप्त हुआ।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता न दिये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा एक कामरोको प्रस्ताव आया है। वह "राज्य कर्मचारियों को भी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई एवं भत्ता न दिये जाने से दिनांक ११ फरवरी, १९६६ को प्रदेश कर्मचारियों ने सचिवालय के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया।" इस संबंध में है। मेरा निवेदन यह है कि एक तो नियम ५० के अन्तर्गत आदरणीय टम्बेश्वर प्रसाद ने एक सूचना दी है जिसको मैं कल ही लेता, लेकिन एक विषय नियम ५० के अन्तर्गत लगा हुआ है, उसे मैं १७ तारीख को ले रहा हूं। लेकिन इस संदर्भ में मैं आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि कुंवर श्रीपाल सिंह का एक व्यापक रूप का संकल्प इस सदन के समक्ष १६ तारीख को आ रहा है। वह इस प्रकार है —

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर जो केन्द्रीय सरकार के कमचारियों को दिया जाता है, दिया जाना चाहिये और राज्य क प्रत्यक सरकारी कर्मचारी को हाउस रेंट भी उसी आधार पर दिया जाय जिस आधार पर केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को देती है।

तो इसको १७ तारीख को हम ले लेंगे यदि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद आग्रह करेंगे। कामरोको प्रस्ताव अस्वीकार।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

एक निवेदन सुन लें। जिस दिन नियम ५० वाला स्वीकार हुआ था उस दिन मुख्य मंत्री ने दो तीन रोज उसको टालने के लिये कहा। जब पहले दिन यह प्रश्न आया तो कहा कि ३–४ रोज में सब घोषणायें कर देंगे। उसके बाद जब दोबारा आया तो व्यक्तिगतरूप से २–४ दिन की सुविधा दे दी, पता नहीं क्या करना चाहती है ? वित्त मंत्री ने जब यह नीति स्वीकार कर ली है कर्मचारियों को सुविधा देने की, अभी जैसा प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो समझ में नहीं आया कि फिर आप कर्मचारियों में इस व्यापक असंतोष को बढ़ात क्यों चल जा रहे ह ? इससे पूरे प्रदेश में कार्य-क्षमता पर असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक कहते हैं। मुझसे आपसे बात चीत हुई थी तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं सोमवार को रखना चाहता हूं, लेकिन आज ५ बजे बजट रखा जायगा–५–६ बजे तक वह चलेगा। कल के लिये मैं रखना चाहता था, नेता विरोधी दल से निवेदन किया था, लेकिन कल एक लिया जा चुका है। तो हमारे लिये कोई रास्ता ही नहीं रहा सिवाय इसके कि १७ तारीख को ही रखे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, और भी कामरोको प्रस्ताव थे।

प्रदेश के कुछ जिलों में भीषण वर्षा से फसलों को क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक काम रोको प्रस्ताव तो नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है और उसी संदर्भ में माननीय गया प्रसाद का है। दोनों को मैंने रखा है। वह इस प्रकार से है —

"दो दिनों की भीषण वर्षा के कारण पूर्वी जनपद के बस्ती, गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ बलिया आदि जिलों में अरहर, गेहूं, मटर आदि की फसल नष्ट हो गयी है" और माननीय गया प्रसाद ने लिखा है कि "दो दिनों की बरसात में भारी वर्षा एवं ओलों की वर्षा. . . . . "

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

यह आप हमारा प्रस्ताव ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं बता देता हूं । एक-काम रोको की शक्ल में है । काम रोको का जो प्रस्ताव है वह माननीय गयाप्रसाद, माननीय उग्रसेन, माननीय शिवनाथसिंह, माननीय काशीनाथ मिश्र का है और एक माननीय गया प्रसाद का है । दोनों को मैंने आदरणीय राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है ।

(मंत्री जी से) इस संबंध में आप अपना वक्तव्य कब तक दे सकेंगे ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन्, बारिश भी बड़ी मुश्किल से हुई है ।

श्री उग्रसेन---

लेकिन जो नुकसान हमारे यहां हुआ है उसको बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये । मैं समझता हूं सारे उत्तर प्रदेश के बारे में हम सब को सूचना मिल जायगी कि वर्षा का क्या परिणाम हुआ है और अन्न का प्रश्न ऐसा है जिसके संबंध में. . . . .

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

सारे सूबे में सूचना मंगाने में तो समय लगेगा, जिन जिलों के बारे में पूछा गया है वह हम नसों दे देंगे ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

मेरा सुझाव यह है कि मंत्री जो जब बयान दें तो सारे सूबे के बारे में दें, ताकि पूरे प्रदेश की स्थिति का पता लग सके ।

श्री अध्यक्ष---

मेरा सुझाव यह है कि इस समय जिन जिलों के बारे में कहा गया है वह सूचना आ जाने दीजिये । सब जगह की सूचना मंगाने में तो माननीय मंत्री जी कहते हैं समय लगेगा, इसलिये इसको आ जाने दीजिये, उसको बाद को देख लिया जायेगा ।

तो इस पर १७ तारीख को माननीय मंत्री जी बयान देंगे ।

(व्यवधान)

साप्ताहिक कार्यक्रम

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

श्रीमन्, इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होगा---

१४ तारीख को---उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९६६ के अनुमोदन के प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ पर विचार एवं उक्त विधेयक का पारण ।

उत्तर प्रदेश विद्युत्कर विधेयक, १९६६ पर विचार एवं उसका पारण ।

५ बजे अपराह्न---वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।

१५ तारीख को--वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा एवं उसमें निहित अनुदानों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

१६ तारीख को-- दिनांक २८ जनवरी, १९६६ के स्थान पर असरकारी दिवस।

१७ तारीख को--(१) वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

(२) ५ बजे अपराह्न--विधान सभा द्वारा पारित इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार एवं संशोधन सहित विधेयक का पारण।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, पिछले ४ वर्षों के असरकारी दिवस काटे गये हैं, यह क्रम बन्द होना चाहिये। हमें वे सब दिन मिलने चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मिलेंगे, आप कृपया बैठिये, मुझ से मिल लीजिये, मैं बता दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, बजट लेने के बाद तो कोई और विषय नहीं लिया जाता, यह विधेयक इन्टरमीडियेट एजूकेशन वाला फिर कैसे १७ को लिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष--

सरकार तो अपनी ओर से आपके सामने रखती है, अब किस प्रकार उस पर काम होगा यह तय होगा। कार्यमंत्रणा समिति उस पर विचार करेगी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, कल १० बजे से समिति की बैठक बुला ली जाय....

श्री अध्यक्ष--

वह हो जायगा।

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने, श्री ऊदल ने, श्री मायर साहब ने आपके पास, अलीगढ़ में जो लाठी चार्ज हुआ है, उस सम्बन्ध में, जिसमें वकील वगैरह बुरी तरह से घायल हुए हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कक्ष में आकर मुझ से कृपया बात कर लें।

श्री नेकराम शर्मा--

आपकी परम्परा यह भी रही है कि....

श्री अध्यक्ष--

मैं उस सब को मन्त्री के पास भेज दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, आपने जितने मन्त्रियों के पास भेजे हैं मैं जानना चाहता हूं कि चार साल के अन्दर किसी भी माननीय मन्त्री ने आपको सूचना दी है या सम्बन्धित सदस्य को दी है?

श्री अध्यक्ष---

आप मुझसे बात कर लीजिए।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, अनुत्तीर्ण छात्रों के विषय में माननीय शिक्षा मन्त्री ने नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य देने को कहा था....

श्री अध्यक्ष---

आप जरा बैठ जाइए।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने राजस्व मन्त्री जी को विश्वविद्यालय कांड की जांच के लिए बनारस भेजा था। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उनकी ओर से सरकार को रिपोर्ट दे दी गई है। प्रदेश में कोलाहल है कि राजस्व मन्त्री जी की रिपोर्ट क्या है। हम सब लोग भी जानना चाहते हैं कि उनकी रिपोर्ट किस दिशा में है। यदि आप रिपोर्ट से सदन को अवगत कराते तो प्रदेश और हम सब लोगों को लाभ हो जाता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा भी था कि माननीय राजस्व मन्त्री बनारस गए हैं और वे आयेंगे तो उसकी जानकारी देंगे। आज वे मौजूद नहीं हैं। इस विषय पर जरा-सा कह देते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मन्त्री भी हैं, उपनेता सदन भी हैं। बातचीत बाहर हो सकती है या आप मुझे इसकी कोई नियम के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं। उस पर जवाब मांग सकते हैं। इस तरह से जवाब सवाल से कोई फायदा नहीं है। इस समय जो सूची में कार्य चढ़े हैं उनको होने दीजिए।

श्री रामसुन्दय पांडेय---

अभी आपने सचिव को पढ़ने को कहा और उन्होंने पढ़ा भी। एजेन्डे में कहीं नहीं रहता कि सचिव घोषणा करें। आप नियम ३१९....

श्री अध्यक्ष---

संविधान व नियम को कृपा कर देख लीजिए। जब परिषद् से सूचना आयेगी तो सदन को तुरन्त सूचना देनी पड़ेगी। मैं उसी का पालन कर रहा हूं। आपको मौका मिलेगा, बातचीत कर लीजिएगा। मैं कहां कहता हूं कि न हो....

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं श्रीमन्, इसमें आपकी सहायता चाहता था।

श्री उग्रसेन---

मन्त्री जी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखवा दीजिए।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ (क्रमागत)†

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल द्वारा नगर महापालिका संशोधन विधेयक पर जो संशोधन रक्खे गए हैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सभासचिव ने महापालिकाओं को भंग करने के सम्बन्ध में जो संशोधन रक्खे हैं और उनके समर्थन में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उसमें यह बताया गया है कि महापालिकाओं का कार्यकाल सरकार ने एक साल के लिए बढ़ाया और वह कार्यकाल महापालिकाओं की प्रार्थना पर बढ़ाया गया है। और इसके पश्चात् अब सरकार के पास और कोई चारा नहीं था कि वह महापालिकाओं को भंग कर दे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बातें बहुत हो रही हैं। बात करनी हो तो लाबी में बात करें। हाउस को लाबी न बनाएं।

श्री बालोजी अग्रवाल—

मान्यवर, महापालिओं का कार्यकाल १ फरवरी, १९६० से आरम्भ हुआ और यह कार्यकाल ३१ जनवरी, सन् १९६५ तक के लिए था। इसके अनुसार अक्तूबर, १९६४ में महापालिकाओं के चुनाव सरकार को कराने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने अकारण ही बिना किसी तर्क और कारण के और बिना किसी महापालिका के सदस्यों की प्रार्थना के महापालिकाओं का कार्यकाल ६ महीने के लिए बढ़ा दिया और यह घोषणा की कि महापालिकाओं के चुनाव २५ अप्रैल, १९६५ को होंगे। किन्तु न मालुम किन कारणों से इस सदन में घोषणा करने के पश्चात् सरकार ने महापालिकाओं का कार्यकाल ६ महीने के लिए और बढ़ाया। मैं आपके सामने १३ मार्च, १९६५ की कार्यवाही के कुछ अंश आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करना चाहता हूं। उस समय एक सवाल के उत्तर में तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री श्री चतुर्भुज शर्मा ने कहा कि नगर महापालिकाओं के स्थानीय निर्वाचन के लिए घोषणा नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। चुनाव समयानुसार अप्रैल—जून, १९६५ तक हो जायेंगे। उसी सन्दर्भ में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि २५ अप्रैल को कार्पोरेटर्स के चुनाव होंगे, उसके बाद मई में विशिष्ट सदस्यों के चुनाव होंगे और जून में मेयर का चुनाव होगा। यह स्पष्ट घोषणा करने के पश्चात् कि चुनाव २५ अप्रैल को हो जायगा, फिर न जाने किन कारणों से सरकार ने वे चुनाव नहीं कराये और महापालिकाओं का कार्यकाल ३१ जनवरी, १९६६ तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका कारण एक ही है कि उस समय जब कि महापालिकायें बनी थीं दो सदस्यीय चुनाव क्षेत्र थे और सरकार अप्रैल, १९६५ में जो चुनाव कराने जा रही थी, उस समय सरकार ने दो सदस्यीय चुनाव क्षेत्र के बजाय एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र बना दिए। इस समय जो सत्तारूढ़ दल है मन्त्रिमण्डल में और जिसके चलाने वाले अप्रत्यक्ष रूप से भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त हैं, उन्होंने कानपुर में एक बयान दिया कि एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र नहीं होने चाहिए और इसके फलस्वरूप कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने उन चुनावों को स्थगित कर दिया और महापालिकाओं का कार्यकाल ६ महीने के लिए बढ़ा दिया।

मान्यवर, १३ मार्च, १९६५ को सदन में यह उत्तर दिया गया कि अप्रैल, १९६५ में चुनाव होगा और उसके पश्चात् होली होने के पश्चात् ही जब सदन बैठा तो २९ मार्च को सरकार ने

---

†८ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि इस मामले पर विचार हो रहा है। दोबारा विचार करने का कारण यह है कि एक स्थान पर निर्वाचन सूची समय से तैयार नहीं हो सकी है। १३ मार्च, को उत्तर दिया गया कि २५ अप्रैल को निश्चित रूप से चुनाव होंगे और २९ मार्च को जवाब में बतलाया गया कि इस पर दोबारा विचार हो रहा है और यह चुनाव स्थगित किया जा रहा है और उसका कारण एक स्थान पर कानपुर में मतदाताओं की सूची का पूरा होना बतलाया गया। लेकिन मान्यवर, यह कारण नहीं था। कारण यह था जैसा कि माननीय गुप्ता जी, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने कहा था कि द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्र नहीं रहने चाहिए, एक सदस्यीय होने चाहिए। परिणामस्वरूप चुनाव स्थगित किए गए और महापालिकाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया। सरकार ने घोषणा की कि अक्तूबर नवम्बर, ६५ में महापालिकाओं के चुनाव करा दिए जायेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर मतदाता सूची तैयार न होने के कारण चुनाव स्थगित किए होते तो फिर चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय क्यों किए गए और जहां ८० सदस्य थे वहां ४० कर दिए गए और जहां ६० थे वहां ३० कर दिए गए। इसका एक मात्र कारण यह था कि ५ महापालिकाओं में से एक महापालिका में भी सरकार का बहुमत नहीं था। कानपुर में कांग्रेस का बहुमत दिखाई पड़ता था, लेकिन कांग्रेस की दलबन्दी के कारण वहां भी बहुमत अल्पमत में ही परिणत हो गया था। पिछले साल जो चुनाव कानपुर में हुआ था उसमें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के मुकाबले में दूसरा अनधिकृत उम्मीदवार श्री इन्दर सिंह चुनाव जीता। इसका मतलब ही यह हुआ कि कांग्रेस का बहुमत किसी भी नगर महापालिका में नहीं था। इसीलिए वे उम्मीद करते थे कि अगर द्विसदस्यीय क्षेत्रों के बजाय एक सदस्यीय क्षेत्र कर दिए जायेंगे तो कांग्रेस के सदस्य आ सकते हैं। इसीलिए सदस्यों की संख्या आधी कर दी गयी।

मान्यवर, उस समय २ साल के लिए समय बढ़ाने के लिए तो यह आड़ ली गयी और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्रेव इमर्जेन्सी नहीं है, केवल ग्रेव इमर्जेन्सी में ही ऐसा हो सकता है। नवम्बर में चुनाव होने की बात हुई और तैयारी भी की गयी। लेकिन संकटकालीन परिस्थिति का बहाना लेकर सरकार ने चुनावों को स्थगित कर दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसी समय यह अध्यादेश क्यों जारी नहीं किया गया था? माननीय अलीजहीर साहब ने कहा कि शास्त्री जी ताशकन्द गए हैं, वहां एक समझौता हुआ है। तो उस समय कोई ग्रेव इमर्जेन्सी आपको मालूम नहीं हुई। नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी तक आपको इसकी आवश्यकता नहीं मालूम हुई और सरकार शान्त रही। उस समय एक साल का ही कार्यकाल बढ़ाया गया। ताशकन्द समझौता भी १० जनवरी को हुआ और २५ जनवरी तक आप कुछ तय नहीं कर पाए कि क्या करें। माननीया सुचेता जी बनारस गयीं। वहां पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप महापालिकाओं को भंग करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। उस समय तक सरकार का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मेरा सरकार पर यह आरोप है कि सरकार ने अपने दल के साथ पक्षपात् करने के लिए ही ऐसा किया है। यह चीज अलोकतन्त्रीय और अप्रजातांत्रिक है।

मान्यवर, यह सदन २७ जनवरी को बैठ रहा था और २५ को अध्यादेश लागू कराया गया। महापालिकाओं में कार्यकारिणी और विकास समितियों के चुनाव होते हैं। आज के नियमानुसार ३१ जनवरी से दस दिन पहले हो जाना चाहिए था। यदि सरकार का आरोप महापालिकाओं को भंग करने का था तो सरकार ने १५ जनवरी को यह जो तार द्वारा महापालिकाओं को सूचित किया कि कार्यकारिणी और विकास समितियों के चुनाव २१ जनवरी तक करा दें, तो इस तार देने का कारण क्या था जबकि वह इन्हें १ फरवरी से भंग करने जा रही थी ? उस तार के अनुसार पांचों महापालिकाओं ने कार्यकारिणी और विकास समितियों के चुनाव सम्पन्न कराए। कोई आरोप अभी-अभी महापालिकाओं को भंग करने का नहीं लगाया गया है, लेकिन या तो उत्तर देते समय या प्रश्न जो होते हैं या सरकार की तरफ से जो कुछ लोगों को बोलने के लिए तैयार किया जा रहा है उसके द्वारा यह उत्तर दिलाया जायगा कि उन में बड़ी अनियमितताएं थीं और उन की आय घटती चली गई थी। मैं आपके

माध्यम से यहां कुछ आय सम्बन्धी आंकडे रखना चाहता हूं। सन् ५९-६० में जब कि ये महापालिकायें बनी थीं तो आगरा महापालिका की वार्षिक आय ९८,०९,१६५ रुपया थी जो बढ़कर सन् ६४-६५ में १,४८,७९,६१० रुपया हो गई यानी लगभग ५० प्रतिशत का इजाफा हुआ। इसी तरह से अन्य महापालिकाओं की आय भी सदस्यों के कार्यकाल में बढ़ी है। सड़कों की लम्बाई सन् ५९-६० में आगरे की डामर सड़कों की थी १०४.६७ किलोमीटर और आज वह १३९.३८ किलोमीटर है। सीमेंटेड सड़कों की लम्बाई जो ५.८४ किलोमीटर थी वह १२.११ किलोमीटर हो गई। शिक्षा क्षेत्र के में ५९-६० में विद्यार्थियों की संख्या थी १६,४७२ जो ६४-६५ में बढ़कर २०,१६७ हो गई। बालिकाओं की संख्या ५९-६० में थी ५,३६८ और वह ६४-६५ में हो गई ९,४३८। प्रकाश के सम्बन्ध में बत्तियों की संख्या ५९-६० में थी ५,०१३ जो ६४-६५ में हो गई ६,५६४। मेरे कहने का आशय यह है कि माहपालिकाओं ने अपने कार्यकाल में उन्नति की है कोई अवनति नहीं की है और चूंकि महापालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि अच्छी तरह से कार्य कर रहे थे इसीलिए सरकार ने उन का कार्यकाल एक साल का बढ़ाया था।

एक आरोप यह लगाया जाता है, विशेष रूप से कानपुर की महापालिका के सम्बन्ध में और जिसकी बुनियाद अखबारों में दी गई है कि करोड़ों रुपए की जमीन पर या तो महापालिका के सदस्यों ने खुद कब्जा कर लिया है या रिश्तेदारों यां अधिकारियों द्वारा उस पर कब्जा करा दिया गया है। यह महापालिकाओं के सदस्यों, नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख को बदनाम करने की सरकार की साजिश है। मैं कहता हूं कि यदि कानपुर की नजूल की जमीन पर वहां की महापालिका के सदस्य नाजायज कब्जा कर रहे थे तो सरकार उसको रोक सकती थी, महापालिका ऐक्ट की धारा ८३ (सी) के अनुसार उसको अधिकार था कि यदि कोई सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है तो सरकार उस सदस्य को उसके पद से हटा सकती थी। नोटिस दे सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार को जब इस बात की जानकारी थी कि कानपुर में नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख, सदस्य या और अधिकारी सरकारी जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा कर रहे थे या कोई अनियमितताएं कर रहे थे, तो सरकार ने उनको कोई नोटिस नहीं दिया। उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उनको शो काज नोटिस क्यों नहीं दिया और यह कहा कि आपको महापालिका की सदस्यता से हटा दिया जाय। मैं मानता हूं कि ऐसा कोई भी नोटिस किसी भी महापालिका के सदस्य को नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इसी सदन में इस बात की चर्चा हुई थी और आपने इसके लिए १/२ घंटे का विवाद भी स्वीकार किया था कि आपके एक वरिष्ठ मन्त्री ने महापालिका की भूमि पर कब्जा कर लिया था।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया था और वे निर्दोष साबित हो चुके हैं, उसका इस समय क्यों रेफरेंस दिया जा रहा है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय पालीवाल जी इस बात को क्या अपने मन से कह रहे हैं अथवा माननीय मन्त्री जी के कहने पर ?

श्री बालोजी अग्रवाल--

यदि महापालिका की जमीन पर कब्जा किया गया है तो सरकारी दल के लोगों द्वारा ही किया गया, या सरकार के मन्त्रियों द्वारा ही किया गया। यदि माननीय सदस्यों द्वारा किया जाता तो सरकार ने नोटिस दिया होता, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

मान्यवर, जहां तक महापालिकाओं में सरकारी हस्तक्षेप का प्रश्न है मैं एक उदाहरण इस माननीय सदन के समक्ष देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां, अर्थात् आगरा महापालिका में एक चीफ पाइप लाइन इन्सपेक्टर थे, श्री पचौरी। वे किसी भी प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर नहीं हो सकते थे, लेकिन ऐसा होते हुए भी माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय ने मुख्य

[श्री बालोजी अग्रवाल]

नगर अधिकारी को यह आदेश दिया कि श्री पचौरी को असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया जाय, परन्तु उसे इस पद पर कसे नियुक्त किया जा सकता था जब तक कि वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर जो कार्य कर रहे थे उनको वहां से न हटाया जाता। अतः श्री मलहोत्रा जो वहां पर डेप्युटेशन पर कार्य कर रहे थे उनको वापस बुलाया गया। यद्यपि उनके कार्य से सरकार और नगरपालिका दोनों ही संतुष्ट थे तो भी श्री पचौरी को स्थान देने के लिए उनसे वह पद खाली कराया गया और नगर महापालिका को आदेश दिया गया कि उनको (श्री पचौरी) सहायक अभियन्ता बनाया जाय। इस प्रकार यह सरकार महापालिका के कार्य में हस्तक्षेप करती रही। मान्यवर, हमारे यहां के जो नगर प्रमुख हैं जिन्होंने श्री जे० बी० कृपालानी, एम० पी०, के अमरोहा के चुनाव में कार्य किया था सरकार ने उनके ऊपर एक नोटिस दिया कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अतः आपको क्यों न हटाया जाय। वे यहां आए। सरकार से मिले। मन्त्रियों से मिले और मुझे आश्चर्य है कि जिन्होंने अनियमिततायें की थीं, जिन्होंने कृपालानी जी के इलेक्शन में सहयोग प्रदान किया, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन से मुक्त कर दिया गया। मान्यवर, इस प्रकार से सरकार सदस्यों के ऊपर दबाव देती रही है। अपना मन चाहा नगर प्रमुख बनबाने के लिए भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जब अपने रिश्तेदार को आगरा में नगर प्रमुख बनवाना चाहते थे तो वह आगरा गए उस जमीन का उद्घाटन करने के लिए, उसका शिलान्यास करने के लिए गए थे जहां पर नगर महापालिका का आज भवन बना हुआ है। वहां जाने की उन को कोई आवश्यकता नहीं थी। महापालिका के ३७ सदस्यों ने उन को तार द्वारा यह सूचित किया कि आप शिलान्यास करने मत जाइए। आप शिलान्यास का बहाना करके अपने मन चाहे नगर प्रमुख को चुनाव में विजयी कराने के लिए सदस्यों पर दबाव डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वह गए और उस का उन्होंने उद्घाटन किया और उन को नगर प्रमुख बनवाने के लिए सरकार ने जो अनैतिक और अप्रजातांत्रिक कदम उठाए उस का उदाहरण मैं देता हूं। आगरा नगर महापालिका ने दो सदस्यों को डी० आई० आर० में जेल में बन्द करा दिया क्योंकि सरकार को यह मालूम था, कांग्रेस दल को यह मालूम था कि वह दोनों सदस्य उन के मन चाहे उम्मीदवार को नगर प्रमुख के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। इसलिए डी० आई० आर० में उन दो सदस्यों को जेल में बन्द करवा दिया गया और उन को मतदान के अपने अधिकार से वंचित किया गया और उन को जेल में रखा। इतना सब कुछ करने के बाद में वह अपने उम्मीदवार को विजयी नहीं करा सके। यह जान कर कि अपने उम्मीदवार को विजयी नहीं करा सकते हैं, दो लोगों को जेल में भेजने के पश्चात् भी, दो माननीय सदस्यों को जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदान नहीं करेंगे उन को यहां से १९ तारीख को चुनाव जिस दिन होना था उस से दो दिन पहले यानी १७ तारीख को एक स्पेशल मैसेन्जर द्वारा उन दो सदस्यों को सूचना भिजवायी गई कि आप को सदस्यता से मुक्त किया जाता है। आप अब सदस्य नहीं रहे और....

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

आप हंस कर मुहब्बत से बात करें। इसमें नाराजगी की क्या बात है?

श्री बालोजी अग्रवाल—

मैं क्षमा चाहूंगा मान्यवर, यदि मैंने रोष से कोई बात कही हो। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। दो सदस्यों को जेल भिजवाना, दो सदस्यों को चुनाव की तिथि से १ दिन पहले मतदान न करने के लिए अवैध घोषित करवाना यह सरकार की नीति रही है अपने मन चाहे उम्मीदवार को नगर प्रमुख बनवाने के लिए। लेकिन मान्यवर, फिर भी इस बात का आश्चर्य है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकार अगर भूतपूर्व मुख्य मन्त्री अपने मन चाहे उम्मीदवार को नगर प्रमुख चुनवा न पाए और इसीलिए सरकार द्वारा आगरा महापालिका के विकास कार्यों में सरकार द्वारा बाधाएं डाली गयीं। आज दिन तक किसी भी नगर महापालिका में न सरकारी पक्ष का मेयर है और न उपनगर प्रमुख।

अब सरकार को दूसरी चिन्ता हुई लखनऊ महापालिका से। लखनऊ महापालिका में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जनसंघ का बहुमत है। जनसंघ का उपनगर प्रमुख है और जनसंघ के द्वारा समर्थित नगर प्रमुख हैं और जनसंघ के द्वारा समर्थित नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख यहां चुने जाते रहे हैं। लिहाजा सरकार इसे कैसे सहन कर सकती थी जब कि आगामी आम चुनाव ६७ में होने वाले हैं? सरकार तथा कांग्रेस दल यह महसूस करता था कि इन नगर महापालिकाओं के रहते हुये किसी भी प्रकार कांग्रेस का उम्मीदवार नगर महापालिकाओं में विजयी नहीं हो सकता और चुनाव में किसी भी प्रकार कांग्रेस का बहुमत आ नहीं सकता। इसलिये सरकार ने प्रजातंत्र की हत्या करते हुये २५ जनवरी को यह अध्यादेश जारी कर दिया और उनको समाप्त कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, महापालिकाओं के जो कर्मचारी हैं उनको निकालने के लिये सरकार ने आदेश दिये हैं और यह कहा है कि ६० के बाद से जितने कर्मचारी महापालिकाओं में रखे गये हैं उनको निकाल दिया जाय और उसका कारण यह बताया गया है कि महापालिकाओं में जो कर्मचारी इस बीच में रखे गये हैं उनको सदस्यों ने अपने दबाव से रखा है। सन् ५६ से यह कर्मचारी रखे जा रहे हैं तब से क्या यह सरकार सोती रही और उसको यह जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से कर्मचारी रखे जा रहे हैं? सरकार किसी भी कार्य को करने में अनिश्चित रहती है। इसका कारण चाहे उनकी आपस की दलबन्दी या कोई अन्य कारण हो, लेकिन सरकार महापालिकाओं के कार्य को सुचारु रूप से चलाने में असफल रही। सन् ६५ में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह संकेत किया था कि महापालिकाओं का जो अधिनियम है उसमें सरकार संशोधन करने का विचार कर रही है, लेकिन सरकार को इस बात का अवकाश मिला ही नहीं कि उस अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन करती। कितनी ही बार मीटिंग हुई, मेयर्स कान्फ्रेन्स हुई सभासदों की कान्फरेंस हुई और उसमें संशोधन करने के लिये सरकार के पास अपने विचार तथा सुझाव भेजे, लेकिन सरकार को सिवाय गुटबन्दी के किसी कार्य को करने का अवकाश ही नहीं है, एक मशीनरी है उसकी जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। जिस समय कांग्रेस दल महसूस करता है कि उस पर मुसीबत आने वाली है और उसकी कुर्सियों पर बीतने वाली है तो इस प्रकार के अध्यादेश जारी हो जाते हैं जो अप्रजातांत्रिक, अवैधानिक तथा नागरिक अधिकारों के हत्या करने वाले होते हैं जो अधिकार संविधान द्वारा उनको मिले हुये हैं। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि कहीं भी सरकार किसी स्थान पर विरोधी दल के शासन को देखना नहीं चाहती है। केरल का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। आज जब हमारे विरोधी दल आन्दोलन करते हैं या सत्याग्रह करते हैं तो यह सरकार कहती है प्रजातंत्र के जमाने में, अपनी सरकार के जमाने में आन्दोलन करने या सत्याग्रह करने की क्या आवश्यकता है? इसकी तो विदेशी शासन काल में आवश्यकता थी। लेकिन केरल में जहां कम्यूनिस्ट सरकार बनी हुई थी जो लोकप्रिय सरकार थी उसको भंग करने के लिये आन्दोलन किया और उसको भंग करने के पश्चात् जब केरल में चुनाव हुआ तो भी कम्यूनिस्टों का बहुम आया और उसके लिये वहां पर अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति का वहां पर शासन लागू कर दिया। क्या सरकार यह चाहती है कि अगर कांग्रेस का महापालिकाओं में बहुमत होगा तो वह उनको चलने देगी अन्यथा नहीं चलने देगी? इस प्रकार से प्रजातंत्र वीवित नहीं रह सकता। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष जी, जो गवर्नमेंट ने स्टैप लिया है कि महापालिकायें सुपरसीड कर दी हैं उसके लिये मैं सरकार को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(इस समय १२ बजकर ४७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

चूंकि मैं लखनऊ कारपोरेशन का मेम्बर था और तीन साल से बराबर मेरी फेमली के मेम्बर इसके मेम्बर रहे हैं। इसलिये मैं लखनऊ शहर की महापालिका के बारे में जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं उनसे ज्यादा अनुभव रखता हूं।

(व्यवधान)।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

श्रीमन्, अब कोई भी सदस्य महापालिका का सदस्य नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य का यह कहना कि मैं महापालिका का सदस्य अब भी हूं, ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया उनकी बात सुन लें।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—

मैंने यह कहा था कि मैं इसका सदस्य रहा हूं। कई सदस्य सरकार से निवेदन करते रहे कि इस महापालिका को सुपरसीड कीजिये, लेकिन सरकार ने एक साल बाद ध्यान दिया। आज से एक साल पहले से लखनऊ महापालिका की स्थिति ऐसी थी कि उसमें ६० लाख का घाटा था और हर साल जो वह वहां बजट भेजती थी वह फर्जी भेजती थी। सात लाख रुपये माहवार का जो कंट्रीब्यूशन कैन्टोनमेंट बोर्ड को महापालिका को देना पड़ता था वह आज तक नहीं दिया गया। दो लाख रुपये कर्मचारियों के प्रावीडेन्ट फंड का मिसयूटिलाइज किया। ऐसी हालत में अगर गवर्नमेंट ऐसा न करती तो लखनऊ के निवासी जो टैक्स देते हैं उसका दुरुपयोग जारी रहता (व्यवधान)। मैं लखनऊ महापालिका के बारे में कह रहा हूं। १९६२ से अब तक हजारों एन्क्रोचमेंट हुए हैं और उनके हटाने का यद्यपि कई बार मीटिंग में प्रश्न आया लेकिन जो मेजोरिटी के मेम्बर थे, उन्होंने उसको दबा दिया इस हालत में, जब कि कारपोरेशन को सरकार ने इसलिये बनाया था कि वहां पर जनता की जो रोज की जरूरियातें हैं पूरी की जायेंगी, उनके यहां की सड़कें बनें, सफाई हो, बत्तियां जलें, वहां पर कांग्रेस पार्टी, जनसंघ या कम्युनिस्ट का प्रचार करने की वह जगह नहीं थी। लेकिन जो चुनकर गये उन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार और अपने लोगों को नौकरी दिलाने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं किया। अगर आप लोग मेरे साथ चलें तो म आपको दिखाऊं। यह जो हालत है, उसको यदि आप देखते, यदि आप मुख्य मंत्री बना दिये जाते तो आपको भी यही करना पड़ता, जो आज प्रेजेन्ट गवर्नमेंट ने किया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना संकल्प वापस लें और सरकार को बधाई दें।

मैं कहां तक आपको बताऊं, लखनऊ नगर महापालिका की ७५ परसेन्ट जो आमदनी है वह इश्टेबिलिशमेंट में खर्च की जाती थी। वहां पर सन् ६२ में ४ हजार १७ कर्मचारी थे और आज सुपरसीड होने के वक्त तक एक हजार सात सौ तेंतीस कर्मचारी और बढ़ा दिये गये हैं। तो यह जो एक हजार सात सौ तेंतीस कर्मचारी रखे गये। वे न तो काम करते हैं, क्योंकि वह सब सिफारिशों से बिना योग्यता के रखे गये.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

ऐसे तो मिनिस्टर्स भी हैं।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—

ऐसा तो आपने कांस्टीट्यूशन ही बनाया है। ऐसा न होता तो आप भी यहां पर न दिखाई पड़ते। तो वहां पर हालत यह थी कि यदि कोई भी आदमी कोई भी दरख्वास्त लेकर जाये तो सुनवाई नहीं होती थी, सिर्फ जिसमें मेम्बर साहब अप्लीकेशन के साथ या अप्लीकेंट के साथ जाते, बस उस पर सिर्फ सुनवाई हो जाती थी, वरना कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट मजबूर थी, गवर्नमेंट को यह स्टेप लेना ही था और उसने सही स्टेप लिया। इस संदर्भ

में, मैं यहां तक सरकार से निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट को फौरन ऐसा आर्डर निकालना चाहिये कि जितने भी कर्मचारी कारपोरेशन के हैं, उनके कन्डक्ट के बारे में जांच कराई जाय, उसके बाद ही उन्हें कन्फर्म किया जाये, क्योंकि ऐसे-ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होंने हजारों रुपया जनता का अपनी जेबों में रख लिया है और आपके पास उनकी कोई पकड़ नहीं है। अगर है तो कंडक्ट की जांच कराना ही एक पकड़ है। मैं इस लखनऊ की नगर महापालिका के बारे में ही कह रहा हूं, लेकिन यह हालत सभी जगह है, यहां पर लाखों रुपये की सम्पत्ति एक दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर दी गयी और कमेटी ने उसे पास कर दिया।

एक सदस्य—

और आपने एतराज नहीं किया ?

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—

यह लोग तो मेजारिटी में थे। माइनारिटी और मेजारिटी की बात है जैसा यहां पर होता है। तो वह वहां पर मेजारिटी में थे। उन्होंने ग्रांट फर्जी कर दिया। यदि आप लोग आपोजीशन के मेम्बर्स भी चले जायें इंक्वायरी करने तो आप देखगे कि वहां पर जो लोगों को ग्रांट्स दी गयी हैं, उनकी लिस्ट लेकर जांच कर ली जाये तो आप पायग कि उनम से ५० परसेन्ट इंस्टीट्यूशन्स हैं ही नहीं, लेकिन उनको ग्रांट दी गई। कारपोरेटर ने अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर कई एक ऐसी डील कराई है कि जिसमें नगर महापालिका का पैसा डूब जाय। गणेशगंज में एक प्रापर्टी स्कूल के लिये खरीदी गयी। प्रापर्टी का मालिक कोई था और पैसा किसी को पेमेंट कर दिया गया है। यह फाइल में लिखा हुआ है। जिन कारपोरेटर ने पैसा दिलवाया वह चूंकि रूलिंग पार्टी के थे इसलिये वह फौरन पेमेंट हो गया। आप सब जानते हैं कि शहर में ही नहीं बल्कि प्रदेश में मकानों की बड़ी भारी किल्लत है। पहली तारीख को एडवान्स किराया किरायेदार देने के लिये तैयार रहते हैं। महापालिका के जितने भी मकानों में लोग रहते हैं उन पर ४,६२,२२८ रुपये किराये के बाकी हैं। यह क्यों बाकी ह ? बाबू किरायेदार से किराया मांगने के लिये गये तो कुछ केसेज में किरायेदार ने जेब से फौरन ५ रु० का नोट निकाला और बाबू की जेब में डाल दिया और कह दिया कि फिर आना। ज्यादातर केसेज में महापालिका के मेम्बरों ने दबाव डालकर पेमेन्ट नहीं होने दिया। हम भी एक डिफाल्टर हैं। वह क्यों ? वह इसलिये कि जब अयोग्य व्यक्तियों को वहां पर कर्मचारी रखा जायगा और ऐसी रिस्पांसिबिल पोस्ट पर रखा जायगा तो वे ऐसा ही करेंगे। मैंने अपने मुन्शी के हाथ ६ महीने का किराया भेजा तो पता लगाने पर मालूम हुआ कि वहां पर वह सम्बन्धित फाइल ही नहीं है। यह वहां की प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है। तो वह किराया लेकर लौट आया। फिर मैंने दोबारा महापालिका की मीटिंग में इस इंस्टान्स को कोट किया, लेकिन आज तक कोई किराया लेने मेरे पास नहीं आया। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का रुपया जब कारपोरेशन नहीं बना था तब भी बाकी था और जब कारपोरेशन बन गया तब से आज तक हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और वाटर सेल का लगभग साढ़े बारह लाख रुपया बाकी रहा है। वहां पर कोई रजिस्टर नहीं है। जो हैं वह सब अधूरे बने हैं। इसी असेम्बली विभाग के एक कर्मचारी ने कल मुझको रिपोर्ट किया कि वह हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का रुपया जमा करने के लिये महापालिका के दफ्तर में गये, लेकिन वहां पर कोई लेने वाला ही नहीं है। यह तीन महीने पहले की बात उन्होंने मुझे कल बताई.....

श्री बनवारीलाल विप्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त होगा। उनके विचारों को आप सुनें। वह अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट कर रहे हैं।

श्री बनवारीलाल विप्र—

इस हाउस के अन्दर कोई गलत बयानी नहीं होनी चाहिये, इतनी व्यवस्था तो आप कर ही सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वह अपने व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—

आप किस लिये चिढ़ते हैं। इसमें चिढ़ने की कोई बात नहीं है। मैं जो चीज कोट कर रहा हूं वह ऐसी है जो बिल्कुल सही है। मैं उस आदमी को आपके सामने मौजूद कर दूंगा। मैं यह कह रहा था कि जब ऐसी बातें हैं तो गवर्नमेंट ने क्या गलती की। गवर्नमेंट ने बिलकुल सही कदम उठाया है। यहां पर कारपोरेशन का एक ईंट का भट्ठा चल रहा था। उसमें ६१–६२ में २ लाख ४० हजार की आमदनी थी जो ६४–६५ में घटकर सिर्फ ३० हजार रह गई, नुकसान शब्द तो उसके लिये डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि वह अपने अख्तियारों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे और जो करप्ट अधिकारी हैं उनको पहले तो सस्पेन्ड फौरन करें और बाद में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक महानगर योजना बनी थी। उसके दफ्तर में आग लग गई और ऐसी आग लगी कि सारे रिकर्डस् जो हम आप देख सकते थे वह सब जल गये। उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया।

ऐसे-ऐसे कर्मचारी जिन्होंने गबन किया वह वहां पर नौकर हैं। ऐसी हालत में गवर्नमेंट मजबूर थी। अगर वह ऐसा न करती तो अपने उत्तरदायित्व से हट जाती। जिस जनता से आप पैसा लेते हैं अगर आप उसकी ओर ध्यान न देंगे तो आप जिन्दा कैसे रहेंगे, क्योंकि आप हम सब तो उन्हीं के वोट्स से चुनकर आते हैं। एक को छोड़कर कोई यहां पर नामजद सदस्य नहीं है, सभी निर्वाचित हैं। तो मैं रक्षपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें और गवर्नमेंट ने जो तरीका अख्तियार किया है उसका अनुमोदन करें क्योंकि इसी में भला है।

नजूल की जितनी जायदादें थीं वह लोग हड़प कर गये। एन्क्रोचमेंट इतना है कि जिसका ठिकाना नहीं। आप अपनी बहिन और स्त्री ले कर जाइये लाटूश रोड पर या हजरतगंज में, आपको खुद पता चल जायगा कि क्या स्थिति है। इस स्थिति में तो गवर्नमेंट को वह करना ही पड़ता जो उसने किया। नजीराबाद, अमीनाबाद, गणेशगंज रोड, हजरतगंज, नरही डालीगंज कहीं जाइये आप निकल नहीं सकते जब तक आप धक्के न खावें। तो यह तो हालत, है।

डेवलपमेंट की ग्रांट गवर्नमेंट से आई। महापालिका ने यह पास कर दिया कि इस रुपये को किसी और जगह खर्च कर लिया जाय और डेवलपमेंट का वह रुपया दूसरी जगह पर लग गया।

अमीनाबाद पार्क में बृन्दाबन गार्डन बन रहा है, उसमें यह था कि ५० हजार से ज्यादा रुपये के लिये खर्च कमेटी द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता...। मेम्बर भाइयों ने क्या किया कि उसको टुकड़े टुकड़े में विभक्त करके पास कर लिया। तो लखनऊ नगरपालिका की ऐसी हालत थी। कुछ मेम्बरों का ठेके में साझा था। यह जन प्रतिनिधि जब ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट यह करने के लिये बाउन्ड है। अगर सरकार यह नहीं करती तो जनता उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा भी इसमें साझा है। इस चन्द शब्दों के साथ में फिर आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मेहरबानी करके गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है उसे पास करिये और जिस बात में जनता का फायदा हो उस बात पर बहस मुबाहसा न करिये।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक पर जो नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा है कि इसको तीन मास तक जनमत प्राप्त करने हेतु घुमाया जाय, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों के विचारों को सुना और उनके दृष्टिकोण को भी समझा। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी जो लोकप्रिय सरकार है, जिस सरकार की जड़ें, लोकतंत्र और जनतंत्र की, पाताल तक चली गयी हैं और इसी हफ्ते में जिसने अपने जयपुर अधिवेशन में नयी-नयी प्रतिज्ञायें और संकल्प किये हैं और आश्वासन दिये हैं, उनको देखते हुये मैं समझता हूं कि अगर सही मानों में अपने देश में हमको लोकतंत्र स्थापित करना है और लोकतंत्रीय समाज को लाना है तो हमें जरूर इस बात पर विचार करना होगा कि हम जनमत का कहां तक आदर करते हैं। अगर हम जनमत का आदर नहीं करते तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार में और विदेशी सरकार में कोई अन्तर नहीं रह जायगा। मैं आपके माध्यम से अपने पूर्व वक्ता महोदय को बता देना चाहता हूं कि जिस समय हम गुलाम थे, जिस समय हमें कहा जाता था कि हम शासन नहीं कर सकते, उस समय की सरकार ने भी रिफार्म के तौर पर हमको स्थानीय स्वराज्य प्रदान किया था और उसके आधार पर पूरे देश में जगह-जगह पर जनता के वोटों से चुन कर हम लोग इन पालिकाओं में स्थानीय शासन चलाने के लिये पहुंचे थे। उस समय सरकार के प्रतिनिधि नामिनेट होते थे इसलिये कि सरकार विदेशी थी और वह नहीं चाहती थी कि हमारा बहुमत हो, लेकिन मैं बता सकता हूं कि उस जमाने में भी वह सरकार नगरपालिकाओं को सुपरसीड करने में डरती थी। वह सोचती थी कि कहीं हम पर यह इल्जाम न लग जाय कि जो अधिकार जनता को है उसमें सरकार बाधा डाल रही है। आज मुझे आश्चर्य होता है यह देख कर कि जहां कांग्रेस की नगरपालिका नहीं है, और यह पूरे प्रदेश का इतिहास बनता जा रहा है, जहां भी विरोधी पक्ष के हाथ में पालिका का शासन है वहां कोई न कोई बहाना या इल्जाम लगा कर यह सरकार या तो उस कारपोरेशन को या पालिका को डिजाल्व कर देती है या सुपरसीड कर देती है।

मैं आगरा महापालिका के बारे में बताऊं। वहां २३ वर्ष के सुपरसीड रहने के काल में, जिस समय कि सरकार का वहां एक अधिकारी प्रशासक के रूप में बैठा रहता था, उस समय मैंने आगरा की गलियों को देखा है, सड़कों को देखा है, आगरा के गन्दे नालों के किनारे रहने वालों की जिन्दगी को मैंने देखा है जहां कि इंसान बैठ नहीं सकता, निकल नहीं सकता, जहां गन्दगी का साम्राज्य है। लेकिन उन गलियों को और सड़कों को नयी चुनी हुयी पालिका ने अपने प्रबन्ध काल में नया बना दिया है इसलिये कि उसके प्रतिनिधि उन्हीं नालों के किनारे रहने वाले थे। वे वहां की वस्तुस्थिति जानते थे, वे समझते थे कि उनको क्या और कहां कहां उन्नति करनी है। उन्होंने वहां अनेक निर्माण कार्य किये। उन्होंने जनता की शिक्षा की ओर ध्यान दिया, निर्माण और सफाई की दिशा में भी ध्यान दिया।

आप लखनऊ की बात को लें। अभी किशोरीलाल जी बोल रहे थे। उन्होंने बतलाया कि लखनऊ नगरपालिका में व्यापक करप्शन है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं उन्हें बता देना चाहता हुं कि भ्रष्टाचार शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में वे स्वयं जरा सोचें। आपके इधर बैठने वाले मंत्रियों के विरुद्ध इस तरफ के कई माननीय सदस्यों ने चार्ज लगाया, कहा कि उनका रवैया गलत है, क्या सरकार ने उन मंत्रियों को अलग किया ? खत्म किया ? इस लखनऊ में मुझे चार वर्ष हो रहे हैं, मैंने १९६२ में भी देखा था, उस समय भी विधान सभा मार्ग को देखा था आज भी देखता हूं। विरोधी दल ने सत्ता में आने के बाद पूरे मार्ग को व्यूटिफाई किया है, बच्चों के क्रीड़ा केन्द्र बनाये हैं, रोशनी का प्रबन्ध किया है, अच्छे-अच्छे फ्लावर बेड्स बनाये गये हैं, बाहर के यात्रियों के लिये गरमी के दिनों में लेटने और बैठने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

का समुचित प्रबन्ध किया गया और इसके अतिरिक्त उन्होंने इस नगर की ऐतिहासिक क्षमता बढ़ाई है। लक्ष्मण जी, जो इस नगर की संस्कृति के प्रतीक हैं उनका स्टैच्यु लगाया गया है और महात्मा गांधी की जो फिलासफी है उसके प्रतीक के रूप में बन्दरों का स्टैच्यू भी लगाया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये तीनों आदर्श रखे हैं। उसके साथ शहर की सफाई की भी व्यवस्था की है, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। जगह-जगह पर उन्होंने स्टाल्स कायम किये हैं जहां आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं,। कानपुर में देखिये। उस केनाल में जो कभी ब्रिटिश राज्य में बनायी गयी होगी, लोग पाखाना फिरते थे, कितनी उसमें गन्दगी रहती थी। आज उसकी उन्होंने कितनी सफाई की और स्टैच्यू वगैरह लगाये और कितना डिग्नीफाइड बनाया है।

मैं कहता हूं कि आपके शासन को १९ वर्ष हो चुके हैं। उसके अन्दर आपकी यह राज्य सरकार अभी तक सिर्फ पुलिस का जो शासन है उसको भी ठीक नहीं बना सकी। यह आदमी को दोनों टाइम के खाने और सिर छिपाने की व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं कर सकी, लोगों में कोई आशा और विश्वास पैदा नहीं कर सकी। उधर दो एक वर्षों में नगरमहापालिकाओं के जरिये से आप चाहते हैं कि वहां एक दम भ्रष्टाचार और बड़ी भारी गड़बड़ी हो रही है और कुछ नहीं हुआ, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यहीं तक नहीं, एक कोचीन में प्रगतिशील सरकार बनी तो उसके खिलाफ आरोप लगाया गया। जिस वक्त आन्ध्र में, केराला में कम्युनिस्टों की सरकार बनी तो उसकी जगह राज्यपाल का शासन करके डिजाल्व किया गया। इस तरह से हमारी जो आगे आने वाली संतान है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या उसके मन में लोकतंत्र है, समाजवाद जिसकी पोषक यह सरकार बनती है उसके प्रति कोई आस्था बन सकेगी? मैं मानता हूं कि नगर पालिकाओं में कहीं जनसंघ का शासन है, कहीं इंडिपेंडेन्ट्स हैं, कहीं किसी पार्टी के हैं, लेकिन इन पांचों महानगरों में कांग्रेसी शासन नहीं था, यह सही है। लेकिन फिर भी उनको राजनीति से अलग रखना चाहिये था, क्योंकि उनके हाथ में न्याय और रक्षा का और कोई इस तरह का शासन नहीं होता है। उनके हाथ में होती है, रोशनी सफाई, शिक्षा, निर्माण कार्य और उसमें पार्टी बाजी से परे होकर काम करना चाहिये।

मैं उदाहरण पेश करता हूं। सबसे पहले आगरे में कांग्रेस के मेयर माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी हुये जो कि अब पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। फिर शिव प्रसाद जी गुप्त थे, उनके पिता संग्राम सिंह गुप्त तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री के रिश्तेदार होते थे, जिसकी ओर यहां इशारा भी किया गया था। उनको इसलिये बनाया गया कि लोगों ने सोचा कि हमें काम देखना चाहिये। वह जब हट गये तो यहां पर जब चुन कर आये तो वह इंडिपेंडेन्ट थे। वहां पर हमारे लोकल सेल्फ मंत्री माननीय चतुर्भुज शर्मा ने उनकी आनर में डिनर दिया और उसमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने उसका बड़ा अनादर किया जो कि पेपर में छपा था। तो हमको संकुचित विचाराधारा को त्याग देना चाहिये। हम संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पार्टियों को बरदास्त करते हैं इसलिये हमें अपनी विचारधारा को प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील बनाना होगा।

मैं तो कहता हूं कि नगरपालिकाओं के समय के बाद नगर महापालिकाओं के समय में काफी विकास का कार्य हुआ है। पहले अकसर महामारी, चेचक तथा अन्य प्रकार की बीमारियां फैला करती थीं। यह नगर महापालिकायें इनको रोकने में सफल हुई हैं। इनके काल में शायद ही कहीं कोई इस प्रकार की बीमारी फैलने पायी हो। वहां के प्रतिनिधियों ने तथा अधिकारियों ने भी इसमें काफी सहयोग दिया है।

भ्रष्टाचार की जो बात कही जाती है वह ऊपर से है। भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। जिनकी बड़ी-बड़ी आमदनी हैं, यह जो बड़े-बड़े लोग हैं, यह चाहें तो १०० रुपये मन में भी गेहूं खरीद सकते हैं। मगर महापालिका का जो कर्मचारी १०० रुपये या ७०–८० रुपये पाता है उसके सामने जीवन मरण का प्रश्न है। आपने उनके जीवन स्तर को सुधारने

के लिये क्या प्रयास किया ? आपने क्यों नहीं उनके पे स्केल को बढाया : जब तक हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे, उनका सामाजिक विकास नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो पायेगा। आज नगरपालिकाओं, टाऊन एरिया या नोटीफाइड एरिया या स्थानीय निकायों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है हमारे कैरेक्टर को ऊंचा करने का, प्रश्न है हमारी नीतियों का, हमारे मनोबल का, हमारे ईमान का। यह जो आपका बुर्जुआ क्लास है, यह अपना ईमान पैसे को ही समझता है। उसके लिये सब कुछ पैसा है। पहले हमारी कुछ परम्परायें हुआ करती थीं, हमारा कुछ ईमान हुआ करता था, उस सब का केन्द्र बिन्दु मंदिर और मस्जिद थे, आज तो सब कुछ पैसा ही है, पैसा ही हमारा ईमान रह गया है। मैं पूछता हूं कि क्या कभी आपने अपने दामन को खोलकर देखा है ? आप पैसे को ही क्यों इतना महत्व देते हैं ? यही एक ऐसी भावना है जो सब बुराइयों की जड़ है। हर मुल्क में हुकुमत की यह जिम्मेदारी हुआ करती है। यह बात सिर्फ मैं नहीं कहता, इस बात को हमारी वर्तमान माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने भी दोहराया है।

आज एक बाबू को जिसको सत्तर अस्सी रुपये मिलते हैं, वह अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है ? उसमें तो एक टाईम खाने के अलावा दूसरे टाईम खाना नहीं मिल सकता है। आपके खादी भन्डार में, महात्मा गान्धी का जो आश्रम है, अगर अच्छे कपड़े को खरीदें तो एक महीने की सेलेरी से कुछ नहीं होता। ये जो जीवन स्तर की खाइयां खुदी है, अलग-अलग क्लासेज नहीं हैं, इसके कारण ही भ्रष्टाचार पनप रहा है। इस भ्रष्टाचार के दानव का हनन करने के लिये हमें अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा जिस पर हमारा प्राचीन समाज आधारित था। प्राचीन परम्पराओं पर चलने से ही इस देश का हित हो सकता है। यह अध्यादेश जो जारी किया गया है, मैं समझता हूं कि वह जनहित में नहीं है और वह प्रजातन्त्र के लिये कुठाराघात है और इससे प्रजातन्त्र में यह भी विश्वास पैदा होगा कि हम अपने वोट से किसी को चुनकर भी भेजे, अगर वह कांग्रेसी नहीं है तो एक दिन भी शासन नहीं कर सकता। अगर हमारे वोट का मूल्य है तो कांग्रेस को वोट देना। यदि हमने किसी और को चुना है तो कांग्रेस सत्ता के द्वारा उसको खत्म कर देगी। इसलिये जनता को विश्वास दिलाने के लिये हमें इस अध्यादेश को पास नहीं करना चाहिये।

श्री नवलकिशोर—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ है उस पर जो भाषण हुए हैं मैंने उनको सुना। मान्यवर, कुछ चीजों का वास्ता इस विधेयक से था और कुछ का नहीं जैसा कि माननीय भगवान दास जी ने सारे समाजवाद की व्याख्या इस विधेयक की आड़ में सुना दी और भी उस तरह की बहुत सी बातें आईं। मान्यवर, मैं सभा सचिव महोदया को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि जिस समय उन्होंने यह विधेयक पेश किया उन्होंने कोई कारण नहीं बताया था जिन कारणों से इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया जिससे नगरमहापालिकाओं के टर्म को बढ़ाया नहीं गया। यद्यपि उन्होंने दो बातें कहीं थीं। एक तो उन्होंने यह कहा था कि जब इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जावेगी या इमरजेन्सी समाप्त हो जावेगी, तो चुनाव करा देंगे।

मैं बधाई देता हूं माननीय किशोरीलाल जी को जिनसे काफी बातों का पता चला है। जो ऐम्स ऐन्ड आबजेक्ट्स पेश किये गये हैं यद्यपि उनमें कोई बात नहीं दी गई, मगर उनके भाषण से मालूम हुआ है कि किस पृष्ठभूमि के तहत इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया। मान्यवर, किशोरी लाल जी ने जो बातें बतलाईं यदि वे बातें सही हैं तो केवल दुःख की बात नहीं बल्कि गंभीर चिन्ता की बात भी है। लेकिन अच्छा यह होता मेरे विचार से कि यदि वह पृष्ठभूमि थी तो उस पृष्ठभूमि को हमें अपने एम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स में साफ-साफ कहना चाहिये था। क्या शर्म की बात है अगर हमारी महापालिकाओं में भ्रष्टाचार है। अगर लोगों ने अपने पद तथा जन-धन का मिसयूज किया है, अगर वहां अनियमितताएं हुई हैं, अनियमितताओं को तो मैं कोई कारण नहीं मानता क्योंकि ये तो हमारी सरकार के खर्चे में भी पब्लिक

[श्री नवल किशोर]

अकाउन्टस कमेटी द्वारा देखी जाती हैं। परन्तु दो बात ऐसी हैं जो संगीन हैं। जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया है, या अगर जनता के पैसे को खाया है तो वे ऐसी गंभीर बातें हैं जिस पर सरकार आंख बन्द नहीं कर सकती है। और मैं समझता हूं कि मुनासिब यह होता कि अगर इस तरह के वाक्यात थे तो सरकार एक चार्जशीट के रूप में उनको जनता के सामने पेश करती कि इन-इन महापालिकाओं में इस-इस तरह की अन्धेरगर्दी और खुराफातें हुई हैं। जो मेम्बर साहबान इसके लिये जिम्मेदार थे वे लोग एक्सपोज किये जाते जनता के सामने ताकि वे जनता के सामने खड़े होने और मुंह दिखलाने के काबिल न बचते। इसलिये आज सवाल हमारे सामने १०, २० या ५० मेम्बर का नहीं है। आज सवाल यह है कि इस देश में जनतंत्र चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर यह विश्वास हो जाय कि जनता के नुमाइन्दे निकम्मे हैं, बेईमान हैं तो देश के अन्दर जनतंत्र नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। लेकिन यदि कुछ गलती की है, तो मान्यवर, हमारे देश में डेमोक्रेसी का अभी शैशवकाल है, हम अभी बचपने से गुजर रहे हैं और डेमोक्रेसी तो गलतियां करके अनुभव के आधार पर ही पनपती है। हमें अभी आजादी मिले थोड़े ही दिन हुए हैं। गलती होगी, हम फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, और फिर खड़े होंगे, तो गलती तो होगी। गलती सब से होती है, कोई संस्था संसार में ऐसी नहीं है जिससे गलती न होती हो लेकिन जिस तरह की लखनऊ में गलतियों का जिक्र माननीय किशोरी लाल जी ने किया, अगर इस तरह की गलतियां हैं तो मान्यवर, यह बहुत ही ताज्जुब की बात है कि पांचों महापालिकाओं ने एक सी गलती की है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे ये सब मेम्बर साहबान एक साथ मिलकर बैठे हों और कोई स्कीम बनाकर यह तय किया हो कि हम सब एक सी गलती करेंगे तो सब को दन्ड एक सा ही मिलेगा। इससे मुझे एक बात जरूर मालूम पड़ती है कि सरकार को जिस चीज को यहां पहले बतला देना चाहिये था उसे नहीं बतलाया। मेरे दृष्टिकोण से अच्छा होता कि तमाम वाकयात हाउस के सामने आ जाते और हाउस के सामने आने से पहले वे जनता के सामने आ जाते। मुझे यकीन है कि इस तरह की जो बद-उनवानी या अन्धेरगर्दी वहां हुई है अगर वे सारी चीजें जनता के सामने आ जातीं तो सभी यही कहते कि इन महापालिकाओं को समाप्त किया जाय। लेकिन मान्यवर, मैंने सुना कि लखनऊ महापालिका के संबंध में कोई इनक्वायरी कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आयी। मैं भी इस सदन का एक सदस्य हूं लेकिन मुझे पता नहीं कि उस रिपोर्ट के अन्दर क्या लिखा है। कम से कम उस रिपोर्ट को सरकार को पबलिक के सामने पेश कर देना चाहिये था। पता नहीं उसमें किसके और किस तरह के कारनामे थे, लेकिन किसी के भी थे उनको सब के सामने आना चाहिये था।

फिर एक बात और पारसाल से हमने इन नगरमहापालिकाओं को दो एक्सटेंशन दिये। एक ५ महीने के लिये और फिर ७ महीने के लिये और नवम्बर या दिसम्बर में चुनाव की तारीख तय की। इस तरह के वाकयात तो ४–५ वर्ष से बराबर होते आये होंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि पिछले ४, ६ या ८ महीने के अन्दर ही ये सारे वाकयात हुए, और पहले नहीं हुए और अगर ये वाकयात पहले हुए थे तो फिर इनको एक्सटेंशन क्यों दिया गया? इसके लिये तो सरकार को उन्हें वार्निंग देना चाहिये था कि आपकी हरकतें और गलतियां ऐसी हैं जिनसे जनतंत्र का गला घुंट सकता है लेकिन चूंकि जनतंत्र को हम मजबूत रखना चाहते हैं इसलिये आपकी जिन्दगी को बढा रहे हैं, आप अपनी हरकत ठीक कर लें। लेकिन ऐसी बात तो हुई नहीं। मान्यवर, इससे मेरे दिमाग में यह बात पैदा हो ती है और यह स्वाभाविक है कि यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे वाकयात आगे न हों। मान्यवर, अगर नवम्बर में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इमर्जेंसी की बात न आती तब इनके चुनाव हो जाते और तब इन बातों का प्रश्न नहीं उठता। मगर यदि दो महीने में ऐसे वाकयात हुए हैं तो हम इस नतीजे पर जरूर पहुंच सकते हैं कि इनका एक्सटेन्शन न हो बल्कि इनको ऐडमिनिस्ट्रेटर को सौप दिया जाये। एक कानूनी प्रश्न सामने आ सकता था और वह यह कि सरकार एक साल से ज्यादा का एक्सटेन्शन नहीं दे सकती सिवाय उस एक विशेष स्थिति के जब कि पैन इमर्जेंसी की बात हो। तो यह इमर्जेन्सी यहां मरे

दृष्टिकोण से तब तक है जब तक कि चीन की हरकतें जारी हैं और चीन की कुदृष्टि आज भी भारत की सीमाओं की तरफ है और इसलिये मेरी दृष्टि से यहां इमर्जेन्सी है और केवल इमर्जेन्सी नहीं है बल्कि ग्रेव इमर्जेन्सी है। अगर पाकिस्तान की तरफ से खतरे की बात मान ली जाय तब तो और भी ज्यादा इमर्जेन्सी अपनी जगह पर है। कल ही बर्किंग कमेटी ने तय किया है कि इमर्जेन्सी कंटिन्यू करती है। इस तरह से अगर एक्सटेन्शन करने की बात वाकई दिमाग में थी तो हम इमर्जेन्सी का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर हम इमर्जेन्सी का इस्तेमाल नहीं करते तो उसके लिये दूसरा आल्टरनेटिव यह था कि हमको आर्डिनेन्स निकालना पड़ता। आर्डिनेन्स इस बात का भी हो सकता था कि हम कारपोरेशंस का इन्तजाम एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में दे दें और आर्डिनेन्स इस बात का भी हो सकता कि हम आर्डिनेन्स के जरिये उनकी जिन्दगी एक साल के लिये और बढ़ा देते और इस बीच में चुनाव करा देते।

मान्यवर, हमारे सामने तीन बाकयात हुए हैं जिनमें जनता के नुमाइन्दों से पावर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटियों से हमने लेजिस्लेटर्स को हटा दिया चूंकि जो कर्जे दिये जाते थे वे वसूल नहीं होते थे, लेकिन वसूलयाबी की कोई जिम्मेदारी लेजिस्लेटर्स पर नहीं थी। या तो यह कहा जाय कि लेजिस्लेटर्स गलत आदमियों की सिफारिश करके उन्हें पैसा दिला देते थे। मगर चूंकि पैसा वसूल नहीं होता था, इसलिये लेजिस्लेटर्स को हटा दिया गया, इससे मुझे तकलीफ हुई। दूसरा वाकया मास्टर साहबान का था जिनकी अपील सुनने को एपैलेट कोर्ट बैठता था जिसमें एक प्रतिनिधि उनका और एक मैनेजमेन्ट का होता था मगर अब सारी पावर करना डिप्टी डाइरेक्टर्स को दे दी गई है। तीसरा कारपोरेशन्स का है ही। यह धारणा पैदा मुनासिब नहीं है कि जिले के अफसरान लेजिस्लेटर्स के मुकाबले में अधिक सजग व ईमानदार हैं इससे जनतन्त्र मजबूत नहीं होगा। फिर मुख्य नगर अधिकारी ही प्रशासक बनाए गये, यही मुख्य नगराधिकारी पहले भी थे। मैं उसे समझता हूं 'एडिंग इन्सल्ट टू इन्जरी।" अगर आपको देना ही था तो अज सरेनी एडमिनिस्टेटर्स आप नियुक्त करते ताकि यह बात न पैदा होती कि मुख्यनगराधिकारी तो ठीक थे मगर जनता के नुमाइन्दे ही गलत थे। उनको तो सरकार ने ट्रस्ट किया और जनता के नुमाइन्दों को नहीं किया। यह बात उचित नहीं है।

कैरल की बात कही गई यद्यपि उसका यहां कोई वास्ता नहीं था। एक साहब ने कह दिया कि जहां आपको माइनारिटी होती है वहीं आप ऐसा कर देते हैं। कानपुर में तो हमारी माइनारौटी नहीं थी। जनतंत्र को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी केवल शासक दल पर ही नहीं होती है, विरोधी पक्ष पर भी होती है। भगवान दास जी चाहें यहां मुझसे इत्तिफाक न करें मगर बाहर तो करते ही हैं, कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि १८ साल में भी कोई विरोधी दल नहीं बन पाया है और जो बना वह भी भानमती का पिटारा बना जो बहुत ही गैरजिम्मेदार है।

पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बैठी हुई हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि बजाय दो साल के इसे एक साल के लिये कर दें और इस १ साल में चुनाव कराने की कोशिश करें। मैं यह मानकर चलता हूं कि अभी तक सारी नगरमहापालिकाओं में गोलमाल हुआ है। मगर यदि हम यह कहें कि इसके बाद भी चुनकर जो नुमाइन्दे आवेंगे वे भी निकम्मे ही आवेंगे, तो इसके मानी यह हुए कि हमारा बुनियादी तौर से जनतंत्र और जनता के चुने हुए नुमाइन्दों पर अविश्वास प्रकट होता है। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करके उनके साथ नान-आफिशल एडवाइजरी कमेटीज रखिये ताकि सारी ताकत ब्यूरेक्रेसी के ही हाथ में न जाय। त्रिपाठी जी ने आर्डिनेन्स पर बहुत बड़ी आपत्ति की है। आर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता पड़ती ही है। यह बहस हो सकती है कि सरकार का फैसला सही था या गलत था। महापालिकाओं का समय समाप्त होने पर आर्डिनेन्स तो आना ही था, भले ही उसकी शक्ल कुछ भी होती। यह विधेयक अल्पकालिक व्यवस्था के लिये है। यह इन्तजाम थोड़े समय के लिये हैं, कोई परमानेन्ट इन्तजाम नहीं है। तो डेमोक्रेसी इसमें

[श्री नवल किशोर]

इतनी डेमेज नहीं होती। इसलिये जितनी जल्दी हो चुनाव करा दिये जायं। मुझे खुशी है कि माननीया मुख्य मंत्री ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटरों की मीटिंग बुलाई और उनको आदेश दिया कि वे जल्दी से जल्दी वहां की फाइनेंशियल कंडीशन्स को ठीक करें। मैं जानता हूं कि उनका ध्यान इस तरफ है। मैं आशा करता हूं कि माननीया पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी इस ओर ध्यान देंगी और जल्दी ही चुनाव कराने का प्रयत्न करेंगी।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह गवर्नर महोदय के आर्डिनेन्स के ऊपर जो विरोधी दलों का अमेन्डमेन्ट हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे कोई ऐसी वजह नहीं दिखाई देती जिसके लिये इस आर्डिनेन्स को लाने की जरूरत थी और इस आर्डिनेन्स के जरिये पांचों नगर महापालिकाओं को भंग किया जाता। मुझे याद है कि इनके चुनाव के बारे में कई बार सवाल पूछे गये, उनके लिये चुनाव क्षेत्र भी निर्धारित किये गये और तारीख भी तय की गयी, लेकिन मुतवातिर ३ सालों से नगर महापालिकाओं के चुनावों को टाला जाता रहा। दूसरी तरफ अचानक यह बात कह कर कि महापालिकाओं में भ्रष्टाचार है, इस बिल को ले आया गया।

माननीय नवल किशोर जी की बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं लेकिन इस बात को बिलकुल नहीं मानता कि भ्रष्टाचार में किसी और की जिम्मेदारी थी। इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी मुख्यतः रूलिंग पार्टी पर ही थी। कानपुर में कांग्रेस की ओर से हर बार मेयर के चुनाव के लिये किसी न किसी पूंजीपति को खड़ा कर दिया गया। सरकारी पार्टी के मिनिस्टरों और नेताओं ने मिल कर यह तय कर दिया कि एक बार राम रतन गुप्ता होंगे, दूसरी बार इन्दर सिंह होंगे और तीसरी बार शर्मा जी होंगे। मेयर की सबसे बड़ी जगह को इस तरह से पूंजीपतियों में बांट दिया गया। उन्होंने देश के लिये कभी कोई काम नहीं किया। किसी कारपोरेटर को उनमें कोई इनटरेस्ट नहीं। अगर किसी ईमानदार कांग्रेसी को खड़ा करते तो एक बात थी। लेकिन जब आपने उनको खड़ा कर दिया और लोगों से कहा कि तुम उनको वोट दो तो उनके मन में यह आया कि चलो थोड़ा बहुत इससे घसीट लो। इस प्रकार से लोगों ने वोटों को खरीदा। एक लाख रुपया खर्च किया। अब वह उस रुपये को वसूल कैसे करें। असेम्बली में भी सवाल उठा कि किस प्रकार से २–४ आने गज जमीन ली गयी और उसमें एक लाख रुपया और लगा कर उसको ४ और ५ रुपया गज बेच दिया गया। सरकार बैठी तमाशा देखेगी, घर में उसको करप्शन कम दिखाई देगा, वहां उसे करप्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। वह दिखाई पड़ेगा छोटे-छोटे कर्मचारियों में। ऐसा सोचने का तरीका ही गलत है।

मैं करप्शन का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज हालत यह है कि एक कांस्टेबिल अगर १ रुपया ले लेगा तो वह तो रिश्वत हो गई, एक चपरासी जो ६० रुपया वेतन पाता है और परेशान होकर १ रुपया किसी से ले लेता है तो वह घूस हो गई लेकिन वहां ५–५ हजार की और १०–१० हजार की थैलियां चलती हैं उसकी कोई गिनती किसी हिसाब किताब में नहीं है। अगर सरकार सीरियस थी तो कई बार यहां असेम्बली में भी सवाल उठाया गया और क्यों नहीं जो अफसरान जिम्मेदार हैं वहां से शुरू होता है तो अगर किसी को प्लाट दिया गया या मकान दिया गया तो वह गलती कोई चपरासी या क्लर्क तो नहीं करेगा, वह तो कोई बड़ा अफसर करेगा, कोई इंजीनियर करेगा कोई डिप्टी इंजीनियर करेगा या एक्जीक्यूटिव आफिसर करेगा। लेकिन आप ने आज तक इनमें से किसी के खिलाफ किसी मामले को लेकर जांच कराई? अगर कराई होती तो कोई मामला सामने आता और साबित होता लेकिन कुछ भी नहीं किया गया बल्कि अगर किसी ने असेम्बली में ऐसा सवाल भी उठाया तो उसको दबाने की कोशिश की गई, यह बहाना है या यह बात गलत है। मैं मंत्री जी से आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के द्वारा इतना कहना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि समाज में से करप्शन खत्म हो, लेकिन उसको खत्म करने का तरीका केवल एक ही है कि अव्वल तो आप गरीब आदमी की हालत सुधारें, उसे पेट भर खाने को दें और दूसरे जो आदमी बदमाशी करता है, उसको कसिये और तीसरे पहले ऊपर से अपने को ठीक कीजिये, आप इन्दर सिंह और राम रतन गुप्ता जैसों को अपने वोट न दीजियें। जहां तक चुने हुए आदमियों का ताल्लुक है सब तरह के आदमियों को आप उनमें भी पायेंगे, उनमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, विरोधियों में भी ऐसे केस मिल जायेंगे लेकिन रूलिंग पार्टी में अधिक मिलेंगे। डेमोक्रेसी में यह चीजें होंगी और अगर गड़बड़ थी तो उसका तरीका यही था कि आप चुनाव कराते। जनता को इस तरह से सीखने दीजिये, उससे कहिये कि फलां आदमी भ्रष्टाचारी है उसे वोट न दो, जनता सब स्वयं देखेगी, वह तोलेगी अगर कोई बेईमान है तो उसको अगली बार वह खुद ही वोट न देगी, दो बार बेईमान को चुन लेंगे लेकिन अगली बार वह खुद ही उसको नहीं चुनेंगे। यही डेमोक्रेसी का एक तरीका है कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन जो यह तरीका अपनाया गया है यह तो तानाशाही या फेसिज्मवाद का तरीका है, आपको यही करना है तो इन संस्थाओं को छोड़ दीजिये। आपके जो यह अधिकारी हैं नगर अधिकारी और एक्जिक्यूटिव अधिकारी यही सब कुछ करते है यह कारपोरेटर भी तो प्लाट के लिये इन्हीं अधिकारियों के पास जाते हैं कि मेरे भाई को यह प्लाट दे दीजिये। वह क्यों करते हैं? अगर कोई गलत काम कराने जाता है तो तुम इन अफसरों को क्यों यह सब करने देते हो? कोई दबाने का कारण नहीं है। बात यह है कि न तो तू मेरी कह और न मैं तेरी कहूं। भ्रष्टाचारी ही मिलकर यह करते हैं। इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप इसको जनता के ऊपर छोड़ दें। उन्हें अपने तजुर्बे से वोट देने दें। इससे ही जनता सीखेगी। लेकिन यह जो किया गया है वह अन-डैमोक्रेटिक है।

अभी माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि आर्डिनेन्स के सिवाय अब और कोई चारा नहीं था। मैं समझता हूं कि आज से ५ महीने पहले या ४ महीने पहले इलेक्शन हो सकता था और अब भी हो सकता है। कह देते कि हम ६ महीने के अन्दर दुबारा चुनाव करवा देंगे और तब इन्क्वायरी कराते और जनता के सामने रखते कि फलां फलां आदमी भ्रष्ट हैं तो कुछ उचित था परन्तु यहां पर यह कुछ नहीं हुआ। अगर ये कार्पोरेशन्स को खत्म न करते तो चुनाव होते और अगर चुनाव होते तो जनरल इलेक्शन से ४–५ महीने पहले होते। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन पांचों कबाल टाउन्स में हमारी कांग्रेस हारती और इससे जनरल इलेक्शन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। इसलिये इसे २ साल के लिये खत्म कर दिया, यह कह कर कि इसकी हालत को हम ठीक करेंगे।

कहा जाता है कि यह इसलिये किया गया कि भ्रष्टाचार को दूर करना है और फिर दो साल के लिये इसको टालना मुझे इसके सिवाय और कोई चीज दिखायी नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत था, यह मैं मानता हूं और अब भी है। यह रहेगा। माननीय नन्दा जी ३ वर्ष से भ्रष्टाचार मिटाने को कहते कहते दिक हो गये और आखिर में उन्होंने यह बात मान ली कि जब तक समाज इसके पीछे है तब तक इसको दूर करना मुश्किल है। जब तक इस देश में पूंजीवाद है और वह बढ़ रहा है पनप रहा है तो ज्यों ज्यों वह पनपता रहेगा, यह भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और बेईमानी का रोग बढ़ेगा ही। इसको थोड़ा बहुत रोका जा सकता है लेकिन आदमियों को आइडियल बनना पड़ेगा। बहुत वर्षों के बाद एक आदमी, जिससे हमें बहुत-सी प्रेरणा मिली, हमें अवश्य मिला जिसके बारे में यह जानकर खुशी हुई कि लाल बहादुर शास्त्री के न कोई बैन्क बैलेन्स था, न उनका कोई निजी मकान था। जहां ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मिनिस्टरों से लेकर नीचे तक, सौदे-बाजी करते हैं, जहां पर ऐसी बीमारी फैली हुयी है, वहां भी कुछ न कुछ लाल बहादुर जैसे ईमानदार आदमी मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर इस देश में हों और आदर्श के तरीके से अपने को पेश करें तब तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है अन्यथा यह कम होने वाला नहीं है।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

एक बात मुझे यह और कहनी है, हमारे माननीय मंत्री जी इसे इत्तिला के रूप में समझ लें कि कारपोरेशन के कर्मचारी निकाले जायंगे। इस तरह की बातचीत शुरू है। मैं माननीय मंत्री जी को यह बात बताना चाहता हूं कि यह निकालने की बात सोच समझ कर करनी चाहिये। आज अखबारों में है कि कल ही ५ क्वाल टाउन्स के कर्मचारियों की कानपुर में कानफरेंस हुई और उन्होंने अपना एक मांग पत्र पेश किया कि दिल्ली में चूंकि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने मंहगाई बढ़ा दी है अपने कर्मचारियों की इसलिये उनकी भी मांग है कि मंहगाई के मुताबिक हमारी भी मंहगाई बढ़नी चाहिये और नौकरी पक्की होनी चाहिये। इस तरह की मांग को लेकर के अगले महीने की पहली तारीख से आन्दोलन करने का और १७ तारीख से शायद हड़ताल की बात कर रहे हैं। ऐसी पांचों क्वाल टाउन्स के कर्मचारियों की मांग है इसलिये जल्दबाजी में जो बातें आपने शुरू की उनको रोकिए। अगर आप करेंगे तो और मुसीबत में फंसेंगे जिसको मुख्य नगराधिकारी रोक नहीं सकेंगे और झगड़ा फैलेगा और कारपोरेशन की हालत बजाय सुधरने के और भी बिगड़ेगी।

दूसरी बात यह कि हमारे कुछ अखबारों में भी ऐलान हुआ कि ४५, ५० रु० गज पर जमीन मिलेगी। जो उन्होंने ४ आने गज पर देहात वालों से एक्वायर की है और जिसका भाव ४, ६ या ८ रु० गज था, लेकिन अब ४५ रु० गज बेंचेंगे। यह शायद कारपोरेशन के फाइनेंसेज को इम्प्रूव करने की, सुधारने की बात हुई कि लोगों की खलड़ी उतार करके हालत ठीक की जाय यह, बात ठीक नहीं है। अगर उसमें कोई गड़बड़ियां थीं तो उनको दूर करें लेकिन ठीक ढंग से चलना चाहिये।

तीसरी चीज जो इस सिलसिले में कहनी है वह यह है कि मैं माननीय नवल किशोर जी से इस मामले में बिलकुल ऐग्री करता हूं, कोई एक एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार कमेटी मुख्य नगराधिकारी के साथ पांचों क्वाल टाउन्स में होनी चाहिये। इस बात को मैं सौ फीसदी सही मानता हूं। हमारे यहां यह ट्रेंड मौजूद है कि चुने हुए नुमाइन्दे चाहे मिनिस्टर हों, पार्लियामेन्ट के मेम्बर हों या असेम्बली के हों, चाहे कारपोरेशन के हों, उनकी तरफ सरकारी कर्मचारियों का तुच्छता का व्यवहार है। उनके लिये यह समझा जाता है कि ये गैर जिम्मेदार हैं, बेईमान हैं और जो आई० सी० एस० या पी० सी० एस० अधिकारी हैं उनको ईमानदार समझा जाता है। उनमें भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन एक ट्रेन्ड है जो गलत है। मैं कहता हूं कि दोनों ही में अच्छे आदमी हैं और दोनों ही में बेईमान आदमी हो सकते हैं, गलत आदमी हो सकते हैं। ज्यों ज्यों डेमोक्रेसी फैलेगी त्यों त्यों उनका एलिमिनेशन होगा। लेकिन यह धारणा जो डेमोक्रेसी के बुनियादी उसूल हैं उनके खिलाफ है। मैं यह बात मानने के लिये हरगिज तैयार नहीं हूं कि सरकारी अफसर को पब्लिक के चुने हुये नुमाइन्दों से किसी हालत में ज्यादा इज्जत की पोजीशन देनी चाहिये। हम तो रोज जानते हैं, कहीं चले जाओ, किसी के पास थाने में चले जाओ, कोई थाना ऐसा नहीं है जहां गड़बड़ न होती हो। ऐसे किस्से आते हैं, मान्यवर, अभी दो पार्टियों में एक झगड़ा हुआ। एक ने ५०० रुपया देकर बन्द करा दिया और दूसरे ने ४०० रुपये दे कर जमानत पर छुड़ा लिया। कहीं चले जाइये, मैं आपको दावत देता हूं कि हर जगह आपको रिश्वत का बाजार गरम मिलेगा। कारपोरेशन में देखिये, कचेहरी में जा कर देखिये, आप दस्तखत कर दीजिये फिर आपको मालूम हो जायगा कि ईमानदारी कहां है और मिसाल के लिये कानपुर के रेंट कंट्रोलर को ही ले लीजिये। यह जायदाद जो बढ़ती जा रही है क्या ३००, ४०० रुपये की तनख्वाह में बढ़ती जा रही है? आपके मुंह पर ये आफिसर्स कुछ नहीं कहते लेकिन पीछे आपको यही ज्यादा गाली देते हैं। मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जो किस्से होते हैं हमको उन्हीं से ज्यादा मालूम होते हैं। उनका कहना है कि आज कांग्रेस का राज्य है हम उनके साथ हैं कल आप का राज्य आयेगा आपके साथ होंगे। वह कोई बहुत अच्छी राय आपके बारे में नहीं रखते हैं। एक संतुलित मामला होना चहिये। डेमोक्रेसी में गलतियां होंगी लेकिन उसका यह तरीका नहीं है जो आपने अख्तियार किया। जनता को अपने अनुभव से सीखने देना चाहिये। गलत आदमियों के

खिलाफ कदम उठाना चाहिये । रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के किस्से रोज यहां आते हैं लेकिन विभाग के मिनिस्टर उसे दबा देते हैं । आपको उन्हें कवर नहीं करना चाहिये तभी सब मामला ठीक हो सकता है । इतना कह कर मैं आशा करता हूं कि कारपोरेशन के चुनाव एक साल के अन्दर आम चुनाव के पहले ही होंगे ।

श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं । जब अध्यादेश जारी हुआ तो हमारे नगर ने उसका बड़े हर्षपूर्वक स्वागत किया । एक निराशा सी हमारे लखनऊ नगर में फैली हुई थी कि यह महापालिका करेगी क्या ? न तो इसके द्वारा जनता को कोई सुविधा प्राप्त होती थी बल्कि उसकी और कठिनाइयां बढ़ती जाती थीं । ग्रामीण क्षेत्र जो इसमें शामिल किये गये वहां कोई कार्य नहीं हुआ बल्कि वे उन सुविधाओं से भी वंचित रहे जो ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण विकास खंडों से प्राप्त होती थीं । न तो महापालिकाओं द्वारा उनको कोई सुविधा मिल सकी और न उनके यहां कोई विकास कार्य हो सका और जो धन उनको विकास खंडों से प्राप्त होता था वह भी उनको मिलना बन्द हो गया । ऐसी दशा में इनके चले जाने से बहुत सुन्दर हुआ ।

इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अध्यादेश द्वारा ब्लैकमेल किया गया । लेकिन मेरे विचार में जनता के लिये इससे अधिक कोई हर्ष की बात नहीं हो सकती थी कि जो इन ५ महापालिकाओं में हुआ । हमारे सामने यह सवाल भी आया कि यह अनडैमोक्रेटिक है, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी आखिर क्या है ? डैमोक्रेसी तो वही है जो जनता की आवाज के साथ चले । इन महापालिकाओं के संबंध में जनता की आवाज थी कि सुपरसीड होनी चाहिये । लेकिन गवर्नमेन्ट ने नहीं किया । यह तो बहुत पहले सुपरसीड हो जानी चाहिये थीं, लेकिन विरोध करने के बाद भी उनको दो एक्सटेंशन मिले । हम लोग चाहते थे कि इलेक्शन हो जायं लेकिन विरोधी दल के नेताओं ने मजबूर किया कि उनको एक्सटेंशन दिया जाय । हमारे अनुरोध को हमारे नेताओं ने नहीं सुना । हमने यह भी आगाह किया था कि आप जो एक्सटेंशन दे रहे हैं उसका नतीजा यह होगा कि सदन में जब भी कोई बिल प्रस्तुत करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने एक्सटेंशन गलत दिया लेकिन फिर भी एक्सटेंशन दिया गया ।

यह भी कहा गया कि न्याय मंत्री ने अपने क्षेत्र में ही वोट कैचिंग के लिये कार्य कराया । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र का जिक्र हमारे माननीय सदस्य ने किया उसी टुकड़े से वह हारे । हमारे यहां कैंडीडेट इलेक्शन में नहीं लड़ता है बल्कि आर्गेनाइजर लड़ता है । अगर न्याय मंत्री ने वहां कार्य कराया तो उनको वहां से जीतना चाहिये था । लेकिन वहां से वे हारे और जिस क्षेत्र में आर्गेनाइजर का असर था वहां से वह जीते ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

काम करने के बाद भी जनता ने उनको नहीं जिताया ।

श्री बालकराम वैश्य—

इसलिये वोट कैचिंग की बात कहना गलत है । अगर वोट कैचिंग डिवाइस सीखनी है तो मेरे पास आइये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, क्या इनका कोई स्कूल खुला हुआ है ?

श्री बालकराम वैश्य—

जी हां, खुला हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप दोनों आदमी आपस में बातें न करें।

[श्री बालकराम वैश्य]

यहां पर जो कुछ गलत तथा अवैध कार्यवाही हुई वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां की एक ऐडवर्टाइजिंग सोसाइटी है, उसके कई सदस्य मेरे पास आये, उन्होंने बताया कि विज्ञापन पट लगाने वाली एक ऐसी फर्म है, जिसका महापालिका से मुकदमा चला और महापालिका की ९० हजार रुपये की डिग्री हुई । लेकिन बहुमत दल के एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों से उस फर्म से समझौता किया गया जब कि महापालिका हाईकोर्ट तक लड़ी । ९० हजार की रकम का केवल ५२ हजार रुपये में समझौता हुआ और वह ५२ हजार रुपया ५०० रुपया महिने की किस्त की अदायगी की शर्त पर था और यदि न दे तो महापालिका उससे केवल सूद ले सकती थी, डिग्री वगैरह इजराह नहीं करा सकती थी । इतना ही हो जाता तब भी सन्तोष था मगर यह भी समझौते में था कि जब तक फर्म कायम रहेगी, विज्ञापन पट लगाने का कार्य उसी के हाथ में रहेगा, महापालिका को यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह किसी अन्य फर्म को काम दे दे। उसका परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी उसके पट लगे हुये हैं । रवीन्द्रालय के सामने बड़े पार्क और मेडिकल कालेज का जो पार्क है उसमें भी विज्ञापन पट लगे हुये हैं । ऐसी हालत में आप समझिये कि किस तरह से बहुमत दल के वरिष्ठ अधिकारी ने यह सब किया । जो स्थान पी० डब्ल्यू० डी० के हैं, उन पर विज्ञापन लगाने के लिये महापालिका को यह चाहिये था कि वह पहले पी० डब्ल्यू० डी० से आदेश ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होता था, विज्ञापन पट वह लगा देते थे और इस बारे में पी० डब्ल्यू० डी० से कोई आदेश नहीं लिया जाता था ।

महापालिका में असेसमेंट स्टाफ रखा गया ६ लाख रुपये साल के खर्च पर । दो साल उस स्टाफ से कोई काम नहीं लिया गया और इस तरह से १२ लाख रुपया फोकट में गया और बाद में उन्होंने यह समझा कि असेसमेंट करने से हम अगले इलेक्शन में हार जायेंगे, तो उन्होंने उसको बिलकुल स्टाप ही कर दिया।

स्लम क्लीयरेन्स के लिये गवर्नमेन्ट से डेवलपमेंट लोन मिला, किन्तु उससे विकास कार्य न कर मकान महापालिका द्वारा बनाकर बेच दिये गये और ये निराला नगर से कई लाख रुपये की जमीन महापालिका के बहुमत दल ने अपनी एक संस्था को नगण्य मूल्य पर दे दिया ।

आखिर ऐसी घटनायें जब होती थीं तो सरकार को कोई न कोई स्टेप लेना ही चाहिये था । ऐसा भी हुआ कि प्रचार विभाग से, जो बहुमत दल से सम्बन्धित दैनिक और साप्ताहिक पत्र हैं उनको इतने विज्ञापन दिये गये कि जितने शहर भर के किसी समाचार पत्रों को मिला कर नहीं दिये गये । यह आखिर तक एक तरफा कार्यवाही होती गयी । दो साल के कार्यकाल में एक मेयर साहब ने मारकेट बनवा ली जिसकी आमदनी ६ हजार रुपये महीने से भी ज्यादा है । सोचिये तो जिसमें महापालिका का मैटीरियल लगा हो, जिसमें उनके अहलकारान की मेहनत लगी हो, महापालिका के पी० डब्ल्यू० डी० का स्वाड लगा हो और उसको बनवा दिया गया हो, जो वह नहीं बना सकते थे २ साल पहले तक, तो आप ही सोचिये कि इन ६ वर्षों में क्या नहीं किया गया है ।

अमीनुद्दौला पार्क में जो नहरें और फौवारें बनावाये गये हैं पहले तो उनको कोई बहुत सुन्दरता के साथ नहीं बनाया गया है, दूसरे इतना कमजोर बनाया गया है कि मैं समझता हूं कि अगली बरसात तक नहर की पैरेलेल दीवारें पिरामिड की शक्ल में आ जायेंगी, क्योंकि उसमें कोई फाउंडेशन नहीं है और चौबीसों घंटे, ३६५ दिन उसमें पानी भरेगा और दीवार के नीचे पानी रहेगा तो होगा क्या, वह गिरेगा और उसकी हालत आपकी समझ में पूरी तौर से आ सकती है ।

इसके अतिरिक्त इतने बड़े कंट्रैक्ट को देने का अधिकार महापालिका को ही था कार्यकारिणी को नहीं था लेकिन उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये गये और इसको कार्यकारिणी में रख करपास कर लिया गया ।

सामाजिक विकास कार्यों के लिये महापालिका के पास धन रहता है । अगर आप उसकी लिस्ट को मंगा कर देखेंगे तो उस धन का अधिकतर हिस्सा बहुमतदल से सम्बन्धित संस्थाओं को दे दिया गया । थोड़ा जो बचा उसमें भी अधिकतर धन उन संस्थाओं को दिया गया है जिनका कहीं कार्यालय नहीं है, खाली जगह कागज पर नाम है, कुछ ही उचित संस्थाओं को जो २० फी सदी से ज्यादा नहीं होगी धन दिया गया है ।

महापालिका ऐक्ट के अन्तर्गत जलकर से किसी को मुक्त नहीं किया जा सकता । मगर हमारे यहां की महापालिका ने पहले १२० रुपये वार्षिक किराये तक जलकर से मुक्त कर दिया और फिर बाद में २८० रुपये वार्षिक किराये तक के मकानों को भी जलकर से मुक्त कर दिया जो सर्वथा अवैधानिक है ।

सरकार से जो धन मकानों को बनवाने के लिये मिला उसका मकान बनाया गया लेकिन उनको महापालिका के अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिये मकान दे दिया गया । पहले उनका किराया १० परसेन्ट वेतन का तय किया गया लेकिन बाद में बहुमत दल के सदस्यों को अधिकारियों पर बहुत दया आयी और उन्होंने उसका किराया ३० रुपया कर दिया ।

जो रुपया सरकार द्वारा गृह निर्माण कार्य के लिये दिया गया वह रुपया भी तनख्वाहों और भत्तों के भुगतान में खर्च कर दिया गया और नागरिकों को उसके लाभ से वंचित रखा गया । ठेकेदारों को रुपया दे दिया गया और यहां तक कि प्राविडेन्ट फंड का रुपया भी ठेकदारों के बिलों के भुगतान में खर्च हुआ और वह भी ऐसे कार्यों के लिये जिनका कहीं नामोनिशान नहीं है, कागज पर आर्डर हुआ, कागज पर स्वीकृति हुई और कागज पर ही जिनका निर्माण हुआ ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

एक उदाहरण दे दें तो अच्छा है ।

श्री बालकराम वैश्य---

गवर्नमेंन्ट इन्क्वायरी करेगी तो सामने आ जायेगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

अगर वह नाम दे दें तो उसका जवाब हो जायगा ।

श्री बालकराम वैश्य---

किस किस का जवाब दीजियेगा । जो चट्टियां चटकाते फिरते थे उन्होंने अट्टालिकायें बना ली हैं ।

मैं यह कह रहा था कि प्राविडेंट फंड का रुपया डाकखाने में जमा होना चाहिये था लेकिन उससे बिलों का पेमेन्ट हुआ । ऐसी दुर्व्यवस्था यहां पर महापालिका के शासन में हुई कि देखी और सुनी नहीं गई ।

श्री नाथूराम शिक्षक---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर प्रान्तीय सरकार की राजधानी है । यहां इतने बड़े शहर में सरकार के सामने गड़बड़ी होती रहे और यह सरकार देखती रहे तो यह कुछ समझ में नहीं आता है ।

श्री बालकराम वैश्य---

हम तो चिल्लाते रहे मगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी । बाद को सरकार को ऐसा करना पड़ा । निशात सिनेमा के पास जो क्वार्टर बनाये गये किराये पर देने के लिये उनको बहुमत दल ने अपनी विभिन्न संस्थाओं को और अपने कार्यालयों के नाम से दे दिया वह भी बहुत थोड़े किराये पर । अपने मित्रों को या अपने सदस्यों को दे दिया गया और नागरिकों को उससे

[श्री बालकराम वैश्य]

वंचित रखा गया । इसको जाकर देखा जा सकता है ।

एक निशाचरी वृत्ति का और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं । अमीनाबाद पार्क में शरणार्थियों को देने के लिये दुकानें बनाई गईं । उन दुकानों का एक अधिकारी के घर पर अर्द्ध रात्रि में अलाटमेन्ट हो गया । उसमें एक लाख रुपये से ऊपर तक रिश्वत चली और दूसरे दल के जो सदस्य थे उस अलाटमेंट कमेटी में उनको सूचना भी नहीं दी गई । यह बात सही है या गलत इस बात का हमारे मित्र जवाब दें । न मालूम कितने शरणार्थी हमारे पास आये । मैंने सरकार से प्रार्थना की लेकिन सरकार हमारी बात को सुनती कम है क्योंकि हम लोग उनका समर्थन करने वाले हैं । जो उनको गाली दे और जो फ्लोर पर उनका विरोध करे उनसे वह डरती है । उनके कहन पर २, २ बार एक्सेटेन्शन भी दिया गया और उनके कहने पर यहां एलेक्शन भी नहीं हो पाया । उनको इस बात का गर्व था कि लखनऊ में एक दल का बहुमत हो गया है तो जनरल एलेक्शन में भी उनको सारी सीटें प्राप्त होंगी । थोड़े दिनों के बाद १९६२ में उन्होंने देखा कि लखनऊ में सारी सीट कांग्रेस ने जीतीं । उनको यह आशा थी कि महापालिका में कांग्रेस हार गई तो अगले एलेक्शन में भी इसका असर पड़ेगा । लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यहां पर कांग्रेस हारी तो दूसरी तरफ कांग्रेस जीती । इस लखनऊ नगर में जेनरल इलेक्शन में पार्लियामेन्ट और विधान सभा की १० सीटें थीं । उसमें से हमने ९ सीटें जीतीं । कोई उस महापालिका के एलेक्शन का असर उस पर पड़ा ? इस बात को वह भूल गये कि अगर उसमें वह जीत गये तो जनरल एलेक्शन में उनको पीट दिया गया । इस बात को उन्होंने भुला दिया । यह वह लखनऊ है जहां पर इतना होने के बाद भी जब कि महापालिका में हमारा बहुमत नहीं हो पाया था । वहां जो नेता विरोधी दल थे उस जमाने में उनकी यहां जमानत जब्त हुई थी । (व्यवधान) आज मैं नेता विरोधी दल को फिर आमंत्रित करता हूं, वे आ कर चुनाव लड़ लें और मेरा विश्वास है कि उनकी जमानत जब्त होगी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या यह सुझाव आप ने गुप्ता जी को भी दिया था ?

श्री बालकराम वैश्य—

अब यह विधेयक जो आप के सामने प्रस्तुत है (व्यवधान) सारी रामायण हो गयी, आप को अभी पता हीं नहीं कि राम कौन है और रावण कौन है । जो विधेयक प्रस्तुत है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और यह सुझाव देना चाहता हूं कि जैसा हमारे कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया, एक ऐडवाइजरी समिति जरूरी है, वह होनी चाहिये । यह डेमोक्रेटिक बात है, लेकिन मैं उन सदस्यों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह अध्यादेश डेमोक्रेटिक नहीं है । मैं समझता हूं कि इसके पीछे जनता की आवाज है ।

एक सदस्य—

एलेक्शन क्यों नहीं करा लिया ?

श्री बालकराम वैश्य—

वह भी हो जायगा । उसमें देर नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ सदन से निवेनदन करता हूं कि वह इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । यह जो संस्थायें हैं उन में हम सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करते हैं और इस का सिद्धान्त ही इनमें निहित है । अनेक व्यक्तियों को स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान होता है, वे समझते हैं कि कहां पर जनता को किस चीज की आवश्यकता है, और किन कामों से जनता को सहूलियत होगी, इसीलिये प्रजातंत्र में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण कर के स्थानीय लोगों

को इन संस्थाओं में शासन का अधिकार प्रदान किया जाता है । इसी को ध्यान में रख कर हमने गांवों में पंचायतों, न्याय पंचायतों, ब्लाकों और ऊपर में जिला परिषदों, नगर पालिकाओं नगर महापालिकाओं, विधान सभाओं और फिर संसद की स्थापना की ।

श्रीमन्, जहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है वहां अशिक्षित और अनभिज्ञ, अनुभवहीन व्यक्ति भी आ जाते हैं और उन के कारण बहुत बार जनता का हित सम्पन्न नहीं हो पाता । भूलें हम करते हैं और करते भी रहे हैं, परन्तु ऐसी भूलें और असावधानी जिनका व्यापक प्रभाव होता है उनको क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे बहुत बड़ा अकल्याण और अमंगल हो जायगा और प्रजा के चुने हुये प्रतिनिधि अगर ऐसी भयंकर गड़बड़ियां करेंगे तो जनता की जनतंत्र में आस्था नहीं रहेगी । इसलिये प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये, उसे घर घर पहुंचाने के लिये, मजबूत और सम्पन्न बनाने के लिये हमको अच्छे प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और अधिक से अधिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा । श्रीमन्, इस सिद्धान्त को कांग्रेस वाले अपने चुनाव घोषणापत्र में तो मानते हैं—वास्तव में उसे मानते या नहीं मानते, इसमें मुझे संदेह है । कागज में तो बड़े ऊंचे आश्वासन, वायदे, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दुहाई और रट लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो वास्तव में प्रकट रूप है उससे दिखाई देता है कि आज कांग्रेस सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बजाय केन्द्रीयकरण की ओर जा रही है ।

श्रीमन्, आप पंजाब की नगरपालिकाओं को लें । वहां ४—५ नगरपालिकाओं में जनसंघ का बहुमत था, अध्यक्ष था उसका, उसको उन्होंने पदाक्रान्त कर दिया । यहां ५ नगर महापालिकाओं को जो कि धीरे-धीरे कांग्रेस के विरोध में जा रही थीं समाजवाद के उस सिद्धान्त से हटकर जिसको प्रजातंत्र की रीढ़ कहा जाता है दलीय राजनीति के आधार पर और आगे आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर पदाक्रान्त कर दिया । यह कोई नयी बात नहीं है । जहां जहां विरोधी दलों ने अपनी क्षमता के अनुसार नगरपालिकाएं, नगर महापालिकायें, वा जिला परिषदें बना ली हैं वहां वहां वे सरकार की कोपग्रस्त हैं । आप भूले न होंगे, निर्जापुर की नगरपालिका जिसमें जनसंघ के भगवानदास जी बर्नवाल अध्यक्ष थे, इस सरकार ने उन पर अनुचित प्रक्रिया का दोषारोपण करके वहां से हटाया । तीनों बार माननीय हाई कोर्ट ने उनको बहाल किया । मैं पूछना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्री से कि उनको तीन बार क्यों हटाया गया ? केवल इस कारण कि वे जनसंघ के थे । क्या यह पक्षपात का उदाहरण नहीं ? क्या यह उनकी सत्ता के विकेन्द्रीकरण की अभिरुचि का परिचायक है ? यही नहीं, कितने स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश में हैं जहां जनसंघ या अन्य दूसरे विरोधी दलों का चेयरमैन या बहुमत हो गया तो इन लोगों ने उन पर ओले डालने शुरू कर दिये और आंधी और तूफान लाना शुरू कर दिया । इतना ही नहीं, ये तो अपने अन्दर भी गुटबन्दी का शिकार हैं । यदि गुप्ता गुट का कोई आदमी है कहीं, वह गद्दी पा गया है तो त्रिपाठी गुट का आदमी उसे उलटने की कोशिश कर रहा है, वह विरोधी दलों से मिलता है और उसे उतारने की कोशिश करता है ।

एक सदस्य—

क्या आपसे भी कोई मिला ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जी हां ।

श्रीमन्, यदि कहीं त्रिपाठी ग्रुप का व्यक्ति अध्यक्ष हो जाय तो फिर महामहिम प्रातः स्मरणीय चन्द्रभानु गुप्त जी तथा उनका दल उनके इशारे पर उसको उलटने की कोशिश करता है । मैं श्रीमन्, एक दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा ।

श्रीमन्, हमारे बरेली जिले में कुछ नजूल की भूमि है । यहां पर नजूल की भूमि की बहुत चर्चा की गयी है । बरेली नगरपालिका का अध्यक्ष जब कांग्रेसी था उस समय नजूल की भूमि का सबसे ज्यादा दुरुपयोग बरेली में हुआ है । जिस प्रकार सल्तनत मुगलिया में, बादशाह सलामत जिससे खुश हुआ करते थे उसको जागीर बख्श दिया करते थे, तमाम टैक्स माफ कर दिया

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

करते थे । कांग्रेस की सरकर जिस पर खुश हो जाती है उसको नजूल की भूमि आदि देकर फायदा पहुंचाया करती है । मैं पूंछना चाहता हूं इस दुरुपयोग के अभियोग में आपने कितनी नगरपालिकाओं को पदाक्रान्त किया । हमारे यहां एक गिरीश बाबू हैं । उन्होंने कई एकड़ नजूल की भूमि पर कब्जा कर रखा है और कई पुख्ता मकान तथा दुकानें आदि बना रखी हैं । उससे उनको १५–२० हजार रुपये महीने की आमदनी है । उस भूमि का केवल ८० रुपया साल देना होता है । यह ८० रुपया साल जो देना पड़ता है यह भी, उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से उन्होंने नहीं दिया है । मैंने पिछली बार यहां एक प्रश्न भी किया था, जब श्री चतुर्भुज शर्मा जी के पास यह विभाग था। मगर आज तक कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गयी। जिस भूमि की लागत १५–२० हजार लाख रुपये की है उसका यह ८० रुपये साल किराया ही समझिये, मगर यह भी नहीं दिया गया है । उसका ऐग्रीमेन्ट डीड भी रिन्यू नहीं किया गया है । जब मैं बफ्तर में अधिकारियों से मिला और इसकी रिपोर्ट की तो मुझसे कहा गया कि वे मंत्री जी के विरुद्ध नहीं जा सकते। मैं चाहता हूं और मेरा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि वे एक कमीशन बिठायें जो इस बात की पूरी पूरी जांच करे कि किन किन व्यक्तियों ने नजूल की भूमि का दुरुपयोग किया है और वह जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन नगरपालिकाओं ने नजूल की भूमि का दुरुपयोग किया है उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ? क्या बरेली नगरपालिका को आपने पदाक्रान्त किया था ? नहीं किया था। क्या जितनी गड़बड़ यहां लखनऊ, कानपुर या वाराणसी नगर महापालिकाओं में हुई है, क्या उत्तर प्रदेश के किसी स्थानीय निकाय या जिला परिषद् में नहीं हुई ? मैं तो कहता हूं कि लखनऊ नगर महापालिका के लिये आपकी कोपदृष्टि थी। आपने उससे बजट हटा लिया। बजट की स्वीकृति गवर्नमेंट करती थी। तो उसके बाद अपदस्थ करने का क्या कारण है और पैसे का नियंत्रण आपका हो गया वह काफी था। और इसलिये कि आपको इनके कार्य की व्यवस्था में बदबू आती है आपने इस दलीय भावना से ओतप्रोत होकर ही यह कार्य किया है अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं और पैसे से हमारे अधिकार

(इस समय २ बज कर ३६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

आपने हटा लिये और उसके बाद से आप पदाक्रान्त करने में तुले हुए थे। इसके अलावा पदाक्रान्त करने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं कर सकते। जिन नगर महापालिकाओं के पास पैसा था, एक बात समझ में आ सकती है, आप कुछ देख रहे थे, कुछ समझ रहे थे, कुछ गलतियां देख रहे थे, कुछ आपने यह सोच लिया था कि आगे पैसे का दुरुपयोग होगा। लेकिन जिन नगर महापालिकाओं का बजट आपसे पास नहीं होता है और जहां एक नहीं अनेकों गड़बड़ियां हैं, वहां आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे यहां तो नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमैन श्री लक्ष्म ण-दयाल सिंघल ने क्या-क्या भ्रष्टाचार नहीं किये...

श्री उपाध्यक्ष––

किसी आदमी का नाम लेकर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उस पर आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार––

यह तो कांग्रेस वाले जवाब देंगे, श्रीमन्; यह तो व्यक्तिगत बात है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप को रोक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में जो बातें हों वे ही आप कहें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार––

अब तक मैं नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में ही बोला था। एक उदाहरण दिया। मैं क्या करूं। सच्ची बात सुनने में मिर्च लग जाय तो मैं क्या करूं ? मीठी लगने के लिये क्या मैं

मिठाई लाऊं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक जगह बात पकड़ी है तो वह उदाहरण देना ही पड़ेगा। हमारे वर्तमान जो चेयरमैन हैं उनसे पहिले वाले श्री सिंघल ने कम से कम एक लाख ५० हजार की जायदाद बना ली है। म्युनिसिपैलिटी का नाला पाट लिया और उस पर दुकानें और जायदाद खड़ी कर ली। बीसियों रिप्रेजेन्टेशन भेजे। उस म्युनिसिपैलिटी को क्यों पदाक्रान्त नहीं किया? श्रीमन्, उनकी आज भी तिजोरी खुली पड़ी है। वे एक लाख रुपया साल उस म्युनिसिपैलिटी से पैदा करते है। मैं आप से कहता हूं कि सी० आई० डी० की जांच बैठा लीजिये। अगर एक बात गलत निकले तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने को प्रस्तुत हूं। १९ तारीख को वर्तमान जनसंघ के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है और श्री सिंघल की तिजोरी खुली हुई है। इसकी आप चाहें तो गुप्त जांच करा लें। अब मैं श्रीमन्, कहां तक कहूं? एक नगरपालिका के समर्थन के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष—

इधर-उधर की बातें कहने से क्या फायदा है?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब मैं कोई बात कांग्रेस के खिलाफ कहता हूं तो आपको भी बुरा लगने लगता है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है, जो कुछ आप चाहे कहें। यह ठीक है कि सिद्धान्त की बात आप करें लेकिन बार बार यह कहना कि फलां आदमी ने चोरी की, फलां आदमी ने यह किया, जब जवाब देने वाला यहां नहीं है तो यह सब कहना ठीक नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अब तो मैंने किसी का नाम लेना ही बन्द कर दिया। किसी का नाम तो मैंने लिया नहीं। आगे आप जहां भी कहेंगे कि मुझे बुरा लगता है, वहीं मैं कुछ भी कहना बन्द कर दूंगा।

बरेली का जो कुतुबखाना गिरा, उसकी लाखों रुपये की मेटिरियल थी, आखिर वह कहां चली गयी? बरेली में जो बहुत सारी जमीन पड़ी है उसको भूतपूर्व चेयरमैन ने अपने रिश्तेदार के नाम और अभी तक एक सज्जन को जो स्पेशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अपने लड़के के नाम से उस पर कब्जा कर लिया। जिस हाकिम परगना ने उनके खिलाफ फैसला किया उसका फौरन ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें अगर नगर-पालिकाओं, स्थानीय निकायों या महानगरपालिकाओं के अन्दर कोई कांग्रेसी करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने को जो प्रजातंत्र का बड़ा हामी समझते हैं और प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं तो एटा जिला परिषद् के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटा दिया गया जुलाई में और आज तक उसका चुनाव क्यों नहीं कराया गया?

(व्यवधान)

'कलेजा थाम कर बैठो मेरी बारी आई'।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बहस करें, किसी पर छींटाकशी न करें। आप किसी का नाम लेकर कुछ न कहिये जो यहां सदन में आकर अपना जवाब नहीं दे सकता है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय गंगवार जी ने कहा २३ जुलाई, ६५ को अविश्वास का प्रस्ताव पास करा कर चेयरमैन को हटा दिया। लेकिन आज तक सरकार ने उसका चुनाव नहीं कराया। इसमें उन्होंने किसका नाम लिया है?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, जनता से चुन कर आया हूं तो अपनी बात कहूंगा ही । मैं वैसा नहीं हूं जो वे हैं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी फरमाया कि बुराई से आपको बुरा नहीं लगता लेकिन असलियत यह है कि किसी की बुराई करने से सबको बुरा लगता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अब मैं संशोधन पर आता हूं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सत्य के सुनने की क्षमता नहीं है। मैं केवल यह बात कहता हूं कि अगर उनका एक यही मापदण्ड है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और नगरमहापालिका, नगरपालिका और जिला परिषद् को पदाक्रान्त कर लिया तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत शुभ लक्षण है। नगरमहापालिकाओं पर कर्जा बढ़ रहा है, घाटे में जा रही हैं, सरकार का रुपया नहीं लौटा रही हैं, मान लीजिये ये सब आरोप आपके सही भी हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के ऊपर केन्द्रीय सरकार का कितना रुपया बकाया है, जनता से आपने कितना कर्जा लिया है, क्या उनको आपने वापस किया है? क्या आपने भ्रष्टाचार में कोई कमी की है? कभी परिवहन विभाग के मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी सास के नाम से परमिट ले लिया, कभी सामुदायिक विकास मंत्री जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सीलिंग कमेटी के चेयरमैन के पद का दुरुपयोग किया।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, ये क्या बातें कही जा रही हैं। अगर ऐसी अप्रासंगिक बातें होंगी तो उनका जवाब सुनने के लिये भी उनको तैयार रहना चाहिये। (शोर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

हिकारत से न देखो, अहिले साहिल अहले तूफां को।
कभी ऐसा भी होता है, किनारे डूब जाते हैं॥

इस प्रकार एक दो को छोड़ कर सारे मंत्रिमंडल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कांग्रेस के लोगों ने अपने लड़कों, अपनी पतोहुओं, अपनी बीवी के नाम से परमिट हासिल किये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बिल पर बोलिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

और यह प्रदेश की सरकार जनता को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे पायी, भुखमरी और महंगाई को कम नहीं कर सकी, भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती और ब्लैकमार्केटिंग में लगी रही। इसको अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिये था। राष्ट्रपति को लिख कर भेज देते। विधान सभा को भी भंग कर दें, हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। जिन सिद्धान्तों के अनुसार नगर महापालिकाओं को पदाक्रान्त किया, कृपया उन्हीं सिद्धान्तों को अपने ऊपर भी लागू करें अगर। उनसे ज्यादा यह सरकार पापी साबित हो तो गद्दी छोड़ दें, हम यह उनकी ईमानदारी पर ही छोड़ते हैं और अगर उनको अपनी ईमानदारी पर विश्वास न हो तो हम इसका निर्णय कर दें, बल्कि हम तो कहते हैं कि श्रीमन्, आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आप की आत्मा में भी कचोट होती होगी इसलिये हम आप को ही इसके निर्णय का अधिकार देते हैं कि अगर उन्होंने दण्डनीय कार्य किया है तो आप उनको हटाइये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमारी बात मानेंगे नहीं। आप ठीक बात पर आयें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आप श्रीमन्, घबरायें नहीं, अगर यह कांग्रेस के लो आप के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे तो हम आप को अपनी तरफ से अपनायेंगे लेकिन आप एक बार उनको.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह प्वाइंट बहुत हो गया, आगे और बात कहिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

हम आप को उपाध्यक्ष बना देंगे अपनी तरफ से आप घबरायें नहीं। मैंने अभी अपनी यह बात सामने रखीं कि जिन मान्यताओं के आधार पर, जिन गड़बड़ियों और अनियमितताओं को देख कर इन महापालिकाओं को सस्पेंड किया गया है। यदि आप गम्भीरता से देखेंगे तो पिछले ५–७ सालों की आडिट रिपोर्ट से मालूम होगा और उधर के मंत्रियों के व्यक्तिगत जीवन और कांग्रेस के व्यक्तिगत जीवन को देख लें और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार अगर जनता के सामने आये तो मैं कहता हूं कि इस विधान सभा को ही भंग किया जाना चाहिये और यहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना चाहिये।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश के स्थानीय निकायों में जिनके चुनाव नहीं हुये हैं उनके सरकार शीघ्र चुनाव कराये। उसमें यहां की जनता और उसका फल स्वयं बता देगा कि भ्रष्टाचार कहां है और दूसरे जितने यह स्थानीय निकाय हैं उन सब का सरकार एक बार स्पेशल आडिट करा ले सारे सूबे में तो उस से पता चल जायगा कि किस दल के चेयरमैनों ने कहां कहां क्या क्या गड़बड़ियां की हैं अगर आपने लखनऊ में कोई बात देखी है और जिसको आप बड़े जोर शोर से कहना चाहते हैं तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ने कोई बात पकड़ी है तो आप हमारे पर मुकदमा चलाइये और हम उसके परिणामस्वरूप हर तरह की सजा भुगतने को तैयार हैं। इसके लिये आप के पास कलेजा होना चाहिये और वह आपके पास है नहीं। आप के पास तो केवल बातें हैं जिन का कोई औचित्य नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहूंगा कि आप अपने गिरहबान में मुंह डालकर देखें। जितने कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और जो नगरपालिकायें उनके द्वारा शासित होती थीं उनकी आप जांच कराइये और विरोधी दलों के द्वारा जो नगरपालिकायें या महापालिकायें या स्थानीय संस्थायें संचालित होती थीं उनका भी जायजा लें और एक डंडे से सब को हांक दें। लेकिन उनका इसके लिये मुंह नहीं पड़ेगा, यह तो प्रतिहिंसा की आग में जल रहे हैं, उनके तो आग लगी हुई है। श्रीमन्, इन का बस चले तो यह हमें यहां रहने और बोलने न दें, यह तो आप की कृपा रहती है। इसलिये हमें भी बोलने को मिल जाता है वर्ना यह ५ मिनट में यहां सब पास करके साफ कर दें। लेकिन कभी कभी तो आप भी गड़बड़ कर देते हैं तो हमें दुख हो जाता है। परन्तु क्या करें हमें तो कुर्सी का आदर करना ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए। आप एक ही प्वाइंट को बार बारमत दुहराइये?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, आप की आज्ञा का मैं पालन करता हूं और इन शब्दों के साथ में माननीय नेता विरोधी दल के अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दलों के माननीय मित्रों की बातें सुन रहा था। मुझे हैरत हुई कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को मजबूत करने वाले, आजादी के बाद, ये राजनीतिक बच्चे आज हमको लोकतंत्र और विकेन्द्रीकरण का पाठ पढ़ाने के लिए यहां आये हैं। यदि हमारी लोकतंत्र के प्रति आस्था न होती, विकेन्द्रीकरण की आस्था न होती तो आज आजादी के बाद ये राजनीतिक दल यहां पर दिखाई न देते। श्रीमन्, हमारे जो विरोधी भाई हैं वे सभी इसकी एक नेगेटिव साइड रखते हैं, एक अन्धकार पक्ष रखते हैं। उन्होंने कोई पाजिटिव साइड, कोई ऐसी सार्थक बात सामने नहीं रखी जिससे यह समझा जा सके कि यह अध्यादेश के द्वारा जो महापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त किया गया है, यह उचित है। यह बात सही है कि लोकतंत्र में लोकतंत्रीय संस्थायें संगठित और अक्षुण्ण रहनी चाहिये लेकिन इसी लोकतंत्र में बहुत से टैक्स भी रखे गये हैं, बहुत से कन्ट्रोल और नियंत्रण भी रखे गये हैं। इन्हीं के द्वारा जो फासिस्ट जैसी प्रक्रियायें काम कर रही हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सहारा लेना पड़ता है। हमारे संविधान में भी इस बात का प्राविधान किया गया है कि जो लोग इस बात का दुरुपयोग करें, उनको समाप्त कर सकें। हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि यदि कोई लोकतंत्र को हड़प जाने की कोशिश करे, जो इसके बैरी हों, शत्रु हों, जो लोकतंत्र के नाम पर फासिस्टवादी हैं या प्रक्रियावाद चलाना चाहते हैं, जो भी इस प्रकार के तत्व हैं, उन तत्त्वों से लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़े-बड़े टैक्स की हमारे संविधान में व्यवस्था की गयी है।

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जो हमारे अध्यादेश के द्वारा महापालिकाओं का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया उसके बहुत से कारण हैं। मैं कानपुर की बात आपके सामने रखता हूं। कानपुर नगर महापालिका का आज ५ साल से जिस प्रकार का प्रशासन है, कानपुर से जितने समाचारपत्र निकलते हैं, जनतंत्र का बैरोमीटर कौन है? आज के अखबार। आप कानपुर के प्रत्येक अखबार को चाहे वह दैनिक हो, साप्ताहिक हो सबों ने महापालिका का कार्यकाल न बढ़ाने का स्वागत किया है। क्यों? इसलिये कि यह लोकतंत्र के नाम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मेट करके जो एक इस प्रकार का आज विचार चल रहा है उस प्रयास को इस अध्यादेश ने अन्त किया है और हमने महापालिकाओं को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर दिया है। कार्यकाल इसलिये नहीं बढ़ाया गया है कि जो उसमें बुराइयां आई हैं, जो त्रुटियां आयी हैं, आखिर आप भी तो हमारी त्रुटियों को दूर करते हैं और यह इसलिये कि आप में वह अधिकार निहित है। चूंकि हमारे पास अधिकार हैं इसलिये महापालिका में तमाम उन बुराइयों और त्रुटियों को इस अधिकार के द्वारा दूर करें। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तभी इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग किया जाता है, जिनके प्रयोग से विरोधी दल तिलमिला उठा है क्योंकि हो सकता है कि उन महापालिकाओं में आप की पार्टी के नगर प्रमुख हों या आप की पार्टी का वहां प्रशासन हो, इसलिये आप तिलमिला उठते हैं। दूसरों के लिये जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो आनन्द लेते हैं लेकिन जब स्वयं अपने सम्बन्ध में उस प्रकार की बातें सुनते हैं तो आप को बुरा लगता है। तो मैं आप से कह रहा था लखनऊ महापालिका के सम्बन्ध में माननीय किशोरीलाल और माननीय बालकराम जी ने विस्तारपूर्वक बताया कि किस प्रकार से अधिकारों का दुरुपयोग वहां हुआ है, दल के नाम पर, गुट के नाम पर या व्यक्ति के नाम पर। ठीक उसी प्रकार से कानपुर महापालिका में ५ साल में जो नगर प्रमुखों का चुनाव हुआ है उसमें कहा गया कि पूंजीपतियों के उम्मीदवारों की विजय हुई। यह तो श्रीमन्, लोकतंत्र है, लोकतन्त्र में वे हर व्यक्ति को जैसे आप लोगों को, जिन लोगों का लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है वे भी लोकतन्त्र के नाम पर जब आ सकते हैं तो उसी प्रकार से कोई पूंजीपति हो या साधारण व्यक्ति हो उसको खड़े होने का अधिकार है और उसी लोकतन्त्र ने उसको चुना। इसलिये लोकतन्त्र में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप किसी को रोक सकें। किन्तु भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो आप ने दुहाई दी, उसका जो आपने बचाव किया वह एक विरोधाभास की चीज मालूम होती है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार इसलिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ रहा है कि एक तरफ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें कम हैं और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ गरीबी है और एक तरफ अमीरी है। तो अगर गरीब भ्रष्टाचारी होंगे तो फिर भ्रष्टाचार का अन्त कौन करेगा। इसलिए यह एक तर्क देकर, एक प्रकार से उनको प्रोत्साहन देना उन छोटे कर्मचारियों को या मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को कि चूंकि उनमें गरीबी है इसलिए अगर वह घूस न लें, भ्रष्टाचार न करें तो क्या करें, इस प्रकार की दलीलें दे करके राजनीतिक मंच से आप एक प्रकार से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं और क्योंकि वही एक वर्ग ऐसा है जो धन्नासेठ लोग हैं या जो इस प्रकार के लोग हैं जिनसे भ्रष्टाचार का स्रोत भरता है उसको अगर कोई रोक सकता है तो वही समाज का अंग रोक सकता है जो गरीब है, जो आर्थिक कठिनाइयों से होकर चल रहा है। लेकिन अगर आप उसको पथभ्रष्ट कर देंगे, और हम इसलिये कहते हैं कि क्योंकि आप चाहते हैं कि लोकतन्त्र की जगह यहां अधिनायकवाद हो, यहां सामन्तवाद हो, यहां पूंजीवाद हो इसलिये हमेशा इस प्रकार की बातें होती हैं, दलीलें होती हैं . .

श्री हरीशकुमार गंगवार---

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य नगर महापालिका पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

आप जब बोल रहे थे तो वही तर्क आप देते थे। जिस तरह से सब स्पीचेज हुई हैं वही वह कह रहे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र---

मैं उन बातों का जवाब देता हूं जो जो भ्रष्टाचार की बातें यहां कही गई हैं और भ्रष्टाचार के समर्थन में जो बातें कही गई है कि इसलिये भ्रष्टाचार है कि वह चूंकि आर्थिक कठिनाइयों में है उनकी तनख्वाहें कम हैं लिहाजा वह भ्रष्टाचार न करें तो क्या करें।

तो इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं भ्रष्टाचार के प्रोत्साहन के लिये। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार समाज में है। और जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक भ्रष्टाचार रहेगा लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने का दायित्व उन्हीं लोगों पर है जो आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं, जो कम वेतन पाने वाले लोग हैं। अगर उनको भ्रष्टाचारी बना दिया गया विरोधी पक्ष की दलीलों से तो सचमुच इस देश का भविष्य अन्धकारपूर्ण होगा। मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि यह अध्यादेश उन्होंने जारी करके जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति की है। कानपुर और लखनऊ की जनता इस बात को समझती होगी कि ऐसे शासन से उसे मुक्ति मिली जिसके प्रशासन में नगर के हितों को नहीं देखा गया। यूसुफ साहब ने कानपुर की मोती झील की बात कही, कानपुर की बड़ी व चौड़ी सड़कों का जिक्र किया। वह बड़े नेता हैं शायद उनको कानपुर के भीतर घुसने का अवसर न मिला होगा वरना उनको मालूम होता कि गलियों में जो बल्ब लगाये जाते हैं वे हर सातवें दिन फ्यूज हो जाते हैं और अगर रात में इंसान सावधानी से उनमें न चले तो ठोकर खाकर गिर सकता है। ५ साल के प्रशासन के अन्तर्गत यह कार्य वहां किया गया है।

यूसुफ साहब ने यह कहा कि प्लाट तो प्रशासक ही देता है। यह गलत बात है। प्लाट देने के लिये एक एलाटमेंट कमेटी होती ह और उसमें ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को पहले से ही तय कर लेते हैं कि इतने प्लाट इनको देना है। ६१ से लेकर ६६ तक के समय में हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके ५०० रुपये जमा होंगे लेकिन आज तक उनको प्लाट नहीं दिया गया लेकिन उसके बरअक्श आप देखें कि महापालिका का कोई ऐसा सदस्य होगा जिसने अपने नाम प्लाट न एलाट करा रखा हो। जो प्लाट नीलाम किये जाते ह उनकी कीमत ५० से लेकर १५० रुपये गज तक मिलती है या जो डेवलप किये जाते हैं और कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिये जाते हैं उनकी कीमत कम से कम १२ से १४ रुपये गज तक होती है लेकिन जो जमीन महापालिका के सदस्यों ने एलाट करा ली है अपने नाम वह ४, ५ रुपये गज की है और वह भी शहर की चुनी हुई जमीन। इससे बढ़ कर दूसरा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? विकास के नाम से जो रुपया लिया

[श्री देवदत्त मिश्र]

जाता है मालूम होता है कि महापालिका के सदस्य का जितना क्षेत्र है वहीं तक वह विकास सीमित होता है। कानपुर पैसे वालों का शहर है लेकिन ज्यादातर श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोग वहां रहते हैं और सरकारी क्वार्टर्स तथा लेबर कालोनीज को छोड़ कर महापालिका की तरफ से इन दोनों वर्गों की आवास व्यवस्था के लिये क्या व्यवस्था तथा सुधार किया गया ? कौन-सी उन्नति की गई है। अगर देखेंगे तो मालूम होगा कि सारा नगर वैसा ही है जैसा कि २०-२५ साल पहले था। अभी सरदार साहब से पहले जो नगर प्रमुख थे उन्होंने शहर को सुन्दर बनाओ अभियान चलाया और स्टेशन से लेकर परेड तक सड़क चौड़ी की गई। आज उसकी स्थिति देखिये तो मालूम होगा कि जो सड़क सुन्दर बनाई गई थीं वह ६ महीने के अन्दर ही बड़ी गन्दी हो गई है। कहीं मलबे का ढेर है, कहीं चूने का ढेर है और कहीं कोयले का ढेर है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो शहर को सुन्दर बनाया गया था उसको असुन्दर बना दिया गया है। ऐसी दशा में महापालिका के सदस्यों का एक ही लक्ष्य था कि न जाने ऐसा अवसर फिर आये या न आये, कहीं यह सौभाग्य फिर प्राप्त हो या न हो, इसलिये बहती गंगा में हाथ धो लें या पांव पसार लें, जो भी कहें, इस सिद्धान्त को उन्होंने चरितार्थ किया और इससे जनता क्षुब्ध हो रही थी, जनता रुष्ट हो रही थी और जनता में असन्तोष व्याप्त हो रहा था और इस अध्यादेश के द्वारा जो इन महापालिकाओं का कार्य-काल समाप्त किया गया उससे जनता को बड़ी प्रसन्नता हुई है।

(श्री काशीनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि मैंने नेता विरोधी दल से भी बातचीत कर ली है कि दो दिन बहस को हो गये हैं, लेकिन आपने इस समय काशीनाथ जी को बुला लिया है, इसलिये उनके भाषण के बाद आज विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

उनकी स्पीच के बाद आप प्रस्ताव पेश कीजिये, तब होगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, जहां तक महापालिकाओं के पदाक्रान्त का सम्बन्ध है उस संबंध में जब विधान सभा नहीं चल रही थी तो ३/४ अध्यादेश जारी किये गये। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर लोकतंत्र की बड़ी ऊंची बातें कही गई हैं। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि पहले १७, १८ सालों में राज्यपाल द्वारा जितने अध्यादेश जारी किये हैं, अगर उनका हिसाब लगाया जाय तो सारे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेशीय सरकार ही अकेली सरकार है जिसने अधिक से अधिक इस समय के अन्दर अध्यादेश जारी किये हैं और ऐसा लगता है कि यहां पर लोकशाही नहीं रह गई है और कांग्रेस की हुकूमत अध्यादेशों की सरकार बन गई है। पिछले कई सालों से महापालिकाओं का चुनाव नहीं करा रही थी और जब अवसर आया तो अध्यादेश के जरिये दो साल की अवधि बढ़ा दी है और दलील क्या थी कि महापालिकाओं में गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है और जुल्म है, विरोधी दल के लोगों ने कहा है कि इन दलीलों पर जो इनको सुपरसीड किया है तो सारे मंत्रिमंडल को राज्यपाल महोदय भंग कर दें जिस मंत्रिमंडल में बेरोजगारी बढ़ी है। मिश्र जी ने कहा कि रोशनी के अभाव में लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं लेकिन इनके समय में लोग भुखमरी से मर रहे हैं तो क्या मंत्रिमंडल को भंग करने के लिये राज्यपाल महोदय के पास दलील नहीं है। लेकिन यहां यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किस संकुचित दायरे में यह हुकूमत चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सारा सिलसिला राज्य का है जहां अध्यादेशों के जरिए हुकूमत बनाई जाती है। नीचे के आफिसर्स जैसी राय इनको देते हैं उसी में यह बंधे रहते हैं। इनका इच्छा कुछ नहीं चल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकती है। महापालिकाओं में भ्रष्टाचार था, सही काम नहीं होता था तो क्या यह जनहित में था कि उनको सुपरसीड करें ? उनको आपने हाथ में ले लिया अध्यादेश के द्वारा, आपकी दलगत नीति के भी यह विरुद्ध था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास अपनी कोई नीति नहीं रह गयी है। किसी तरह से उनकी कुर्सी बनी रहे, किसी तरह से उनके स्वार्थ सिद्ध होते रहें, यही उनका उद्देश्य है, और इसी की उनको केवल चिन्ता रहती है। जब अफसरों ने आपको राय दी कि उन्हें सुपरसीड कर दें, तब आपने उन्हें सुपरसीड कर दिया। तो आप इन नगर महापालिकाओं का शीघ्र से शीघ्र निर्वाचन करायें। यदि आप समझते हैं कि पार्टियों के द्वारा जिनका वहां पर बहुमत था, आपका काम नहीं हो सका है, लेकिन आप चुनाव टालते गए और एक ऐसा वक्त आया कि आपने उन्हें सुपरसीड किया। आप यह सोचते हैं कि इन नगर महापालिकाओं के जो दूसरे दलों के लोग चेयरमैन या मेयर बने हुए हैं, उनके हाथ में यदि सत्ता रही तो वह अपने ढंग से काम करेंगे, वह आपके कहने से नहीं करेंगे, केवल उचित काम करेंगे और आने वाले आम चुनाव में आपकी तरफ से जनता पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे तो आपने अध्यादेश जारी किया। श्रीमन्, इस प्रकार का सोचने तरीका बड़ा गलत है और इससे जनतन्त्र की जो हत्या होगी वह गलत बात है और दूसरे लोग जो निराशा की भावना के होंगे उनके अन्दर कोई उत्साह नहीं रहेगा काम करने का। जो यहां पर विरोधी दल की तरफ से दलील दी गई उनको देखते हुए, मैं सही कहता हूं कि यदि विरोधी दल मजबूत होता उसमें दम होता तो बजाय यहां पर बहस कराने के वे ऐडमिनिस्ट्रेटर के यहां जनता के साथ जाकर मजबूर करते कि हम सरकार के हाथ में तुम्हारा शासन नहीं चलने देंगे। सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया और यहां पर भी अपने बहुमत के बल पर उसे पास ही करा लेगी, अपनी बात मनवा लेगी। लेकिन जनता को, विरोधी पक्ष को चाहिए था कि वह ऐडमिनिस्ट्रेटर के यहां धरना देता, विकराल विरोध करता, सरकार को मजबूर करता देता अपना निर्णय बदलने के लिए, वह कह देता कि हम ऐडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नगर का काम नहीं चलने देंगे, तो आज यह स्थिति नहीं पैदा होती, लेकिन विरोधी पक्ष के पास ताकत नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में लाखों की तादाद में लोग आन्दोलन करते, धरना देते और जेलों को भर देते, ऐडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर को घेर लेते और स्पष्ट कह देते कि चाहे कुछ हो हम तुम्हारा शासन नहीं चलने देंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार की यह कार्रवाई हिम्मत न होती कि आपके जनतांत्रिक अधिकारों की वह इस तरह से हत्या करने का साहस करती और यदि उसने कर भी दिया है तो उसे वापस होने के लिए मजबूर होना पड़ता। जब यह भावना हम विरोधी दल के लोग जनता में जगा सकें कि वह बगावत करने के लिए तैयार हो जाए, तब शायद सरकार की आंख खुले।

आप सभी को याद होगा मैंने इसी प्रकार के अध्यादेशों के सन्दर्भ में राज्यपाल के अभिभाषण में रुकावट डाली थी और खड़े होकर कहा था कि आप इस प्रकार के ऊल-जलूल अध्यादेश निकाला करते हो। उस समय यदि इधर-उधर के बैठने वाले लोगों ने और पचास हाथ उठा दिए होते तो राज्यपाल भी शायद भविष्य में सतर्क हो जाते और भविष्य में ऐसे अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करने के पहले उनका हाथ कांप उठता। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और उसी का दुष्परिणाम हमारे आपके सामने है और आगे आगे आएंगे। मैं तो कहता हूं कि विरोधी दल नपुंसक और कायर हो गया है। यह सरकार जाना चाहती है, इसका अन्त समीप आ गया है, लेकिन विरोधी दलों में दम नहीं है कि उसे समाप्त कर सकें और सत्ता हाथ में ले सकें। यह सरकार तो बड़े-बड़े अफसरों के कहने पर चल रही है। आज की हुकूमत कांग्रेस मन्त्री नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो केवल इतने से ही सन्तोष है कि उनके सगे-सम्बन्धी अच्छी-अच्छी जगहों पर रहें, उनका ट्रांसफर कहां से कहां हो, उनकी कुर्सी कैसे बनी रहे, प्रदेश और देश चाहे जहन्नुम में चला जाय। यहां का शासन चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उनकी इच्छा से होता है, मन्त्रियों के हाथ में कुछ नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस भयावह स्थिति से विरोधी दल के माननीय सदस्यों को अवगत होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर महापालिकाओं का अन्त हुआ है, भविष्य में सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानीय निकायों का भी अन्त हो जायगा जहां पर उनका दल शासनरूढ़

[श्री काशीनाथ मिश्र]

नहीं है, इनका ऊल-जलूल का काम चलता रहेगा। जनतन्त्र को तो यह हत्या कर चुके हैं, जनतन्त्र उनसे कहां पनाह पा सकता है। जनतन्त्र उनके बूते की बात नहीं रह गयी है। आप ४-४ और ५-५ महीनों तक विधान सभा को बन्द रखें और अध्यादेश जारी करते रहें। दुनिया की किसी भी लोकशाही में ऐसा नहीं हुआ है कि इतने समय तक विधान सभाएं बन्द रहें और जनतन्त्र की हत्या करने के लिए अध्यादेश राज्यपाल द्वारा प्रसारित किए जायं। लोकतन्त्र में तो आपका विश्वास ही नहीं है, नहीं तो आप विधान सभा की बैठक बुलाते। आपका बहुमत है, इसको यहां पर बहस के लिए रखते। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट बोर्ड को अध्यादेश के द्वारा चलाया आपने, आर० के० नेहरू के खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला किया। लेकिन उस निर्णय को निरस्त करने के लिए राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया। नगरपालिकाओं को सुपरसीड करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया और हमारे बहुत से कामों को अध्यादेश के जरिए से चलाते रहे। विधान सभा तो राज्यपाल के अमनसभाई का दरबार हो गया है। १५ रुपए रोज का भत्ता लो, अनुमोदन का प्रस्ताव पेश करो, पास करने के लिए हाथ उठा दो, बस कर्तव्य खत्म। क्या इस विधान सभा का अब मतलब यह नहीं रह गया है कि अपना भत्ता बनाओ और हाथ उठाओ ? मैं मन्त्रियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके दिमाग में विधान सभा का कोई औचित्य है भी या समाप्त हो गया है ? मैं मेम्बरों से पूछना चाहता हूं, इधर के नहीं कांग्रेसीपक्ष के लोगों से कि क्या उनकी आस्था लोकशाही में है ? जयपुर में जाकर बड़े लम्बे चौड़े प्रस्ताव पास करना और यहां काम यह, कैसे लोकशाही चलेगी। अगर सचमुच इसी तरह से अफसरान के इशारे पर काम होते रहे तो तानाशाही आएगी और एक दिन आपके ये अफसरान आपको लेकर डूब जायेंगे और हो सकता है एक दिन मिलिटरी शासन कायम हो जाय। एक तरफ तो आप लोकशाही और समाजवाद वगैरह की दुनिया में अनाप-शनाप छपवाएं और सारे काम अपने चन्द अफसरान के इशारे पर होते रहें तो क्या जनतन्त्र रहेगा ? इसका आप निरूपण करें। बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र किसी भी प्रदेश को लीजिए। १८ सालों के शासन में किसी भी कांग्रेसी हुकूमत ने क्या इतने अध्यादेश जारी किए हैं जितने इस उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके राज्यपाल ने किए हैं और जबसे श्रीमती सुचेता कृपालानी की सरकार आयी है तब से इसने तो कमाल कर दिया है। पंत जी और सम्पूर्णानन्द जी के जमाने से सबसे आगे बढ़ गयीं ये तो, अध्यादेशों की बाढ़ आ गयी है। संविधान इनको इजाजत नहीं देता, नहीं तो यह जनवरी और फरवरी में भी सेशन न बुलातीं और अध्यादेश के जरिए से बजट भी उत्तर प्रदेश की जनता पर लाद देतीं लेकिन अफसोस है कि संविधान में कोई ऐसा प्राविधान इनको मिला नहीं है। मजबूरन इनको विधान सभा का सेशन अब बुलाना ही पड़ा। वरना पिछले दो सालों में जितनी भी चीजें हुईं सब के लिए अगर विधान सभा का सत्र बुलाना टाल सके तो टाला गया और अध्यादेश जारी किए गए।

मैं यह कहता हूं विरोधी पक्षों से कि ऐसी सरकार को जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो करो तभी इस प्रदेश को, यहां की जनता की राहत मिलेगी नहीं तो सारे प्रदेश की जनता तो इनके कुशासन में कराह रही है। इन शब्दों के साथ मैं अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं खड़ा हूं।

(श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि मैं खड़ा हुआ हूं और आपने उनको बोलने के लिए बुला लिया तो क्या आप इस तरह से लोगों को खड़े हो कर कहने पर बोलने के लिए मौका देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, वह प्रस्ताव बहुत पहले आ चुका था और यह तय हो चुका था कि वह लिया जायगा। मैंने यह समझा कि वह प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह---

उन्होंने श्रीमन्, मैं खड़ा हूं मुझसे कहा था, आपसे तो नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, उनका यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (श्री चन्द्रबली सिंह से) आप कृपया बैठिए।

*श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट--

मान्यवर, मैं इस विषय को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहता कि जनसंघ के हाथ में कुछ ऐसी महापालिकायें थीं जिनके अधिकारों का हनन हुआ है या किसी और दल की थी और इस दृष्टि से इसको न देखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मान्यवर, मैं बिस्तार में उन बातों का जवाब नहीं दूंगा जो मेरे मित्र हरीशकुमार गंगवार जी ने कहीं लेकिन कुछ बातें उनकी मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित हैं जिनका मुझसे सीधा सम्बन्ध है और जिनका मैं नुमाइन्दा हूं इसलिए कर्तव्यवश थोड़ा-सा संकेत रूप में इस सदन को उस सम्बन्ध में वास्तविकता से परिचित कराना आवश्यक होगा। मान्यवर, इस प्रश्न को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। पहला तो यह है कि आर्डिनेन्स का प्रोमल्गेशन मुनासिब था या नहीं और दूसरा यह कि जो कार्पोरेशन्स में अनैतिकता, और खराबी बतलाई जाती है वह इस बात के लिए काफी औचित्य और मुनासिबत प्रस्तुत करती है कि उनको सुपरसीड किया जाय।

पहली बात तो यह है कि जहां तक आर्डिनेन्स का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी संकेतमात्र निवेदन किया था कि आज कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती जाती है कि जिस आर्डिनेन्स का इमर्जेन्सी को मीट करने के लिए, एक विशेष परिस्थिति पर काबू पाने के लिए औचित्य होता है वह औषधि एक रोज के भोजन की चीज बनती जा रही है। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि यहां विधान सभा की जब बैठक होती है या विधान परिषद् की बैठक होती है तब तो यह सोचा जाता है कि इस विधान मण्डल के सेशन समाप्त होने के बाद अमुक बात आर्डिनेन्स के द्वारा की जा सकती है। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है उन बातों के लिए, जिनको बिना आर्डिनेन्स के लाया जा सकता है विधान सभा के सामने, उनके लिए आर्डिनेन्स लायें तो यह एक गलत टेन्डेन्सी है। मान्यवर, ला मिनिस्टर साहब ने अपना भाषण देते हुए इस बात को बतलाया कि आर्डिनेन्स किन परिस्थितियों में लाना पड़ा लेकिन मैं आदर के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि उससे सन्तोष नहीं हुआ क्योंकि ऐसी परिस्थिति समझ में नहीं आई कि जिसके सामने आने के बाद इस निश्चय पर आना आवश्यक समझा गया कि इन कार्पोरेशन्स को समाप्त कर दिया जाय और उसके लिए २७ जनवरी को आर्डिनेन्स आया, और जब कि वह आर्डिनेन्स प्रभावी हुआ सदन के बैठने के कई दिन बाद। मान्यवर, अगर देखा जाय तो आप इस नतीजे पर आयेंगे कि पिछले कुछ सालों में जितने आर्डिनेन्स उत्तर प्रदेश में आए हैं उतने शायद दूसरे प्रान्त में नहीं आए। इस साल जितने आए हैं उतने शायद पिछले २, ३ सालों में भी नहीं आए। तो हम आर्डिनेन्स राज्य कायम कर दें जरा-जरा सी बात के लिए, मैं समझता हूं उचित नहीं है।

दूसरी बात यह है कि कार्पोरेशन के अन्दर बहुत-सी घोर अनैतिकता की स्थापना की बात कही गई और उसके लिए आर्डिनेन्स का लाना मुनासिब कहा गया तो मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर यह प्रश्न आता है कि उसका इलाज क्या यही था कि इन कार्पोरेशन्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

को सुपरसीड किया जाय। हमारे जो ये स्थानीय निकाय थे वह चाहे नगर महापालिका हों या नगरपालिका हों वह सब एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउन्ड थे डेमोक्रेसी के। तो क्या अब हम इस नतीजे पर आ रहे हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए हमारा ट्रेनिंग ग्राउन्ड से काम नहीं होगा और इनका सुपरसीड करना ही एक उपाय है। मैं यह समझता हूं कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो उनको गलती करने का मौका देना चाहिए। अगर वह गलती करते हैं तो उन गलतियों से ही जनतन्त्र की यहां पर स्थापना होगी। अच्छा होता कि हम उन गलतियों का सुधार करते लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए हम उस इस्टीट्यूशन को ही समाप्त कर दें यह उसका इलाज उचित प्रतीत नहीं होता है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा। इधर-उधर बैठने वाले लोगों ने अगर यही मापदण्ड रखा और इन्हीं सारी बातों में लगे रहे तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर हम यही सिद्धांत रखें कि अगर जन प्रतिनिधि गलती करते हैं तो उस संस्था को ही समाप्त कर दिया जाय तो यह स्थिति बड़ी भयावह हो जायगी।

इसके अतिरिक्त मैं दो एक बात और कहना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र हरीशकुमार गंगवार जी ने पता नहीं क्या-क्या कहा। कुछ बरेली का जिक्र उन्होंने किया। आपने उस को रोक दिया और मैं उसे और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जो बात सदन के सामने स्पष्ट शब्दों में आ चुकी है वहां का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि उससे उत्पन्न भ्रांति को मैं दूर कर दूं। उन्होंने कहा कि कोई चेयरमैन वहां पहले थे, श्री लक्ष्मण दयाल सिंहल, उन्होंने अपनी लड़के के नाम से चुंगी की जमीन ले ली। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल निर्मूल, निराधार और असत्य है और यह कहना चाहता हूं कि अगर इस की सत्यता में माननीय हरीश-कुमार गंगवार जी को विश्वास हो तो अपने हस्तक्षेप करके एक सप्ताह के अन्दर वे एक चिट्ठी डिपार्टमेंट को भेज दें। अगर वह इस प्रकार की चिट्ठी एक सप्ताह के अन्दर नहीं भेजेंगे तो यह समझा जायगा कि उन्होंने सदन को जान बूझकर गुमराह करने के लिये गलत खबर दी है और अगर वह अपने पत्र में इसी बात को दोहराते हैं और उसे लिखकर अपने दस्तखत करते हैं तो मैं समझूंगा कि उनको तो अपनी बात में विश्वास है....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं एक बात अर्ज कर दूं। जो एस० डी० एम० का फैसला है उसको माननीय सदस्य एक बार पढ़ लें तो ज्ञात हो जायगा कि उसमें किसका हाथ था। अदालत में मामला चला गया था, उसके बाद वहां से एस० डी० एम० का ट्रान्सफर किया गया इसलिए कि एक मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार उसमें फंसे थे और दूसरे सिंहल साहब थे। वह मुकदमा इसी लिए खारिज हो गया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

स्पष्टीकरण देकर माननीय हरीशकुमार जी ने इस बात को और भी विकृत कर दिया। उस फैसले को मैंने एक बार नहीं बीस बार पढ़ा है। उसके शब्द मुझे याद हैं। उसके अन्दर अगर यह बात हो तो फिर मैं कहता हूं कि वह बिल्कुल निराधार, निर्मूल और गलत है और अगर फिर भी उनको अपनी बात में विश्वास हो तो वह इतना साहस करें कि चिट्ठी लिख कर विभाग को भेज दें कि लक्ष्मण दयाल सिंहल के लड़के के नाम कोई जमीन ली गई थी। एक बात उन्होंने वास्तव में ठीक कही कि वहां पर एक बीस लाख रुपए की जमीन किसी आदमी ने हड़प करने की कोशिश की थी। बड़ा भारी षड़यंत्र था। स्थानीय अखबारों में खबर आ गयी मैंने मुख्य मन्त्री महोदया को उस बारे में चिट्ठी लिखी। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने उससे कड़ी कार्यवाही की और जो जमीन हड़पी जाने वाली थी उसे मुख्य मन्त्री के उस सामयिक ऐक्शन से बचाया जा सका और वह जमीन वापस आ गयी। नगरपालिका की जमीन उसको मिल गयी।

एक ही बात और कहूं कि जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं वे जनसंघ के हैं। हमारे हरीशकुमार जी ने बहुत सी बातें कह दीं। मैं उनकी सूचना के लिए बतलाना चाहता हूं कि आज १४ तारीख है, कल १५ तारीख है। आपके जनसंघ के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव है जो १९ तारीख को आने वाला है। उस जमीन को हड़पने के लिए जो मुकदमा चलाया गया था एक नगरपालिका के मेम्बर पर वह कल वापस होने जा रहा है। जनसंघ के नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति मिल गयी है। आपके अध्यक्ष उसके पीछे हैं। अच्छा होता कि माननीय गंगवार जी ने इन बातों का जिक्र यहां न किया होता। मैं मानता हूं कि गलती जनसंघ वाले भी करते हैं और कांग्रेस वाले भी करते हैं, चरित्र की कमी इधर भी है और उधर भी है, मुझमें भी चरित्र की कमी होगी इसलिए मैं इस प्रकार का मापदण्ड नहीं रखता। और इसी लिए कहता हूं कि यदि हम जनतन्त्र का पोषण करना चाहते हैं तो हम को जनतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास रखना चाहिए। अगर जन प्रतिनिधि गलती भी करते हैं तो उसको हम सुधारें।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी लिस्ट दी गयी कि ५ साल में कार्पोरेशन ने क्या-क्या गलतियां कीं और इसमें खासतौर से लखनऊ और कानपुर कार्पोरेशन्स के बारे में कहा गया। बाकी तीन की बात सदन में नहीं आयी। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि ५ कार्पोरेशन्स ने साइमल्टेनियसली गलती क्यों की। न्याय का मामूली सिद्धांत है कि अगर हम किसी को दोषी सिद्ध करें तो उसके खिलाफ ऐक्शन लें, लेकिन उस के पहले हम चार्ज लगायें, उससे जवाब मांगें, उसे अपनी सफाई का मौका दें। नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि अगर हम किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन लें तो उसे अपनी बात कहने का मौका जरूर दें। यह कोई शोभा की बात नहीं होगी कि पांच साल तक तो अपराधी अपराध करता रहे और फिर एक साथ सारे अपराध एक साथ ले लिए जायं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि जनतन्त्र में जनता का विश्वास खत्म हो जाय। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि हरीशकुमार गंगवार जी जिस नगर के रहने वाले हैं, मैं भी वहीं का प्रतिनिधि हूं। वहां पर खुल्लमखुल्ला यह बात आयी कि जो जनसंघ के वहां के चेयरमैन हैं उन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया। उसके लिए कहा गया कि आर्डिनेन्स जारी हो गया है और अब अविश्वास का प्रस्ताव दो साल तक नहीं आ सकता। इसका अखबारों में एलान किया गया। फिर मैं माननीया मुख्य मन्त्री को बधाई दूंगा कि उनको मैंने सूचित किया और वह चीज आगे नहीं बढ़ पायी। आज फिर कहा जा रहा है कि अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया तो पालिका सुपरसीड कर दी जायगी। तो एक ऐसा वातावरण प्रदेश भर में पैदा हो गया कि जब कार्पोरेशन्स सुपरसीड हो सकते हैं तो नगरपालिका भी सुपरसीड की जा सकती है। सुपरसीड की जाय, ऐक्शन हो, अगर जन प्रतिनिधि गलती करते हैं तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय, लेकिन इसमें भी पब्लिक को विश्वास रहना चाहिए, उसका आधार मेरिट्स होना चाहिए। वह समय पर की जानी चाहिए, जब इच्छा हो, तब ऐक्शन लिया जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैं इस ऐक्शन का कि कार्पोरेशन्स को बिलकुल दो साल के लिए समाप्त कर दिया जाय और वहां पर यह समझ लिया जाय कि जनप्रतिनिधि जिनको जनता के सामने जाना पड़ता है और जनता के प्रति जिम्मेदार हैं वह तो गलत काम करेंगे और एक व्यक्ति उन सारे कामों को ठीक कर देगा, यह मैं सही नहीं मानता।

एक मित्र ने जो मेरे बराबर बैठे हुए हैं कहा कि कानपुर के जितने लोकल अखबार थे उन्होंने इस सुपरसेशन का स्वागत किया। मान्यवर, मैं उनके सिद्धांत को मानता हूं कि आज के जनतंत्र में अखबार आम जनता के हृदय की गति को जानने का सबसे अच्छा माप-दंड है, लेकिन अगर उसी को लें तो सारे देश के प्रगतिशील अखबारों को पढ़ लें। किसी भी अखबार के एडीटोरियल ने जस्टिफाई नहीं किया इस ऐक्शन को, चाहे वह उत्तर प्रदेश के अखबार हों या बाहर के हों। तो जहां तक सिद्धांत का सवाल है, उसको मैं अच्छा नहीं समझता हूं। मैं उन तर्कों से सहमत नहीं हूं जो माननीय हरीश कुमार गंगवार ने दिए कि यह काम इसलिए किया गया है कि इससे कांग्रेस को मैजारिटी लाना चाहते हैं या इसका इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा। बालकराम जी ने इसका जवाब दे दिया कि बाद में भी बहुमत से कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए और फिर

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट[

से हो सकते हैं। इससे कोई संबंध नहीं है। है लेकिन यह सिद्धांततः गलत है, इसलिए मैं उस सिद्धांत का विरोध करता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब यह विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अब यह विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने अपना प्रस्ताव पिछले दिन पढ़कर उस पर अपने विचार व्यक्त किए थे। जो माननीया मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था उसका जितना संभव उत्तर हो सकता था, मैंने दिया था और मैं तब से निरंतर सबके विचार सुनता रहा। मेरा अपना विचार व्यक्त होने के बाद यदि मंत्री महोदया कुछ और नयी बात कहेंगी जिसका उत्तर मैं न दे पाऊं तो मुझे दुःख होगा क्योंकि मैं आशा करता हूं कि अब जो बात कही जायगी वह उत्तर में कही जायगी, नयी बात नहीं कही जायगी।

अब श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी और जगदीशशरण जी ने और जो एक आध सज्जनों ने जो बात कही है वह सचमुच बहुत अंशों में---जो सैद्धांतिक बात थी---वह यथार्थवाद पर आधारित है। मैं उनके साथ सहमत हूं। उन्होंने सच्ची भावना और हृदय से वह चीज सदन में रखी---जो एक जिम्मेदार आदमी को रखनी चाहिए ताकि दूसरे सुनने वाले न कहें कि वह व्यक्ति अपने अन्तःकरण या हृदय से चोरी, कर रहा था। सार में उन्होंने यह कहा कि जो कुछ भी हुआ, हमें इस जनतंत्र की, प्रजातंत्र की रक्षा करनी चाहिए। इतना ही हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम कोई कानून बनाये बल्कि हमको अपने व्यवहार से भी सिद्ध करना चाहिए कि हमारा उसमें कितना विश्वास है---यही मैंने उनकी बात से समझा।

अब मैं एक बात कह दूं कि जितने आरोप लगाए गए कि जनसंघ की अमुक नगर महापालिका ने इतना खा डाला, अमुक व्यक्ति ने इतना खा डाला, मैं उसकी बहस में नहीं जाता। मैंने इतना ही संतोष रखा, जैसा कि मैंने एक दिन कहा था कि इंग्लैंड में एक घटना हुई। चर्चिल से किसी ने पूछा कि कितनी कैजुअल्टी हुई? तो उन्होंने कहा कि ९०० हुई, उसमें ३०० मारे गए, ४०० जख्मी हुई और बाकी अस्पताल में पड़े हैं। जो सही फिगर्स जानते थे उन्होंने उनसे कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं? तो चर्चिल ने जवाब दिया कि तब तक वक्त निकल जायगा, गिनने कौन जाता है? तो ऐसे ही ४,००० उन्होंने खाया, १५,००० उन्होंने लिया, यह उनकी जिम्मेदारी पर छोड़ देता हूं। लेकिन करप्शन की बात और यह कि किसने कहां खाया यह कांग्रेस बेंच से आती है तो दिल तिलमिला उठता है। एक वह व्यक्ति को स्वयं शीशे के घर में बैठा हो उसे दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यदिदलील के लिए मैं यह मान भी लूं कि पांचों नगर महापालिकाओं में गड़बड़ी थी, तो आपने करोड़ों रुपयों की जो बात आडिट रिपोर्ट में है, इस्टीमेट कमेटी में है, उस ओर आपने अभी ध्यान क्यों नहीं दिया? कभी आपने अपने मेंबरों के चरित्र की ओर, मैं केवल पैसे से संबंधित ही कह रहा हूं, भी देखा? मैं किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने का आदी नहीं हूं। लेकिन जो कुछ होता है उसे देख कर लज्जा आती है। अगर किसी सिद्धांत पर हमारे हमला किया गया होता तो हम सोचते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह कि क्या वे प्रजातंत्र की रक्षा चाहती हैं या नहीं ? भ्रष्टाचार मिटाना चाहती हैं या नहीं ? मैंने पहले बस्ती जिले की बात की थी। आज एटा जिले की बात कहना चाहता हूं। वहां के अध्यक्ष के विरुद्ध २० जुलाई, १९६५ को अविश्वास का प्रस्ताव पास किया गया, सरकार ने क्या किया ? जहां-जहां जितने भी चुनाव होने थे सरकार ने आज तक नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि इनको विश्वास नहीं था कि कांग्रेस जीत कर आयेगी। एटा में इन्होंने क्या किया ? इस समय एक उपाध्यक्ष, जिनको सरकार ने नामिनेट किया है, वह उसका प्रशासन चला रहे हैं। जिन्होंने शेम शेम शब्द का प्रयोग किया था मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वे जरा कलेजे पर हाथ रख कर देखें, ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा नामिनेट किया गया है, जिसका चुनाव नहीं हुआ है, जिसको जनता ने नहीं चुना है, जो सरकार का प्रतिनिधि है, जनता का नहीं, जिस पर डकैती का मुकदमा भी चला, जो हिस्ट्रीशीटर भी है, मैं इसको चैलेंज करता हूं, अगर गलत हो तो मुझे बताया जाय मैं माफी मांग लूंगा, मगर यह सत्य है, उसको आपने उपाध्यक्ष नामिनेट किया है और वह वहां का प्रशासन चला रहा है। क्या इससे प्रजातंत्र की रक्षा होगी ? अगर वह जनता द्वारा चुना हुआ आदमी होता तो मेरी समझ में आ जाता। जरा देखिए अपनी ओर भी कि आपने क्या-क्या किया है। अपने शीशे के घर को भी देखिए। अगर कोई आदमी गड़बड़ी करता है तो आप उस पर मुकदमा चलाइए, ४०९, ४०६ में मुकदमा चलाइए, उसको डिसमिस कीजिए। जैसे माननीय हरगोविंदसिंह जी उत्तर दे दिया करते हैं, कि जब पुलिस के दरोगा और कांस्टेबिल ही चोरी करेंगे, जब रक्षक ही भक्षक हो जायेंगे तो क्या होगा, उस तरह के उत्तर देने से प्रजातंत्र की रक्षा होने वाली नहीं है।

श्रीमन्, एक किस्सा नहीं है, अनेकों हैं। सीतापुर में मोहम्मदी में इलेक्शन होने जा रहा था। लोगों ने पर्चा दाखिल कर दिया था। कुछ लोग अनकन्टेस्टेड हो गए थे, दूसरे दिन सरकार के आदेश पहुंचे, "आल इलेक्शनन्स कैन्सिल्ड"।

हमको श्रीमन्, कहा जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं, मगर जो लोग मुस्लिम लीग से सुलह करते हैं, केरल में वे अपने गिरहबान में मुंह डाल कर नहीं देखते। मैं यह कह रहा था कि प्रजातंत्र की हामी भरने वाले और करप्शन की बात करने वाले खुद उल्टा आचरण करते हैं। आपने हमारी गलती देखी पर आपने फरजी इलेक्शन करवाये अगर वह जनता ऐसे ही गलत आदमियों को चुनती है तो फिर भेजेगी, फिर किसी वक्त अपनी राय बदलेगी। आप अच्छे हैं तो हम भी हो सकते हैं। अगर कांग्रेसी अच्छा है तो कांग्रेस को ही जनता वोट देगी। आप में भी बुरे हो सकते हैं। मैं बुरे का पोषण नहीं करता। आप बुरे का पोषण करते हैं। मैं यह कह रहा था कि जिन्होंने साम्प्रदायिकता के आरोप लगाये करप्शन के आरोप हम पर लगाये, जो विकेंद्रीकरण चाहते हैं, जो प्रजातंत्र चाहते हैं, उनके लिये मैंने इतना जवाब दिया। ये कहते हैं कि विरोधी दल उधर बैठा हुआ है यह भानुमती का पिटारा है। यहां सोशलिस्ट हैं, प्रजा सोशलिस्ट हैं, माना इनका यह कहना सही है। उनके अपने अपने आदर्श अलग-अलग हैं, अपने अपने आइडियल्स हैं। लेकिन इसमें मतभेद नहीं, इसमें समानता है कि आपका जो प्रशासन है वह भ्रष्ट है, वह प्रजातंत्र को कबरें खोद रहा है। आपका प्रजातंत्र भ्रष्ट आचरण विचार को पोषित कर रहा है। आपका पक्षपात म्युनिसिपैलिटीज को गहन अपराधों से बचाता है और कम अपराधों में दंड देता है। कहते हैं कि यह विरोधी दल भानुमती का पिटारा है पर उधर भी तो भानुमती का कौन सा कुनबा नहीं है। कोई मंत्री इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप दिल पर हाथ रखकर सोचिये। आप कहते हैं कि करप्ट हैं, करप्ट तो आपने सोसायटी को किया, करप्ट आपने सर्विसेज को किया, मिनिस्टरियल सर्विसेज को किया। देश का दुर्भाग्य है कि आज करप्ट राजनैतिक दल हो गये हैं आपकी करनी से। आपने अशोक मेहता को लेकर धीरे धीरे खींचन शुरू किया। मनुष्य में दुर्बलता होती है। कौन सा जीवन का पहलू है जिसमें से आपने करप्शन को अलग किया।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठा

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ऐसे बहुत से जिला परिषद् हैं जहां आज तक स्कूलों का इन्तजाम नहीं है पर कहा यह जाता रहा है कि बहुत बढ़िया यहां इन्तजाम रहा है। इस संबंध में मैंने माननीया अग्रवाल जी से कहा कि आपने ग्रान्ट्स कितनों को दी है जहां कोई प्रबन्ध दिखाई देता ही नहीं है। तो इस तरह से प्रजातन्त्र चलेगा कैसे? एक भाई ने ठीक कहा है कि अगर प्रजातन्त्र नहीं होता तो ये लोग यहां बैठते कैसे। अगर आज आपको संविधान बनाना होता और यह समझते कि ये लोग हमारी बातों को समझ पाते हैं तो आप प्रजातन्त्र का रुख बदल देते। पता नहीं आपका कौन सा प्रजातन्त्र है, इसे कौन सी संज्ञा दी जाय, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है।

आज आपकी दो चीजों पर मेरा आरोप है। आपने कहाकि इन पांचों नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार था लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि आपके पास उसका कोई एकाउन्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात गलत है।

अब मैं केवल एक सिद्धांत की बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, किसी को अपने मस्तिष्क के संतुलन को नहीं खोना चाहिये अगर इसके लिये कोई बड़ी बात भी कही जाय। अभी आपने कहाकि आपने सब भ्रष्ट कर डाला यद्यपि मैं इसको मानता नहीं हूं, मेरी सूचना यह है कि यह बात गलत है।

अब आर्डिनेंस पर कह कर मैं अपनी बात खतम करूंगा। अगर आप यह सोचते हैं कि सचमुच मे आपकी जनप्रिय सरकार है तो मैंने एक सीधा सादा मासूम सा प्रस्ताव रखा था और जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने व्यवहारों द्वारा और कानून द्वारा दोनों दृष्टि से आप प्रजातन्त्र की कब्र को खोद रहे हैं, इसके पैरों को तोड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि २७ तारीख की असेम्बली बैठने वाली थी और सरकार के पास समय नहीं था इसलिये आर्डिनेंस निकालना पड़ा। मैं आपसे कहता हूं कि बोलते समय आप यह क्यों सोचते हैं कि इधर सब बुद्धू ही बैठे हुये हैं। क्यों नहीं आप समझते कि जो कुछ गलतियां आप करते हैं, वे न कर सकें और आप ठिकाने से चलते रहें, आपके बायें पहिये की तरह से हम आपको सतर्क करने के लिये हैं ताकि आप कोई खतरनाक काम न कर सकें। इस आधार पर विरोधी दल आपको चलाना चाहता है लेकिन आप उसकी बातों को सुनने तक को नहीं तैयार हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि २५ तारीख को सरकार ने आर्डिनेंस प्रामुलगेट किया है। ऐसे ८ महीने पहले से आप की यह इच्छा थी लेकिन इस चीज को सामने लाने में आप लगाते थे, फिर पीछे हटते थे, फिर आगे हटते थे। आपने आर्डिनेंस की बात पहले न रखी क्योंकि किसी विधि विशेषज्ञ ने आपको बतलाया कि २७ तारीख के पहले आर्डिनेंस निकालना ठीक नहीं होगा। जैसा कि आपके पक्ष के ही एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से मौजूद थीं, आप अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि क्या आपको जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास है?

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अगर आपको जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास होता, जनता के प्रतिनिधियों पर विश्वास होता तो साल भर के अन्दर ही एलेक्शन करा सकते थे लेकिन चूंकि आपको उस पर विश्वास नहीं था इसलिये ही हमारे ऊपर आर्डिनेंस लाद दिया। आज भी आपने उसकी मियाद २ वर्ष की रखी है। आपका कहना है कि जब इसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी तब एलेक्शन होगा। जहां पर मैं नौकरशाही पर आरोप लगाता हूं वहां आप पर ही इस बात को छोड़ता हूं कि क्या इसी तरह से आप किसी की बेईमानी और ईमानदारी को तौल सकते हैं। आपके राज्य में तो जो आपकी मरजी के मुताबिक काम करता है उसकी तरक्की होती है, उसका कैरेक्टर रोल अच्छा बनता है। यहां तो उन्हीं की सर्विसेज की सिक्योरिटी है जिन पर आपकी कृपा है, जिनसे आप खुश हैं। आप इस गवर्नमेन्ट के लोग, इस कैबनेट के लोग हमको प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं कि क्या यही प्रजातंत्र का उसूल है? मैंने तो आपकी परख आपके एक-एक व्यवहार से की, जिसका कि मैंने अभी उदाहरण दिया। हमारे पास एक नहीं कई मिसालें हैं जिनको आपके सामने पेश कर सकता हूं और आप कहेंगी तो करूंगा। मैं कहता हूं कि अगर वही सिद्धांत वाली बात मान ली जाय तो फिर इस गवर्नमेंट के रहने की जरूरत

ही क्या है ? पहले आप अपने घर को देखें फिर दूसरों पर छींटाकशी करें। तो इन विचारों द्वारा जो बातें उस पक्ष से कही गयी थीं उनका मैंने उत्तर दिया ।

फाइनेंशियल पोजीशन की जहां तक बात है, अगर आप फ इनेंशियल पोजीशन अच्छी चाहते हैं तो सबको बराबर दृष्टि से देखें। अगर आपकी विधि ऐसी है कि जिस चीज के लिये हम किसी को कर्जा देते हैं, और उसने ५ या १० वर्ष के अन्दर उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो हम वापिस ले लेंगे, तो ठीक होता लेकिन आपने कोई ऐसा कानून बनाया नहीं है। अपने पर तो आप दोष देते नहीं और दूसरों को कहते हैं कि उन्होंने खा लिया, इसलिये हम सारे कारपोरेशन को सुपरसीड करते हैं। आपने यह ऐसा काम किया है कि सारे प्रदेश में आपका नाम इस पहलू पर डूब रहा है कि आप प्रजातंत्र की जड़े खोद रहे हैं। अगर आप जनता का विश्वास अपने अन्दर जानना चाहते हैं तो आप इसे घुमा कर पब्लिक की राय जानें।

इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव के बारे में अपने विचार समाप्त करता हूं।

*मुख्य मंत्री की सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, २ दिन की बहस में जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की बहस में भाग लिया और अपनी राय और सुझाव दिये मैं उन सबका आभार मानती हूं।

माननीय विरोधी दल के नेता से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह केवल ५ महापालिकाओं का विधेयक है, समस्त नगरपालिकाओं का नहीं है। उनका अधिकांश भाषण समस्त नगरपालिकाओं पर आधारित था। प्रथम दिन उन्होंने गोरखपुर नगरपालिका के बारे में आरोप लगाये थे। उनका कुछ ऐसा विचार रहा था चूंकि वह जनसंघ की नगरपालिका है इसलिये कांग्रेसी प्रदेशीय सरकार का अनुदान देने में आनाकानी का रवैया रहा। मैंने अपने विभाग से इसकी पूरी जांच कराई और जो अनुदान गोरखपुर नगरपालिका को सड़क के लिये दिये गये वे ये हैं —

सन् १९६२–६३ में २,७०,९०० रुपये
सन् १९६३–६४ में ७०,९०० रुपये
सन् १९६४–६५ में १,८०,१०० रुपये।

इनमें केवल एक अनुदान का उपयोग इस नगरपालिका ने किया है। दो अनुदानों के लिए उन्होंने ६६ तक का समय बढ़वाया है। मैं नहीं जान सकी कि वहां की नगरपालिका के अध्यक्ष ने माननीय विरोधी नेता को क्यों नहीं समुचित सूचना दी। जैसा कि स्वायत्त शासन विभाग समय-समय पर स्थानीय निकायों से आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिये आवेदन करता रहता है वैसे ही गोरखपुर की नगरपालिका से भी किया, साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कोई नगरपालिका गृह कर नहीं लगावेगी, अपने आर्थिक सोर्सेज को नहीं जुटावेगी, तो उसे अनुदान देने के बारे में सोचना पड़ेगा। गोरखपुर नगरपालिका ने सन् ५९ में गृह-कर आरोपित किया था। सन् ६५, में जैसे ही जनसंघ का बाहुल्य हुआ उसने प्रथम ही प्रस्ताव यह किया कि जल कर और गृह कर न वसूल किया जाय। उन्होंने लगातार स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध किया कि उन्हें इन करों से मुक्त किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस सरकार के पास कोई टकसाल तो है नहीं। यह जनता से करों के द्वारा ही पैसा जमा करता है और उसी जनता के हितों के लिये अनुदानों के द्वारा उसे वितरित करता है। अगर वह नगरपालिका टैक्स नहीं लगाती है और प्रदेशीय सरकार से आशा करती है कि वह समुचित धनराशि देकर उस नगर का विकास करे, तो यह असंभव है। इस सरकार के समस्त प्रदेश की स्थानीय निकायों का सवाल है और सारे प्रदेश की जनता का सवाल है। यही नहीं, सरकार ने वहां की नगरपालिका से बारम्बार अनुरोध किया कि वह इस विचार को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

छोड़ दे। वहां के एक डेपुटेशन से माननीया मुख्य मंत्री ने भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि एक वर्ष के लिये ६५-६६ के लिये आप कर वसूल कर सकते हैं तो हम विचार कर सकते हैं कि गत वर्षों के कर से मुक्ति दें। किन्तु उस नगरपालिका ने अपने पूर्वनिश्चय में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

जहां तक महापालिकाओं का संबंध है, मुझे बड़ी हैरत होती है जब में माननीय कमलासिंह जी जैसे,जो एक माने हुए एडवोकेट हैं, सदस्यों की बात सुनती हूं। वह इस सदन में बड़े बड़े ग्रंथों को लाकर दलीलें देते हैं। इस विधेयक के बारे में उन्होंने महापालिका अधिनियम की धारा ५३८ और ५३९ का बार-बार हवाला दिया। ये धारायें सुपरसीड करने के बारे में है या डिजाल्व करने के बारे में हैं। किन्तु जो आदेश अध्यादेश द्वारा जारी किया गया है वह न सुपरसीड करने का है और न डिजाल्व करने का है। कारपोरेशन ऐक्ट जिसे सन् १९५९ में दोनों सदनों के माननीय सदस्यों ने पारित किया था, उसमें सरकार को केवल १ वर्ष का समय बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। सरकार ने उन्हीं निर्वाचित सदस्यों के मांग करने पर, निरन्तर उनके कहने पर, ५ माह एवं ७ माह का कार्यकाल बढ़ाकर उस एक वर्ष के अधिकार का उपयोग किया। पहली फरवरी तक समय सीमित था, तो सरकार के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस संबंध में हम अध्यादेश के द्वारा यह निर्णय करा सकते हैं कि आगे को एक्सटेंशन न दिया जाय। सरकार को एक्सटेंशन देने का कोई भी अधिकार कारपोरेशन ऐक्ट में सदस्यों ने नहीं दिया था। माननीय मुख्य मंत्री ने लगातार सोचते हुए २५ जनवरी को ही यह अध्यादेश जारी करवाया। इस पर भी आलोचना हुई कि अध्यादेश इतनी देर से क्यों आया। इसलिये देर से आया कि इसको इच्छा से नहीं लाया गया था बल्कि विवशता-पूर्वक लाया गया था। उसी अध्यादेश के स्थान को पूर्ति के लिये आज यह विधेयक लाया गया है।

माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सी बातें कही गयीं। माननीय भगवान सहाय और श्री बालोजी अग्रवाल ने तो जनतंत्र की दुहाई देते हुए यहां तक आरोप लगाया कि यह विधेयक जनतंत्र की हत्या करने के लिये और कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त दूसरी पार्टियों को समाप्त करने के लिये लाया गया है। आप यह जानते हैं कि प्रदेश में सन् ६४ में चुनाव हुये थे। उसके बाद सन् ६५ आया और म्युनिसिपल ऐक्ट के अनुसार स्थानीय निकायों के माननीय सदस्यों को यह अधिकार मिला कि एक वर्ष उपरान्त वे अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं। इन तीन महीनों के अन्दर कम से कम १० नगरपालिकाओं और ५-६ टाउन एरियाओं में अविश्वास के प्रस्ताव लाये गये और पारित हुए। कुछ में विचार जारी है और कुछ में पारित होने वाले हैं। पार्टी लेबिल पर उसकी स्थिति इस प्रकार है कि ६ में स्वतंत्र पार्टी है, २ में जनसंघ है और शेष २ में कांग्रेस पार्टी है। इन १० में अविश्वास का प्रस्ताव पास करके अपने अध्यक्षों को हटाया गया है। इसलिये जनतंत्र की दुहाई केवल कांग्रेसपार्टी को न दीजिये वरन आत्म निरीक्षण भी कीजिये। वे स्थानीय निकाय स्वायत्तशासन की संस्थायें हैं, उन पर सरकार के द्वारा कोई अंकुश इस प्रकार का नहीं लगाया जा सकता कि सरकार उन अविश्वास के प्रस्तावों को पारित होने से रोक दे।

विरोधी दल के माननीय नेता ने यह भी कहा कि सीतापुर, मौदहा, और इटावा नगर पालिकाओं में चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। हम चुनाव कराने जा ही रहे थे कि देश के समस्त विरोधी दलों के सुझाव के अनुसार भारत के प्रधान मंत्री ने आपद्कालीन स्थिति में चुनावों को स्थगित कर दिया। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोग भारत की नीति के विरुद्ध कैसे जा सकते थे। लेकिन फिर भी ६ फरवरी को माननीया मुख्य मंत्री ने समस्त स्थानीय निकायों के इनडारेक्ट इलेक्शन कराये जाने के आदेश दे दिये हैं नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, टाउन एरिया के केवल उपाध्यक्षएवं नोटिफाइड एरिया के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जहां पर अविश्वास के प्रस्ताव पारित हो गये हैं या जहां होने वाले हैं या जहां उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है वहां चुनाव हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि

माननीय मुख्य मंत्री जी की ऐसी कुछ इच्छा हो कि हम जनतंत्र के इन तरीकों पर कोई बन्दिश लगा दें। यही एक कारण है और यह जो अध्यादेश और यह विधेयक आया है उसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि कारपोरेशन ऐक्ट की धारा ९ के अनुसार जितनी जल्द हो चुनाव हो सकेंगे उतनी ही जल्दी उनको सम्पन्न कराने का प्रयास किया जायगा। इसका कारण यह है कि इन महापालिकाओं के कार्यकलापों के बारे में कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किये हैं, हमने चुने हुये सभासदों को अयोग्य करार नहीं दिया है, किसी को अपमानित नहीं किया, किसी नगरप्रमुख को नहीं हटाया बल्कि हमने समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। आप यह भी समझ लें कि यथा-सम्भव हम जल्द से जल्द महापालिकाओं में चुनाव करायेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय में प्रथम ही कदम उठा लिया है जबकि यह बिल सदन के विचाराधीन था। पांचों महापालिकाओं के ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की बैठक करके उन्होंने स्वयं इस बात की इच्छा जाहिर की है कि वह महापालिकाओं की उसके लिये पृष्ठभूमि बनायें, वहां की वह अनियमिततायें मिटायें, उनकी माली हालत को ठीक किया जाय, बकाया की वसूली की जाय जिससे उनकी वह पृष्ठ भूमि बने जिससे जल्द से जल्द वह चुनाव कराने में सक्षम हो सकें।

मुझे बड़ा अफसोस होता है इस तरह की बात सुनकर और ऐसे आरोप लगाना आसान है किन्तु जो कार्य करने के जिम्मेदार हैं उनके साथ बंधे होते हैं उन कानूनों से जो कानून यह सदन पास करता है, सरकार चलाने के लिये उन कानूनों को सहारा लिया जाता है और इस स्वायत्त शासन के अन्दर जो कुछ भी मुझे काम करने का थोड़ा अवसर मिला है मैं जानती हूं यह काम ऐसा कोई नहीं है जिसमें कानून को न देखा जाय या स्थानीय संस्थाओं के अध्यादेशों को न देखा जाय। ला डिपार्टमेंट से भी सलाह लेकर चलना पड़ता है ताकि हमारे निर्णय ऐसे हों कि जिनको अदालत में या हाई कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। इस तरह से हर प्रकार की सावधानी इन कार्यों को सम्पन्न करने में बरती जा रही है। इसलिये इस पर इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा इस माननीय सदन को इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यह महापालिकायें जो हमारे पांच बड़े नगरों के नाम से अपनी में प्रसिद्धि रखती हैं उनके कामों में जितना अधिक से अधिक आप लोग सहयोग देकर जनता को राहत दिला सकेंगे और इन नियुक्त किये गये प्रशासकों को सहयोग दिला सकेंगे उससे उतना ही वहां के नागरिकों का हित हो सकता है और आने वाले समय में आपका भी हित हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी कि माननीय नेता विरोधी दल अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९६६ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

महापालिकाओं के प्रशासन के संबंध में

२—३१ जनवरी, १९६६ को कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ महापालिकाओं के कार्यकाल की बढ़ायी गयी अवधि की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध १ फरवरी, १९६६ को और उसी दिनांक से, दो वर्ष और स्थायी उपबन्ध की अवधि के लिये अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा ९ के अधीन

उक्त महापालिकाओं का पुनः संगठन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक उक्त महापालिका के सम्बन्ध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, महापालिका के नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य तथा मुख्य नगराधिकारी अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे;

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, उसकी कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों के और मुख्य नगराधिकारी के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रशासक में निहित हो जायेंगे और प्रशासक द्वारा ही उनका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायेगा और ऐसा प्रशासक विधि की दृष्टि में महापालिका, नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समिति अथवा मुख्य नगराधिकार समझा जायगा, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रशासक पिछले अन्तिम खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में—

(१) इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है;

या

(२) ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट रीति से संगठित की जाय;

(घ) प्रशासक का वेतन तथा भत्ते जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा तदर्थ निश्चित किये जायें, महापालिका निधि में से दिये जायेंगे;

(ङ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन, परिवर्तन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी है, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

*श्री प्रेमसिंह—

मान्यवर, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। श्रीमन्, जिस समय उन लोगों के बोलने की बारी आती है उस समय आप इधर न ध्यान देकर उधर ध्यान देने लगते हैं।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की चतुर्थ पंक्ति म "दो वर्ष" के स्थान पर "६ माह" रख दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारी सरकार जिस तरह से ज्यादती कर रही हैं यह उसे नहीं करना चाहिये। हम लोग, मान्यवर, ६ माह की मांग करें लेकिन वे लोग जो भी चाहेंगे वह ही करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कलंक हमारी सरकार को लग रहा है, जिन हालात में वह अध्यादेश लायी है, इस कलंक को वह धो दें और वक्त के अन्दर चुनाव, जो नहीं करा पायी है, उसको करा डालें, तो बेहतर होगा। अन्त में मैं इन चन्द शब्दों के साथ माननीय ठाकुर साहब से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि वे हमारे इस प्रस्ताव को मान लें।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

वैसे तो सारी बहस बड़े अच्छे ढंग से हुई है। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने सारी बातें प्रजातन्त्र के ऊपर कही है, सरकारी पक्ष के लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। मुझे खुशी है माननीय जगदीश शरण अग्रवाल की बात सुन कर। ६ महीने वाली जो बात है सरकार की कोई मंशा हो मुझे नहीं मालूम, परन्तु आम जनता की जो धारणा है वह यही है सरकार सिर्फ आम चुनाव जीतने के लिए इन महापालिकाओं को भंग किये हैं और वहां पर अपने ऐड-मिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये हैं। तो जो माननीय प्रेम सिंह का प्रस्ताव है वह ठीक है कि ६ महीने के समय में आम चुनाव के पहले सरकार चुनाव करा दे तो सरकार के खिलाफ जनता में जो धारणा बन गई है वह खत्म हो जायगी। इस पर कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार समझती है कि हमने वाकई गलत काम किया है तो उसको शीघ्र ठीक करने की कोशिश करे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आम चुनाव के पहले अगर सरकार चुनाव कराती है तभी जनतंत्र में लोगों की आस्था रह सकती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारी मुख्य मंत्री इस बात में बड़ी रुचि रखती हैं कि चुनाव जल्दी से करा दिये जायं और प्रदेश की कुछ स्थानीय निकायों के लिये उन्होंने ५ फरवरी को निर्देश भी दिये हैं। माननीय प्रेम सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है यह इस बात की कसौटी होगी जिस पर माननीय मंत्री के विचारों को कसा जा सकेगा। उन के अपने विचारों का यह एक मापदंड है। इस प्रस्ताव के मान लेने से यह बात जाहिर हो जायगी कि माननीय मुख्य मंत्री निश्चित रूप से जन भावनाओं का आदर करती हैं, निक भविष्य में ही ६ महीने के अन्दर ही वह चुनाव करा डालेंगी इस बात का निश्चय ही इस ट प्रस्तावकें मान लेने से जाहिर होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव इस तमाम अध्यादेश की जान है। अगर यह मान लिया जाय जो वास्तव में जनतन्त्र की जो दुहाई दी गई है वह पूरी हो जायगी।

*श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जैसा कि यह विधेयक इस प्रान्त की ५ महानगरियों के लिये है और इस विधेयक के लाने के उद्देश्य से सरकार ने कहा है कि राष्ट्र पर संकट आया था और हम समय से चुनाव नहीं करा सके इसलिये अल्पकालिक व्यवस्था करनी पड़ी। पर अब राष्ट्र पर संकट नहीं है। ५ वर्ष का उनका समय था, १ साल बढ़ाया जा चुका है और उसके बाद राष्ट्र के संकट के नाम पर दो साल चुनाव को टालना और इस प्रकार उन ५ नगरियों में जनतंत्र की अवहेलना करना, जनता के द्वारा शासन न चलाने की बात न करना यह अपने आप में बुरा है। इस विधेयक का नाम भी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अल्पकालिक व्यवस्था है। ५ वर्ष जिनकी जिन्दगी हो, साल भर और टाली गई हो और अल्पकालिक व्यवस्था में दो, दो साल का समय लग जाय तो यह मजाक सा मालूम पड़ता है। ६ महीने के अन्दर ५ नगरों में चुनाव करा देना सरकार के लिये कोई बड़ी बात नहीं है, यदि सरकार अपने को नपुंसक न समझती हो तो ६ महीने का समय काफी है। अब तो संकट भी टल चुका है और ५ साल की जिनकी जिन्दगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुनाथ सिंह]

हो, साल भर बढ़ाई गई हो और दो साल के लिये समय टाला जाय यह अपने आप में स्वयं लजाने की बात है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन मानने के लायक है। और अगर न माना जाय तो मेरा एक संशोधन है, यद्यपि वह वैधानिक तो नहीं है, कि उसको अल्पकालिक न करके दीर्घकालिक कर दिया जाय तो वह अपनी जगह पर उचित है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को मानने में मंत्री जी को कोई हठ नहीं करनी चाहिये।

*श्रीमती तारा अग्रवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मान्य नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं इस बात को जानते है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जल्दी से जल्दी चुनाव करा देंगी और जो दो वर्ष का समय रखा गया है वह अधिकतम समय है, (व्यवधान) चुनाव की तिथियां तो घोषित ही थीं लेकिन यह क्या पता था कि आपातक लीन स्थिति उत्पन्न हो जायगी। मैं समझती हूं कि दो वर्ष का अधिकतम समय रखा गया है ज्यों ही पृष्ठ भूमि तैयार हो जायगी त्यों ही चुनाव जल्दी से जल्दी हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ की चतुर्थ पंक्ति में "दो वर्ष" के स्थान पर "६ माह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री प्रेमसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ क उप खंड (क) की द्वितीय पंक्ति से "नगर प्रमुख" निकाल दिया जाय। पहली बात तो यह है कि प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। सरकार ने महापालिकाओं को इसीलिये भंग किया है कि वहां गड़बड़ियां थीं और जनता के धन का दुरुपयोग किया गया और यह सब जनता के चुने हुये नुमाइन्दों की वजह से हुआ। तो नगर प्रमुख भी इससे बरी नहीं हो सकता और वह भी सबमें भागीदार हैं। लिहाजा सरकार उसे भी हटा दे।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है। महापालिका का गठन नगर प्रमुख, विशिष्ट सदस्यों तथा सभासदों से बनता है। उसका कार्यकाल भी केवल एक वर्ष रहता है। इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (क) की द्वितीय पंक्ति से "नगर प्रमुख निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री प्रेमसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, म प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उप खंड (ख) निकाल दिया जाय।

नगर प्रमुख जो है वह चुने हुये नुमाइन्दों के बल से आता है। नगर प्रमुख एक सरकारी कर्मचारी है जो सरकारी कार्यों को रोकने में ताकत देता है और यह प्रजातन्त्र के खिलाफ है और यह कांग्रेस के लिये कलंक की बात है। इसलिये उसे हटा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ का उप खंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रेम सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उप खंड (ग) का भाग (१) निकाल दिया जाय।

ऐडमिनिस्ट्रेटर के बारे में यह है कि सरकार अपने आदेश के द्वारा अपने अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट कर सकती है। सरकार इस अधिकार को अपने हाथ में लेना चाहती है। वह किसी समय ऐडमिनिस्ट्रेटर के अधिकार जिसको चाहे रख सकती है। इससे दुरुपयोग होगा और अधिकार के डेलीगेट करने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (ग) का भाग (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रेमसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उप खंड (ङ) को निकाल दिया जाय।

यहां सब निकाले गये हैं, अगर हमारी सरकार को भी निकाला जाय तो बेहतर है। हमने अपनी सरकार के हाथ में सब कुछ सौंपा था और यह सोचा था कि यह भारत की स्वतंत्रता को भी कायम रखेगी। इसलिये हमने उसको भी सरकार को सौंप दिया। लेकिन हमें निराशा होती है। यहां पर गला घोटा जाता है और बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। गांवों में मिट्टी का तेल तक नहीं मिलता है। इस सरकार को क्या कहें। शेर इस प्रकार है कि—

"अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में,

हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में"

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है। इस कारण से भी कि प्रशासक के ऊपर राज्य सरकार का अंकुश रहना लाजिमी है. जिससे उससे डायरेक्शन से काम कराया जा सके। इसलिये इसका रहना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (ङ) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—३

निरसन तथा अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६६

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २५ जनवरी, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो।

श्री प्रेम सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की तीसरी पंक्ति में "२५ जनवरी" के स्थान पर "३१ जनवरी" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दोनों एक साथ प्रस्तुत कर दें।

श्री प्रेमसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित उपखंड (३) जोड़ दिया जायः

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये कार्य जो नियमों के विपरीत जमीन बन्दोबस्त इत्यादि के सम्बन्ध में किये गये हैं, अवैधानिक समझा जायगा।"

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, यह जो खण्ड ३ का नम्बर (३) का संशोधन है, इस पर अपने विचार मैं प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं तो समझता हूं यह संशोधन सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये, क्योंकि हमने तथा सरकारी पक्ष के लोगों ने जितने चार्ज लगाये हैं, इससे उनको पता चल जायगा कि इसमें सच्चाई क्या है? श्रीमन्, इस संबंध में मैंने अपने यहां का भी कुछ जिक्र किया था और और हमारे यहां के जो विधायक हैं, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, उन्होंने पुरजोर उसकी मजम्मत कर दी। क्योंकि उनका चुना जाना सिंघल साहब पर निर्भर है। उनके बिना उनका चुना जाना बिलकुल अनिश्चित हो जायगा, इसलिये वह तो उनका हर तरह का समर्थन करेंगे ही। यह जो पांच नगर महापालिकाएं हैं, उसमें जो अवैध कार्य किए गए हैं, चाहे वह किसी के भी द्वारा किये गये हों उन सबको इल्लीगल करार दे दिया जाय। इससे कांग्रेस वालों को, अध्यादेश लाने वालों को बड़ी शान्ति मिलेगी। सब पर मुकदमें चलेंगे, नाजायज कार्य अवैधानिक घोषित कर दिये जायंगे। इसलिये चाहता हूं, इसको मंजूर कर लिया जाय।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

२५ जनवरी के स्थान पर ३१ जनवरी रखने की जो बात है, वह अवैधानिक है, क्योंकि यह उसी दिन से लागू हुआ है। इसलिये ३१ जनवरी को मान लिया जाये, यह असम्भव है। इस कारण मैं इसे नामंजूर करती हूं।

दूसरे नियम विरुद्ध किये गये सारे कार्यों जो अवैधानिक घोषित कर दिये जायें, उसके बारे में जैसा उप नेता जी ने भी कहा मैं यह समझती हूं कि जो अवैधानिक कार्य चुने हुये लोगों ने किये होंगे वह तो होंगे ही, लेकिन ऐसा करके उन्हें मैं कोई मान्यता नहीं देना चाहती। लेकिन जो नियम के अन्दर काम हुये हैं उनको भी अवैधानिक कार्य कहना सरकार नहीं समझती। हां, विरोधी लोग समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखंड (२) की तीसरी पंक्ति में "२५ जनवरी" के स्थान पर "३१ जनवरी" रख दिया जाय तथा

खण्ड ३ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित उप खंड (३) जोड़ दिया जाय :

"(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये कार्य जो नियमों के विपरीत जमीन बन्दोबस्त इत्यादि के सम्बन्ध में किये गये हैं, अवैधानिक समझा जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६

१ फरवरी, १९६६ को और उसी दिनांक से राज्यकी नगर महापालिकाओं के प्रशासन के लिये कुछ अस्थायी प्रबन्ध करने और उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से माननीया सभा सचिव जी जो भाषण कर रहीं थीं, उसे मैंने बड़े गौर से सुना। आज प्रजातंत्र के कुछ माने जाने सिद्धान्त हैं, जिनके अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग की जो संस्थाएं हैं, उनको कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं। अभी उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि चुनाव होंगे। मैंने जब टोका तो उन्होंने कहा कि हां, कई बार आश्वासन दिये गये थे। मैं उनको याद दिलाऊं कि जिला बोर्डों के चुनाव १८ वर्षों तक नहीं कराये गये और हमेशा आश्वासन इसी सदन में दिये गये कि जिला बोर्डों के चुनाव अगले ६ महीने में हो जायेंगे। उसके बाद अन्तरिम जिला परिषद की स्थापनायें की गयीं और उसको भी दो तीन सालों तक टाला गया। जिला परिषदों की स्थापना हुई लेकिन उसकी रूपरेखा जब सम्पूर्णानन्द जी यहां चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने अपोजीशन

[श्री ऊदल]

के लीडर्स को बुलाकर बनायी थी और इस बात को तय किया था कि चुनाव का जो प्लान बनेगा उसमें ब्लाकों में एक डाइरेक्ट चुनाव होगा और एक इन्डाइरेक्ट होगा और उसके आधार पर जिला परिषदों का गठन होगा। उसको भी इस सरकार ने बाद में नामंजूर कर दिया और पूरे जिला परिषदों का गठन इन्डाइरेक्ट तरीके से कराया। जिसका नतीजा यह हुआ कि आज जिला परिषदों की हालत बहुत खराब है। उसी तरह से आज आप यह विधेयक को पास करने जा रहे हैं।

सरकार का यह कहना है कि भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती ज्यादा नौकरों का रखना, और और तमाम तरह की गड़बड़ियां नगरमहापालिकाओं में थी। अगर यह मान भी लें कि महापालिकाओं में गड़बड़ियां थीं तो उनको दूर करने के बहुत से तरीके थे। मान्यवर, आपको यदि होगा कि माननीय चतुर्भुज शर्मा और श्रीमती तारा अग्रवाल, सभासचिव ने यहां आश्वासन दिया था कि चुनाव अप्रैल, ६५ में अवश्य हो जायगा। वह भी नहीं हुआ। माननीय चतुर्भुज शर्मा जी का बयान भी है, सभासचिव श्रीमती तारा अग्रवाल का भी बयान है कि होगा। इसके बाद जिला परिषदों के चुनाव के बारे में आप देखें, माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी ने बयान दिये जो आपके सामने मौजूद हैं। ये लोग जिला परिषदों का चुनाव कराने के लिये बीसियों बार आश्वासन दे चुके हैं। इनके वचनों का क्या विश्वास है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि चुनाव होगा। अगर इनका चुनाव कराने का विचार होता तो विधान सभा और पार्लियामेंट के चुनाव के लिये ६ महीने का विधान है कि वह हो जायगा तो इन्हें ६ महीने के अन्दर महापालिकाओं के चुनाव इनको कराना चाहिये। यह सबसे बड़ी धोखाधड़ी इस सरकार की है कि अल्पकालिक व्यवस्था के नाम पर २ वर्ष का अधिकार ले रही है और यह सबसे बड़ा कुठाराघात जनतंत्र पर है। अगर नगरपालिका के सदस्यों में भ्रष्टाचार था और उन्होंने अनियमित काम किये हैं, उन्होंने प्लाट्स अपने नाम पर ले लिये हैं, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाये गये और क्यों नहीं उनको बरखास्त कराया गया, क्या यही रास्ता था जो सरकार ने अपनाया है? असल बात यह है कि आपने पहले दो सदस्यीय क्षेत्र रखे थे और उसके मुताबिक अप्रैल में चुनाव होने वाले थे। उसके बाद सरकार ने निर्णय किया? अब एक सदस्यीय क्षेत्र होगा।

(इस समय ४ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसके बाद आपको मालूम ही है, मैंने आपसे कहा था जब श्रीमती अग्रवाल ने कहा था कि कुछ इलाकों में परिसीमन अभी बाकी है। जब मैंने पूछा और कहा कि बनारस में तो हो गया है तब उन्होंने उसको कंट्रैडिक्ट नहीं किया। अब जब कि पांचों महापालिकाओं में वोटर्स लिस्ट बन गयी और जब सरकार उस पर हजारों रुपया खर्च कर चुकी थी, उसके बाद उन चुनावों को टालना न्यायसंगत बात नहीं है। सरकार ने पूरे क्षेत्रों का खयाल करके ६० की जगह ३० क्षेत्रों का फिर से परिसीमन कराया और था ३० क्षेत्र एक सदस्यीय हो गये और चुनाव कराने की घोषणा कि वह अक्तूबर या नवम्बर मास के लिये कर दी गयी लेकिन फिर टाल मटोल होने लगी और सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि आर्डिनेंस के द्वारा महापालिकाओं को समाप्त कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम प्रजातंत्र के वसूलों के खिलाफ है। आज भी सभासचिव ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पालिकाओं, टाउन एरियाओं का चुनाव कराने के लिये आदेश दे दिये हैं, यही आपके सरकार की जहनियत है, और यही प्रजातंत्र के लिये सबसे बड़ा घातक है। इससे जनप्रतिनिधियों का सम्मान समाप्त हो गया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अपनी भूलों को सुधारे। इतने आर्डिनेंसेज गत दो तीन सालों में निकाले गये हैं जिससे सरकार की प्रतिष्ठा घटी है और यह भावना बढ़ी है कि सरकार प्रजातंत्र की जड़ पर कुठाराघाव करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने रुख को बदले, अपने निकम्मेपन के ऊपर विचार करे और अपनी आदतों को ठीक करें ताकि प्रजातंत्र की बुनियाद इस देश के अन्दर मजबूत रह सकें और ये स्वायत्त शासन संस्थायें सुचारुरूप से

चल सकें । इस बात को मैं नहीं मानता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं था । भ्रष्टाचार था । मैं इस बात को नहीं कहता कि किस सदस्य ने ज्यादा किया और किसने कम किया लेकिन जो भी किया गया उसको दूर करने के लिये बहुत से तरीके थे । सरकार को उन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिये था न कि इन संस्थाओं को खत्म करके प्रशासक के हाथ में इनको दे दिया जाय । हमारे यहां बनारस में पहले प्रशासक नियुक्त हुआ था । उसने भेलूपुरा में गरीब लोगों के मकान और जमीन ले ली और उसने बहुत सस्ते रेट पर उनकी जमीन और मकानों को लिया . . .

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब यहां बजट स्पीच पढ़ रहे हैं । क्या अभी से वह इसको पढ़ सकते हैं ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)--

आप यह क्या बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि उनकी दिव्य दृष्टि हो सकती है, मेरी नहीं ।

श्री ऊदल--

सरकार की तरफ से प्रशासक को सारे प्राधिकार दिये गये । सारा अधिकार सरकार को ही प्राप्त हो गया । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि बनारस के गरीब लोगों की जमीन और मकान ले लिये गये लेकिन उनको बहुत कम पैसा दिया गया । विजयानगरम् मारकेट बहुत कम पैसे में बना था लेकिन उसको ज्यादा दाम देकर प्रशासक ने खरीद लिया । लो इनकम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लाखों रुपया प्रशासक की तरफ से बांटा गया । उसमें बनारस दूसरे अधिकारियों का भी हाथ था । लो इनकम हाउसिंग स्कीम के लिये लाखों रुपया लोगों को दिया गया । ४२ मामलों में तीन वर्ष से सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम १४८ के अन्दर यह बातें इतनी नहीं हो सकती हैं, जितनी आप कर रहे हैं ।

श्री ऊदल--

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह अध्यादेश विधेयक का रूप ले रहा है । सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर चुनाव कराये ताकि प्रशासन में वहां पर सुधार हो सके । इन शब्दों के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

*श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय ऊदल जी ने वही आरोप लगाये हैं कि मई जून में और अक्तूबर नवम्बर, के लिये आश्वासन दिया गया था । मैंने स्वयं कहा है कि मंत्री और मुख्य मंत्री द्वारा निरन्तर यह आश्वासन दिया गया किन्तु मई जून तक किसी महापालिका में परिसीमन का कार्य समाप्त नहीं हुआ था इसलिये उनका समय बढ़ाया गया । अक्टूबर नवम्बर में चुनाव कराने के लिये तिथि घोषित हुयी थी लेकिन क्या पता था कि ऐसी आपत्कालीन परिस्थिति पैदा हो जायगी । तब भारत सरकार की यह नीति हो गई कि देश के अन्दर चुनाव स्थगित कर दिये जायं । अब जो ये चुनाव स्थगित किये गये हैं तो वह इसीलिये कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को आने का मौका दें । माननीय सदस्य वाराणसी के प्रशासक के संबंध में जो आरोप बता रहे हैं उनके लिये अलग से बताइये तो उस पर जांच होगी और कार्यवाही होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक १९६६ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†उत्तर प्रदेश विद्युत कर विधेयक, १९६६

श्री अध्यक्ष—

अभी एक मिनट बाकी है । माननीय विद्युत उपमंत्री ।

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विद्युत कर विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह एक बहुत ही छोटा सा विधेयक है । अभी तक जो विद्युत कर लिया करते थे वह २५ फीसदी था और उससे खास तौर से जहां ज्यादा रेट होता था वहां ज्यादा उनको कर देना पड़ता था, कम पर कम करना पड़ता था । अभी तक कृषि पर और उद्योगों पर यह कर नहीं था । हमें बिजली को बढ़ाने के लिये ज्यादा रुपये की आवश्यकता है. . .

श्री अध्यक्ष—

अब शेष जो कुछ है, वह कल कहियेगा ।

वित्तीय वर्ष १९६६–६७ का आय-व्ययक

(वित मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि विधान सभा की नियमावली के नियम १८४ के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि १८४ में अन्त में लिखा है "शैल बी प्रेजेंटेड टु दि असेम्बली आन सच डे ऐज दि गवर्नर में अप्वाइंट" । तो इसमें समय का जिक्र नहीं है । गवर्नर को इतना अधिकार है कि दिन निश्चित कर दे, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि समय यह ५ बजे या ६ बजे कर दे । विधान सभा के जो नियम हैं उसमें नियम १६ में है कि हमारी सिटिंग जो होंगी वह ११ से ५ बजे तक होंगी । उसके पश्चात् नहीं । तो जब तक इस सदन में कोई प्रस्ताव न लिया जाय और कोई समय न बढाया जाय तब तक यह प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ५ बज गये हैं । सभा भंग हो गई । इस समय ५ बजे के बाद कोई समय नहीं बढ़ाया गया है, इसलिये यह पेश नहीं किया जा सकता । यह आपको अधिकार था कि १५ मिनट का समय बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने उसकी भी घोषणा नहीं की । अतः इस समय बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बराबर इस बात का अधिकार है । आपने ही स्वयं यह आज्ञा वित्त मंत्री को दी कि आप सदन के सम्मुख आय-व्ययक प्रस्तुत करें । इसमें यह बात अन्तर्निहित ही है कि आपने इस नियम को जानते हुए भी उनको जब आज्ञा दे दी तो यह बात साफ हो गयी कि उनको आपने अपने अधिकार द्वारा ही नियमानुसार आज्ञा दी है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय रामायण राय जो कह रहे हैं वह ठीक है, अधिकार आपको है, लेकिन मजबूरी और बदकिस्मती यह है कि आपने अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया, यह हम क्या करें ?

---

†३ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री अध्यक्ष--

जो मुझे अधिकार है वह १५ मिनट बढ़ाने का है और मैं समय, ५ बजकर एक मिनट पर चाहूं तो बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यह तय हो चुका है। लेकिन १८४ को जिस तरह से माननीय नेकराम जी ने पढ़ा उसको प्राग्दर्शन में देखते हुए उनकी आपत्ति ठीक मालूम होती है कि "ऐसे दिन पर सभा के समक्ष रखा जायगा जो राज्यपाल नियत करें"। किन्तु यह भी है कि यदि राज्यपाल समय निश्चित कर दें तो प्रश्न यह है कि वह समय हम मानें या न मानें, यह एक सवाल आता है। जहां तक कि इस आदरणीय सदन की परम्परा है, इसके पूर्व भी हमने देखा है कि उन्होंने समय निश्चित किया और माननीय राज्यपाल के समय के निश्चयानुसार हमने बजट लिया। तो उन परम्पराओं का आधार रखते हुए, नेकराम जी, हम इसको ठीक समझते हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

कोई परम्परा उल्लिखित स्पष्ट प्रावीजन के ही लागू नहीं हो सकती। श्रीमन्, अगर गलती हुई है तो वह तोड़ी जा सकती है, उससे बिना नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप १५ मिनट का समय बढ़ाइये और फिर सदन में समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव आये तभी बजट प्रस्तुत हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

पिछली परम्पराओं का आदर करते हुए ही हमने इसे स्वीकार किया है। उसी के अनुसार परिपत्र भी परिचालित हुआ है।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

श्रीमन्, मैं वित्तीय वर्ष १९६६-६७ का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

(आय-व्ययक साहित्य बांटा गया।)

यह साल देश के लिये बड़े संकट का समय रहा है। इस वर्ष के समाप्त होने पर हमारी तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो जायंगी और हम चौथी योजना में प्रवेश करेंगे। इन १५ वर्षों में अर्थ व्यवस्था के प्रायः सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। इस अवधि में कृषि, सिंचाई और विद्युत् उद्योग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य समाज सेवाओं में बड़े पैमाने पर धन लगाया गया है। संभवतः इन योजनाओं के हम इतने निकट हैं कि उनके पूरे प्रभाव या महत्व का ठीक ठीक अन्दाज नहीं लगा सकते। परन्तु विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में एक नई गतिशीलता लाने में सफल हुए हैं। राज्य भर में--शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में--विभिन्न दिशाओं में नये-नये विकास कार्य दीख रहे हैं।

पहली पंचवर्षीय योजना, कार्य-क्षेत्र तथा आकार-प्रकार दोनों ही दृष्टियों से अपेक्षाकृत परिमित प्रयास ही थी। दूसरी योजना इससे कुछ और बड़ी तथा अधिक महत्वाकांक्षी थी। उसका लक्ष्य यह था कि उत्पादन और रोजगार को पहले से अधिक बढ़ाया जाय और अपेक्षाकृत अधिक धन लगाया जाय। राज्य के विकास के लिये अभी तक जो प्रयास किये गये हैं उन्हें देखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना इस दिशा में हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहा है। यद्यपि इस योजना के पहले दो तीन वर्षों में शुरू में हमारी प्रगति कुछ हद तक मन्द रही, लेकिन पिछले दो वर्षों में योजना व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पहले तीन वर्षों में २४३ करोड़ रुपया व्यय हुआ और यह तीसरी योजना के लिए रखे गये ४९७ करोड़ रुपये के मूल परिव्यय का लगभग ४९ प्रतिशत था। किन्तु १९६४-६५ में योजना की स्कीमों पर किया गया व्यय बढ़कर लगभग १४२ करोड़ रुपये तक पहुंच गया और चालू वर्ष में यह संभावना है कि वह बढ़कर १७० करोड़ रुपये तक पहुंच जायगा, जबकि चालू वर्ष की योजना के लिये योजना आयोग द्वारा मूलतः १५४ करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार तीसरी पंचवर्षीय

[श्री कैलाश प्रकाश]

योजना में कुल व्यय ५५५ करोड़ होगा और वह निर्धारित राशि से ५८ करोड़ रुपये अधिक होगा। इस बात को देखते हुए कि पहिली योजना में केवल १५३ करोड़ रुपये का व्यय हुआ और दूसरी योजना में २५३ करोड़ रुपये की निर्धारित धनराशि के बावजूद केवल २३३ करोड़ रुपये का व्यय हुआ, यह कोई साधारण बात नहीं है।

माननीय सदस्य उन परिस्थितियों से अवगत हैं जिनमें चौथी पंचवर्षीय योजना का बनाया जाना स्थगित कर दिया गया था। जिस समय राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना को अंतिम रूप देने में लगी हुई थी, उस समय यकायक देश को पाकिस्तान के साथ दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध में फंसना पड़ा। इसके कारण यह आवश्यक हो गया कि योजना में तुरन्त परिवर्तन करके प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय किया जाय। इस लड़ाई के कुछ परिणाम ये हुए कि बाहरी सहायता के प्रकार तथा मात्रा के संबंध में अनिश्चितता पैदा हो गयी, विदेशी मुद्रा की स्थिति बिगड़ गयी और प्रतिरक्षा तथा खाद्य उत्पादन पर और अधिक व्यय करना आवश्यक हो गया। इनके फलस्वरूप योजना की प्राथमिकताओं, आकार और रूप में मौलिक परिवर्तन करना जरूरी हो गया। अतः यह निश्चय किया गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य स्थगित कर दिया जाय और १९६६-६७ के लिये एक छोटी वार्षिक योजना तैयार की जाय। इस निश्चय के अनुसार राज्य की वार्षिक योजना के लिये केवल १३४ करोड़ रुपये का परिव्यय योजना आयोग ने स्वीकार किया।

१९६६-६७ की वार्षिक योजना का मूल उद्देश्य उन स्कीमों पर बल देना है जो कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये बनायी गयी हैं। अतः विद्युत् उत्पादन और सिंचाई, विशेष रूप से लघु सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। दूसरी ओर सामाजिक सेवाओं के लिये की गयी व्यवस्था में फिलहाल कमी करनी पड़ी, यद्यपि वे देश का सामाजिक आर्थिक ढांचा बदलने के दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार ऐसे भवनों तथा सड़कों का निर्माण कार्य भी, जिनका विकास के लिये बहुत ज्यादा महत्व न था, स्थगित करना पड़ा। स्कीमों को इस उद्देश्य से चुना गया है कि अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इस समय जितनी क्षमता तथा संभावनायें उत्पन्न हुई हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाय। जिन योजनाओं में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है उनकी संख्या भी कम से कम रखी गयी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसके बिना राज्य का विकास दुर्लभ है, उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इस राज्य की जन संख्या में वार्षिक वृद्धि की दर १९५१-६१ के १.६७ प्रतिशत की तुलना में अब २.१ प्रतिशत हो गई है।

अब मैं १९६४-६५ के लेखे, चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों और १९६६-६७ के बजट अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं।

लेखे १९६४-६५

लेखे १९६४-६५

मूल बजट में १९६४-६५ की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान क्रमशः २२३ करोड़ ८४ लाख रुपया तथा २३५ करोड़ ४३ लाख रुपया लगाया गया था। फलस्वरूप ११ करोड़ ५९ लाख रुपये का रावस्व घाटा होता था। इस घाटे को काफी हद तक कर-प्रवंचन के विरुद्ध कड़ी कारंवाई करके, बकाये की वसूली करके, व्यय में मितव्ययिता करके और साथ ही आवश्यक अतिरिक्त कर लगा कर पूरा करने का विचार था। इन सभी दिशाओं में प्रयास किये गये। परिणामस्वरूप उस वर्ष ३ करोड़ २६ लाख रुपये की बचत हुई, क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में १० करोड़ ३१ लाख रुपये की वृद्धि हुई, जब कि राजस्व व्यय में ४ करोड़ ५४ लाख रुपये की कमी हुई। राज्य के कर राजस्व में लगभग ४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, और करों से भिन्न प्राप्तियों में, जिनके अन्तर्गत ब्याज से होने वाली प्राप्तियां और वन, सिंचाई

तथा विद्युत विभागों से होने वाली प्राप्तियां भी सम्मिलित हैं, ५ करोड़ की वृद्धि के साथ-साथ, केंद्रीय करों से होने वाली प्राप्तियों में लगभग एक करोड़ रुपये की वृद्धि होने से राजस्व प्राप्तियों में कुल १० करोड़ ३१ लाख रुपये की वृद्धि हो गई। राजस्व व्यय में भी साढ़े चार करोड़ रुपये की कमी हुई जो मुख्यतया सामुदायिक विकास खंडों आदि के अन्तर्गत व्यय में १ करोड़ ७२ लाख रुपये, उद्योगों के अन्तर्गत १ करोड़ २८ लाख रुपये, ऋण सेवाओं के अन्तर्गत १ करोड़ १३ लाख रुपये की कमी होने के कारण हुई।

पुनरीक्षित अनुमान

चालू वर्ष के बजट में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान क्रमशः २४७ करोड़ ७४ लाख रुपये और २६२ करोड़ ६५ लाख रुपये लगाया गया था जिससे १४ करोड़ ९१ लाख रुपये का राजस्व घाटा होता था। पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां २५९ करोड़ ८ लाख रुपये रखी गयी हैं और राजस्व व्यय २६४ करोड़ ९७ लाख रुपये का रखा गया है। इस प्रकार राजस्व का घाटा कम होकर ५ करोड़ ८९ राख रुपया रह जायगा, जिसे राजस्व सुरक्षित निधि (रेवेन्यू रिजर्व फंड) से इतनी ही धनराशि निकाल के पूरा किया जायगा। प्राप्तियों के पुनरीक्षित अनुमानों में कुल ११ करोड़ ३४ लाख रुपये की जो वृद्धि हुई, वह मुख्यतया राज्य के कर राजस्व में ८ करोड़ रुपये की प्रत्याशित वृद्धि होने के कारण हुई है। इस वृद्धि में चालू वर्ष में लगाये गये अतिरिक्त करों से प्राप्त होने वाली लगभग ४ करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है। शेष वृद्धि, करों से भिन्न प्राप्तियों की धनराशि में होने वाली वृद्धि से मुख्यतया हुई। राजस्व व्यय के पुनरीक्षित अनुमान में २ करोड़ २ लाख रुपये की वृद्धि हुई। राज्य की योजना में सम्मिलित स्कीमों पर होने वाले राजस्व व्यय के ५४ करोड़ ४८ लाख रुपये के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान ५३ करोड़ ७४ लाख रुपये के हैं। इस प्रकार इस व्यय में ७४ लाख रुपये की कमी हुई है।

पूंजीगत व्यय के लिये मूल अनुमानों में ११६ करोड़ ६१ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें ऋण का वितरण भी सम्मिलित है। इसमें से राज्य की योजना की स्कीमों के लिये ८६ करोड़ ३३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। पुनरीक्षित अनुमानों में, ३६ करोड़ ६१ लाख रुपये की व्यवस्था रखी गयी है जिसमें राज्य की योजना की स्कीमों के लिये ११२ करोड़ २३ लाख रुपये सम्मिलित हैं।

पुनरीक्षित अनुमानों में राज्य की योजना की स्कीमों का कुल प्रत्याशित व्यय १६५ करोड़ ९७ लाख रुपये रखा गया है, जबकि मूल बजट में १४० करोड़ ८१ लाख रुपय की व्यवस्था की गयी थी।

बजट अनुमान

१९६६–६७ के लिए राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान क्रमशः २९१ करोड़ ७४ लाख रुपये तथा २९२ करोड़ ५ लाख रुपये रखा गया है। इस प्रकार ३१ लाख रुपये की थोड़ी सी कमी होती है। कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में, राज्य की योजना की स्कीमों के लिये, वित्तीय सहायता के रूप में, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान की धनराशि भी सम्मिलित है, जिसका अनुमान १२ करोड़ ८० लाख रुपये से लगाया गया है। इसी प्रकार व्यय के अनुमानों में योजना की स्कीमों पर राजस्व व्यय के लिए ३४ करोड़ ३६ लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है। अतः योजना के राजस्व व्यय में राज्य का अपना हिस्सा २१ करोड़ ५६ लाख रुपये होता है। योजना से भिन्न व्यय को पूरा करने के बाद राजस्व प्राप्तियों से २१ करोड़ २५ लाख रुपये की धनराशि के रह जाने की संभावना है, जो योजना व्यय के लिये उपलब्ध होगी। इससे योजना के व्यय में राज्य का अपना हिस्सा बहुत हद तक पूरा हो जायेगा और शुद्ध राजस्व घाटा केवल ३१ लाख रुपये रह जाएगा।

पूंजी व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों और अग्रिमों के वितरण के लिये ११७ करोड़

[श्री कैलाश प्रकाश]

रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य की योजना की स्कीमों के लिये लगभग १०० करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है।

योजना का पूंजीगत व्यय करने के लिये बजट वर्ष में १० करोड़ ५० लाख रुपये का ऋण बाजार से लेने का प्रस्ताव है।

खाद्य स्थिति

पिछले साल बजट पेश करते समय मैंने यह आशा व्यक्त की थी कि १९६४-६५ के दौरान खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी और उससे १९६५-६६ में हालत सुधर जायेगी। फसलों के बारे में हमारी आशायें बिलकुल ठीक निकलीं और १९६४-६५ में खाद्यान्न उत्पादन १४९.८५ लाख टन हुआ जितना कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी अच्छी फसल होने पर सामान्यतया मूल्यों में काफी कमी हो जानी चाहिये थी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। १९६५-६६ के पहले ९ महीनों में खाद्यान्नों के थोक मूल्यों का औसत सूचकांक १८४.७ था जबकि १९६४-६५ में यह सूचकांक १७४.५ था। सितम्बर, १९६५ से गेहूं के मूल्य पिछले साल के मुकाबले कम रहे हैं लेकिन चावल के मूल्य १९६५-६६ की सम्पूर्ण अवधि में पहले से काफी अधिक रहे हैं। चना और जौ के मूल्य १९६५-६६ के उत्तरार्ध में पहले से कम थे, लेकिन मक्का, ज्वार तथा बाजरा के मूल्य पिछले साल की तुलना में अधिक थे। ऐसा संभवतया इसलिये हुआ कि खरीफ के मौसम में इतना अधिक सूखा पड़ा जैसा कि याद नहीं पड़ता कि कभी पहले पड़ा हो। अनुमान किया जाता है कि १९६५-६६ में खरीफ का उत्पादन केवल लगभग ४८.६२ लाख टन होगा, जब कि पिछले साल यह ५९.४२ लाख टन हुआ था। एक तरफ तो खरीफ की फसल मारी गयी और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ गयी। इसका न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर अत्यधिक भार पड़ा, बल्कि इसके फलस्वरूप विदेशों से खाद्यान्नों के आयात के बारे में भी स्थिति अनिश्चित हो गयी जिसका भी मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अभी हाल ही में अमेरिका के खाद्यान्न मंगाने के संबंध में जो समझौता हुआ है उसके फलस्वरूप कीमतें गिरने लगी हैं। कानपुर में भी श्रमिक वर्ग के रहन-सहन के व्यय के सूचकांक में गत दिसम्बर में १६ अंकों की कमी हुई और वह १९६४ में स्तर पर पहुंच गया। औद्योगिक मूल्य सूचकांक लगभग वैसा ही रहा जैसा कि पिछले वर्ष था, यद्यपि उसमें थोड़ी सी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। मौजूदा रबी में भी मौसम, हाल की दो एक दिन में हुई बूंदा बांदी के अलावा, बहुत सूखा रहा और फिलहाल बहुत अच्छी फसल होने के कोई आसार नहीं प्रतीत होते।

इस प्रकार चालू वर्ष खाद्यान्न की दृष्टि से परेशानी व चिन्ता का वर्ष रहा है। इसीलिये खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो अतिरिक्त धन लगाया जा रहा है उससे मुझे पूरी आशा है कि स्थिति सुधार जायगी। किन्तु अब तक जितना काम हुआ है केवल उसी पर संतोष नहीं किया जा सकता। आगामी वर्ष में भी कृषि उत्पादन बढ़ाना हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा।

वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि उपलब्ध खाद्यान्नों का समान वितरण करने के लिये अधिक कारगर उपाय अपनाये जायें ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुसीबत से बचाया जा सके। इसके लिये पहले से भी कुछ उपाय किये गये हैं जैसे सस्ते गल्ले की दूकानें चलायी गयी हैं, होर्डिंग रोकने के लिये नियम बनाये गये हैं और खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इनके अलावा अब कानपुर में १६ फरवरी से पूर्ण राशनिंग लागू करने का प्रस्ताव है। ३ लाख या उससे अधिक जन-संख्या वाले छः अन्य शहरों में भी कानूनी राशनिंग टालू करने का प्रश्न भी विचाराधीन है। राशनिंग के साथ-साथ भोजन की बरबादी रोकने और खाद्यान्नों के उपभोग में कमी करने के लिए भी प्रयास किये गये हैं।

कृषि

यदि हमें बाहर से खाद्यान्न उपलब्ध न होता तो राज्य की खाद्यान्न स्थिति काफी अधिक कठिन हो जाती। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को खाद्यान्नों की आवश्यकता

के लिए दूसरों पर इतना अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए चौथी योजना की अवधि में खाद्यान्नों के संबंध में पूर्णरूप से आत्मनिर्भर हो जाने का लक्ष्य हम ने अपने सामने रक्खा है। हमें अपने खेतों में शीघ्र से शीघ्र और अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के सभी साधनों को जुटा कर हर सम्भव प्रयत्न करना है। वर्तमान कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिये कदम उठाये जा चुके हैं। गेहूं तथा चावल के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि हो सके इसके लिये १५ जिलों में पिछले साल क्रैश कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का और प्रसार किया गया है। गेहूं के लिये क्रैश कार्यक्रम एक और जिले में शुरू किया गया है और इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान जिलों में २४ नये ब्लाकों में चावल की और ४० नये ब्लाकों में गेहूं की पैदावार बढ़ाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। लघु सिंचाई के कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिये भी अधिक से अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं। सब्जियों की काश्त पर बहुत बल दिया जा रहा है विशेषकर आलू के उत्पादन आशा है चालू रबी की फसल में ७६,००० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में आलू तथा ६०,००० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सब्जियां उगायी जायेंगी। पांच बड़े शहरों में के निकट क्रैश सब्जी कार्यक्रम को चलाया गया है और आगामी वर्ष में यह योजना २२ और शहरों में चालू की जायगी। दोहरी फसल के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिये भी प्रयास किया गया है और आशा है कि रबी के मौसम दौरान १८.६६ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में दोहरी फसल होगी। पशुपालन क्षेत्र में अन्य सहायक खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये क्रैश कार्यक्रम शुरू किये गये। कुक्कुट योजना में काफी प्रगति हुई है। आशा है कि इस वर्ष एक दिन आयु के तीन लाख से अधिक मुर्गी के बच्चों का वितरण होगा, जब कि १९६१-६२ में केवल ३२,००० बच्चे वितरित किये गये थे। सुअरों के प्रजनन केन्द्रों का भी प्रसार किया गया और यह कार्यक्रम २६ ब्लाकों में चालू कर दिया गया है। १९६६-६७ के दौरान ४३ करोड़ ६६ लाख रुपये का परिव्यय कृषि क्षेत्र के लिये स्वीकृत किया गया है, जिसमें सहकारिता तथा सामुदायिक विकास कार्य भी सम्मिलित है। अगले साल १०.९२ लाख टन अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य है। इस बात को और पर्याप्त धन दिया जायगा कि स्थानीय खाद साधनों, विशेषकर हरी खाद का विकास किया जाय। कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी जैसे दोहरी फसल उगाना, नाशकीटों पर नियंत्र रखना आदि को तेजी से बढ़ाया जायगा और वर्तमान सिंचाई साधनों की पूरा उपयोग करने और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जायगा। सिंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं और धान की ऐसी किस्में बोई जायेंगी जिनसे पैदावार बढ़ सके और उर्वरकों (फर्टीलाइजर्स) का जिन पर अच्छा असर पड़े। यह भी प्रस्ताव है कि विवेकानन्द लेबोरेटरी, अल्मोड़ा के डाइरेक्टर की देख-रेख में पांच चुने हुए केन्द्रों में पैदावार बढ़ाने वाले हाइब्रिड बीजों का उत्पादन किया जायगा। आगामी वर्ष में सघन क्षेत्र वाले जिलों के ५० नये ब्लाकों में गेहूं तथा धान की सघन खेती का विस्तार किया जायगा। भूमि जांचने वाले कर्मचारिवर्ग की संख्या बढ़ायी जायगी जिससे कि लगभग डेढ़ लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण इस दृष्टि से किया जा सके कि किसान अपनी भूमि की आवश्यकताओं के अनुसार खादों का उपयोग कर सकें।

लघु सिंचाई

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये सिंचाई का कितना अधिक महत्व है। छोटी सिंचाई योजनाओं को जिनसे शीघ्र ही अच्छे परिणाम निकलते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में लगभग १८ करोड़ रुपये की धनराशि छोटी सिंचाई योजनाओं में लगायी जायगी जिसमें ६ करोड़ ५० लाख रुपये की धनराशि नलकूपों के लिये है। उम्मीद है कि इस साल लगभग ५०० नलकूप बन कर तैयार हो जायेंगे और इस वर्ष लगभग ७०,००० पक्के कुयें बन जाने की आशा है जब कि योजना के शुरू के चार वर्षों में केवल लगभग १,४६,००० पक्के कुयें बनाये जा सके थे। इसी प्रकार इस साल ४०,००० कुयें गलाये जाने की संभावना है, जब कि शुरू के चार वर्षों में केवल ६७,००० कुयें गलाये गये था। बीस हजार पम्पिंग सेट तथा प्राइवेट नलकूप लगाये जाने की संभावना है जब कि पहले चार वर्षों में केवल २४,००० पम्पिग सेट तथा प्राइवेट नलकूप लगाये गये थे।

[श्री कैलाश प्रकाश]

इससे स्पष्ट है कि चालू वर्ष में छोटी सिंचाई योजनाओं के विकास के लिये कितना अधिक कार्य किया गया है। विशेषकर, कुआं गलाने की सुविधाओं को बड़ी तेजी से बढ़ाया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि आगामी वर्ष में केवल विभाग द्वारा ही लगभग ५०,००० कुएं गलाये जा सकेंगे। कुल मिला कर तीसरी पंचवर्षीय योजना में निजी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये १२ करोड़ ६० लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी। इसकी तुलना में ३३ करोड़ १० लाख रुपये तक व्यय किये जाने का अनुमान है। इसके फलस्वरूप सिंचाई की क्षमता में लगभग तेइस लाख एकड़ की वृद्धि होगी, जिसमें से आठ लाख एकड़ सिंचाई क्षमता की वृद्धि केवल १९६५-६६ में होगी। नलकूपों को सुधारने के भी प्रयास किये गये हैं, जिससे वे और अच्छी तरह चल सकें। नलकूपों का एक अलग निदेशालय (डाइरेक्ट्रेट) बनाया गया है और गूलों आदि की विशेष मरम्मत के लिए हाल ही में ३० लाख रुपये की एक धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि १९६५ के दौरान नलकूप लगभग १९० लाख घंटे चालू रहे, जबकि इसी अवधि में पिछले साल वे लगभग १२० लाख घंटे तक ही चालू थे। सिंचित क्षेत्र भी १५ लाख एकड़ से बढ़कर २० लाख एकड़ हो गया। आगामी वर्ष के लिये हमने १७ करोड़ ३० लाख रुपये की व्यवस्था निजी छोटी सिंचाई की स्कीमों के लिये और ३ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था राजकीय नलकूपों के लिये की है। आशा की जाती है कि अगले साल निजी छोटी सिंचाई की स्कीमों के द्वारा ११ लाख एकड़ भूमि सिंचाई योग्य बनाई जा सकेगी और राजकीय नलकूपों से सिंचित भूमि भी में १ लाख एकड़ की वृद्धि की जा सकेगी। ये सभी प्रयास चौथी योजना की अवधि तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये आधार बनेंगे, ऐसी आशा है।

बड़ी और मध्यम सिंचाई

तृतीय योजना के दौरान सिंचाई के अन्तर्गत संभावित व्यय लगभग ५६ करोड़ ५० लाख रुपये होगा। लगभग ८८ लाख ६० हजार एकड़ भूमि इस प्रकार योजना के अन्त तक सिंचाई योग्य बनाई जा सकेगी। तीसरी योजना में कुल ९ लाख ४९ हजार एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई होनी थी जिसके विपरीत ११ लाख ६३ हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हुई। दो बड़ी योजनायें जिन पर काम चल रहा है, रामगंगा और गंडक नहर की योजनायें हैं। मध्यम सिंचाई योजनाओं में, जिन पर काम चल रहा है, और जलाशय, तुमरिया वितरण जलाशय पीली जलाशय, मेजा बांध, आमनी बांध, बरवा बांध, चन्द्रावल बांध और नरौरा वीयर का पुनर्निर्माण कुछ महत्वपूर्ण योजनायें हैं। अगले वर्ष के लिये बड़ी और माध्यम सिंचाई के निमित्त १४ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और १ लाख १९ हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई का प्रबन्ध हो जाने की आशा है।

बिजली

विकास की प्रगति के लिये बिजली बहुत बड़ा साधन है। औद्योगिक तथा कृषि विकास दोनों के लिये बिजली अनिवार्य है। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता होती है कि राज्य ने तीसरी योजना में बिजली के उत्पादन में अत्यधिक प्रगति की है। चालू वर्ष के अन्त में बिजली कार्यक्रमों पर १५९ करोड़ रुपये व्यय होगा और अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में ५९० मेगावाट की वृद्धि होगी जिसमें रिहन्द की ३०० मेगावाट की वृद्धि भी सम्मिलित है। चालू वित्तीय वर्ष में ही, यमुना विद्युत् प्रायोजना प्रथम चरण में दो मशीनें, जिनमें से प्रत्येक २८.२५ मेगावाट की हैं, मुरादाबाद में १२.५ मेगावाट का एक गैस टर्बाइन तथा माताटीला प्रायोजना में दस-दस मेगावाट की तीन मशीनें चालू की गई हैं। रिहन्द में ५० मेगावाट की छठी मशीन के मार्च, १९६६ के अन्त तक चालू हो जाने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में कार्य की गति बढ़ा दी गई है जिसके फलस्वरूप अगले वर्ष की उत्पादन क्षमता में शायद ३०९.६५ मेगावाट की वृद्धि हो जायगी। इसमें हरदुआगंज में १०० मेगावाट, ओबरा में १५० मेगावाट, यमुना घाटी में २८.२५ मेगावाट तथा पनकी में ३१.४० मेगावाट की उत्पादन क्षमता सम्मिलित है।

प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा

तीव्र गति से विकास करने के लिये उन्नत टेक्नोलाजी परमावश्यक है। अतः प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। तीसरी योजना में सहारनपुर में एक पेपर टेक्नोलाजी स्कूल तथा गोरखपुर और इलाहाबाद में एक-एक नये इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये गये हैं, सात पालीटेक्निक और ३४ इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले गये हैं तथा अन्य कालेजों का विस्तार किया गया है। जबकि दूसरी योजना के अन्त में डिप्लोमा स्तर पर केवल २,८९० छात्र भरती हो सकते थे, तीसरी योजना के अन्त में भरती किये जा सकने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर ४,५५० हो गई है। दूसरी योजना के अन्त में डिग्री स्तर पर भरती होने वाले छात्रों की संख्या ४९४ थी जो कि तीसरी योजना के अन्त में बढ़कर १,१०५ हो गई है। अगले वर्ष में प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा के लिये २३१ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रुद्रपुर में एंत मेमोरियल इंजीनियरिंग कालेज खोला जायगा तथा वर्तमान इंजीनियरिंग संस्थाओं में छात्रों की भरती की संख्या में और वृद्धि की जायगी।

उद्योग

अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन लाने और उसका तेजी से विकास करने के लिये औद्योगीकरण परमावश्यक है। इस कार्य के लिये पर्याप्त विद्युत् सप्लाई, कच्चे माल तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। विद्युत् उत्पादन में असाधारण वृद्धि होने, औद्योगिक क्षेत्रों के स्थापित किये जाने तथा उत्तर प्रदेश वित्त निगम और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम द्वारा दी जाने वाली ऋण की सुविधाओं के औद्योगीकरण से लिये अनुकूल वातावरण बन गया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य में अब बहुत से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट स्थापित कर दिये हैं जिनमें से कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जैसे रानीपुर (हरद्वार) का भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स, ऋषीकेश का ऐंटीबायोटिक्स प्लान्ट, गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट तथा वाराणसी का डीजिल लोकोमोटिव वर्क्स। हैवी स्ट्रक्चरल्स फैक्ट्री, रेलवे स्टील कास्टिंग फैक्ट्री, रेलवे वैगन बिल्डिंग फैक्ट्री तथा हैवी ड्यूटी पम्प और कम्प्रेसर्स फैक्ट्री के संबंध में भी, जो कि सभी इलाहाबाद में स्थापित होंगी, काम शुरू हो गया है। आगरा में एक ऐक्सेलिरेटेड फ्रीज मीट फैक्ट्री स्थापित की जा रही है और ३० करोड़ रुपये की लागत से कानपुर में प्राइवेट सेक्टर में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है। इन यूनिटों से स्थानीय लोगों को काम मिलेगा और साथ ही उनसे और भी बहुत सी सहायक यूनिटें स्थापित करने के अवसर उपलब्ध हो जायेंगे और सभी जगह औद्योगिक केन्द्रों का जाल बिछाने में मदद मिलेगी। आगामी वर्ष के दौरान बड़े उद्योगों के लिये ४२१ लाख रुपये तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिये २०० लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। डल्ला में स्थापित होने वाली दूसरी सीमेंट फैक्ट्री के कार्य में भी आगामी वर्ष में काफी प्रगति होने की आशा है।

सड़कें

तीसरी योजना में, सड़क निर्माण के संबंध में, १,६०१ मील लम्बी नयी सड़कें बनाने तथा ९४२ मील लम्बी मौजूदा सड़कों में सुधार करने अथवा उन को फिर से बनाने का लक्ष्य रक्खा गया था। इसकी तुलना में १,४७५ मील लम्बी नई सड़कों के बनाये जाने तथा १,५४७ मील लम्बी मौजूदा सड़कों को फिर से बनाये जाने अथवा उनमें सुधार किये जाने की संभावना है। तीसरी योजना के दौरान लगभग ७८ पुल बन कर तैयार हो जायेंगे। पार्श्व सड़क (लेटरल रोड प्रोजेक्ट) के संबंध में भी जो बरेली से आसाम के अमीनगांव तक जायगी और जिसका निर्माण भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, प्रगति संतोषजनक है। अगले वर्ष के लिये सड़कों के निमित्त ६ करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसका अधिकतर उपयोग तीसरी योजना के अधूरे निर्माण-कार्यों को पूरा करने के लिए किया जायगा। यह आशा है कि १९६६-६७ में २१० मील लम्बी नयी सड़कों का निर्माण होगा, ४६० मील लम्बी वर्तमान सड़कों का फिर से निर्माण तथा सुधार होगा और १६ पुल बनाए जायेंगे।

[श्री कैलाश प्रकाश]

शिक्षा

प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के हमारे प्रयासों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। ६ से ११ वर्ष की आयुवर्ग की जनसंख्या के ६३.१५ प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में हम ७८.२४ प्रतिशत छात्र भरती कर सकते हैं। १९६४-६५ के अन्त में लड़कों के सम्बन्ध में यह प्रतिशत ८५ था और दिसम्बर, १९६५ के अन्त तक यह बढ़कर ९८.७ हो गया। लड़कियों के सम्बन्ध में भी इस प्रतिशत में संतोषप्रद वृद्धि हुई है जो दिसम्बर, १९६५ के अन्त तक ३८ से बढ़ कर ५५.४ हो गया। ११ से १४ वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों की संख्या २२.०४ प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में अब २३.३५ प्रतिशत है। अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को भी काफी बढ़ा दिया गया है। १९६६-६७ के वर्ष में कृषि, बिजली और सिंचाई के क्षेत्रों को उच्चतर प्राथमिकता दिये जाने के कारण शिक्षा के प्रसार के लिये केवल २७५ लाख रुपये की ही धनराशि स्वीकृत की जा सकती है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिये तीसरी योजना का परिव्यय ३८ करोड़ ८८ लाख रुपये था। यह आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक राज्य के समस्त ८७५ विकास खंडों में एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो जायगा। काफी संख्या एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय भी खोले गये हैं। संक्रामक रोगों के नियंत्रण पर विशेष रूप से जोर दिया गया है और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने काफी अच्छी प्रगति की है। इस वर्ष के अन्त तक ६७ यूनिटों में से लगभग ४८ यूनिटें मेनटेनेन्स की अवस्था तक पहुंच चुकी होंगी। स्वास्थ्य तथा पानी की सप्लाई के कार्यक्रमों का परिव्यय १९६६-६७ में ५९४ लाख रुपये होगा। यह आशा है कि मेरठ का मेडिकल कालेज अगले वर्ष से कार्य करने लगेगा और झांसी तथा गोरखपुर में मेडिकल कालेज के भवनों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

वित्त आयोग

बजट वर्ष के लिए, केन्द्रीय करों का अंश तथा सांविधिक सहायक अनुदानों से होने वाली प्राप्तियों के अनुमान, चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किए गए हैं। हमने वित्त आयोग को यह सुझाव दिया था कि चूंकि कारपोरेशन कर तथा आय-कर पर अधिभार (सरचार्ज) से होने वाली सम्पूर्ण आय को एक-मात्र भारत सरकार ही अपने पास रख लेती है इसलिए आय-कर की विभाज्य राशि (डिविजिबुल पूल), जिसमें राज्य को हिस्सा मिलता है, वर्तमान ६६ २/३ प्रतिशत बढ़ा कर ९० प्रतिशत कर दी जाय। चौथे वित्त आयोग ने विभाज्य राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए केवल ७५ प्रतिशत ही विभाजन के लिए नियत कर दिया है। जहां तक उक्त राशि को राज्यों में वितरित करने के सिद्धांत का सवाल है, हमने यह सुझाव दिया था कि इसे केवल जन-संख्या के आधार पर ही निश्चित किया जाना चाहिए और यही किसी राज्य की आवश्यकताओं को ठीक तरह मालूम करने के लिए सबसे अच्छा मापदन्ड हो सकता है। किन्तु धनराशि निर्दिष्ट करने का आधार आयोग ने ८० प्रतिशत जन-संख्या और २० प्रतिशत वसूली रखा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के लिए विभाज्य राशि का प्रतिशत १४.६० नियत किया गया है, जब कि तीसरी वित्त आयोग द्वारा प्रतिशत १४.४२ नियत किया गया था। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बेसिक) के बारे में हमने यह सुझाव दिया था कि समस्त वस्तुओं पर लगाए हुए शुल्कों से किसी एक वर्ष में जो आय हो उसमें सभी राज्यों को हिस्सा दिया जाय और विभाज्य राशि ऐसी आय की कम से कम २५ प्रतिशत होनी चाहिए। साथ ही में यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्यों में उसका वितरण केवल जन संख्या के आधार पर ही किया जाय। चौथा वित्त आयोग इस बात से सहमत हो गया है कि प्रत्येक वर्ष में जिन वस्तुओं पर संघ द्वारा उत्पादन शुल्क लगाया और वसूल किया जाय और उससे जो आय हो उसमें विनियामक शुल्कों (रेगूलेटरी ड्यूटीज) और विशेष प्रयोजनों क लिए रखे गए

विशेष उत्पादन-करों तथा शुल्कों और उपकरों को छोड़ कर, शेष में से राज्यों को हिस्सा दिया जाय। यह विभाज्य राशि २० प्रतिशत नियत की गयी है। प्रत्येक राज्य के हिस्से को निश्चित करने में आयोग ने दो सिद्धान्त माने हैं—पहिला जन-संख्या का, जिसके लिए ८० प्रतिशत का आधार रखा गया है और दूसरा आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ापन का, जिसके लिये शेष २० प्रतिशत का आधार रखा गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के लिए नियत किया गया प्रतिशत १४.९८ आता है, जब कि तीसरे वित्त आयोग ने १०.६८ प्रतिशत नियत किया था। इस समय संघीय उत्पादन शुल्क (यूनियन एक्साईस ड्यूटीज) राजस्व के सब से अधिक प्रबल साधन हैं और आयोग की यह सिफारिश राज्य को इस साधन से अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा मिलने में सहायक सिद्ध होगी। चौथे वित्त आयोग ने राज्यों में अन्य करों तथा शुल्कों, जैसे सम्पदा शुल्क, रेल-भाड़े के कर के बदले अनुदान तथा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के वितरण के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की हैं उनसे वर्तमान स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा।

आयोग ने अनुमान लगाया है कि करों के बांटने के सम्बन्ध में की गयी उनकी सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य सरकार को १९६६-७१ की अवधि में ३२३ करोड़ ७७ लाख रुपये की धनराशि मिलने की सम्भावना है। चूंकि यह धनराशि निर्दिष्ट व्यय (कमिटेड एक्सपेंडीचर) को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि से कम थी, इसीलिए राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन ९ करोड़ ८५ लाख रुपए का वार्षिक अनुदान दिया गया। यद्यपि चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य को १९६६-७१ में कुल ३७३ करोड़ २ लाख रुपया मिलने की सम्भावना है, फिर भी यह धनराशि हमारे निर्दिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए काफी न होगी और अगली योजना के लिए कोई धनराशि न रह सकेगी। किन्तु आयोग ने एक सामान्य सिफारिश यह की है कि जहां कहीं और जब कभी आवश्यक हो, अप्रत्याशित भावी आवश्यकताओं पर विचार करने तथा केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई उचित प्रक्रिया निकाली जाय। आशा है कि भारत सरकार इस सुझाव पर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

योजना के लिये साधन

१९६६-६७ की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में केवल ७९ करोड़ ५० लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गयी है, जो कि १३४ करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय का लगभग ६० प्रतिशत है, जबकि समग्ररूप से तीसरी योजना के लिए लगभग ७० प्रतिशत धनराशि की सहायता निर्धारित की गयी थी। सम्भवतः प्रतिरक्षा पर और अधिक धनराशि व्यय करने और विदेशी सहायता के सम्बन्ध में अनिश्चित स्थिति होने से केन्द्रीय सहायता में कमी हुई है। मुझे पूरी आशा है कि जब भारत सरकार का प्रतिरक्षा सम्बन्धी दायित्व कम हो जायगा तो समग्र रूप से पूरी चौथी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अनुपात में वृद्धि हो जायगी। यदि चालू वर्ष में अतिरिक्त साधन न जुटाए गए होते और बचत न की गयी होती तो १९६६-६७ के वार्षिक योजना परिव्यय तथा १९६४-६५ में करों के आधार पर उपलब्ध साधनों के बीच काफी अन्तर होता। हम बचत करने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रहे हैं। लगभग ४ करोड ५० लाख रुपये की बचत करने के प्रस्ताव स्वीकार किए जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है जिनके फलस्वरूप ३ करोड़ रुपए की बचत होने की सम्भावना है। बचत प्रस्तावों के परिणामस्वरूप छटनी किए जाने वाले कर्मचारियों के कष्टों का हमें ध्यान है। इसलिए हम उनकी तत्काल छटनी न कर के उन्हें नयी जगहों पर यथासम्भव रखने की नीति पर चल रहे हैं। यह हो सकता है कि इसके कारण बचत करने के लिए हमने जो उपाय किए हैं उनका पूरा-पूरा प्रभाव शीघ्र न दीख पड़े फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण से तथा रोजगार की स्थिति को देखते हुए यह एक उपयुक्त मार्ग प्रतीत होता है।

हम सरकारी देयों (ड्यूज) के बकाये की शीघ्र वसूली के लिये भी प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में भी कुछ सुधार हुआ है। अप्रैल से लेकर दिसम्बर, १९६५ की अवधि में

[श्री कैलाश प्रकाश]

भू-राजस्व के बकाय के रूप में वसूल किये जाने योग्य रकम की वसूली का प्रतिशत ४२.३ है, जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्रतिशत ३२.५ था।

जिन अन्य साधनों से राज्य सरकार धन प्राप्त कर सकती है वे मुख्य रूप से हैं—— बाजार से ऋण लेना और अल्प बचतों से धन एकत्र करना। लेकिन बाजार से ऋण लेने की सीमाएं हैं। इसलिए हमें अल्प बचतों पर ही अधिकाधिक निर्भर रहना है। इनसे लोगों की क्रय शक्ति भी घटती है जिससे मुद्रा-स्फीति में कमी आती है और अर्थ-व्यवस्था पर उसका हितकर प्रभाव पड़ता है। सुखद भविष्य का निर्माण करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी की जावे चाहे इससे हमें थोड़ा सा कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। विकास के लिए त्याग की जरूरत है और लोकतांत्रिक योजना का सार यही है कि त्याग सब को बराबर करना पड़े और वह स्वेच्छापूर्वक तथा तत्परता से किया जाय। मैं राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का आह्वाहन करना चाहता हूं कि वह अल्प बचत योजनाओं में अधिक से अधिक सहयोग दें और धन लगाएं।

मैं यह फिर दोहराना चाहूंगा कि इन योजनाओं में बड़ी मात्रा में धन लगाये जाने के फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था का काफी विकास हुआ है, जैसा कि कई क्षेत्रों में बढ़ी हुई आमदनी और रोजगार से प्रकट होता है। साथ ही साथ वस्तुओं के मिलने में कमी तथा कीमतें ऊंची होने, एवं प्रकृति के कोप के कारण कृषि उत्पादन में कमी की वजह से समय-समय पर अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। ऐसी अस्थायी मुसीबतों का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ हो सकता है। हमने जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने और आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था का निर्माण तीव्र गति से करने का कठिन भार अपने ऊपर लिया है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली से योजनानुसार यह कार्य कर रहे हैं, जिसमें सब का सहयोग वांछनीय है।

इसके पूर्व कि अपना भाषण समाप्त करूं मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री भोला नाथ माहेश्वरी को हृदय से धन्यवाद दूं। इन्होंने बजट के बनाने और तैयार करने में मेरी बड़ी सहायता की है। उनकी योग्यता एवं कार्यकुशलता से बजट पेश करने में बहुत सुविधा हुई। साथ-साथ विशेष वित्त सचिव, श्री मणि लाल दवे, संयुक्त सचिव श्री सुन्दर प्रकाश वातल, उपसचिव श्री नरेशचन्द्र राय, श्री विनोद कुमार दीक्षित, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री गणेश शंकर चौधरी तथा श्री नीतीन मजमूदार को मैं धन्यवाद देता हूं। इनके अतिरिक्त वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बजट बनाने में मदद की। मैं भाषा विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़े परिश्रम से बजट साहित्य बनाने में मदद दी। अन्त में गवर्नमेन्ट प्रेस के सुपरिंटेंडेंट, श्री जे० डब्ल्यू० हाल्ज तथा ज्वाइन्ट सुपरिन्टेंन्डेंट, श्री सदन लाल गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का मैं आभारी हूं जिन्होंने सारे बजट साहित्य को बड़ी कुशलता से एवं सतर्कता से छापकर उसे प्रस्तुत करने में योगदान दिया।

महोदय, मैं १९६६–६७ का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष——

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१४ फरवरी, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१० पर)

विवरण

दिनांक ३-२-१९६६ को वादी की सिकन्दर हयात खां ने थाना केसरबाग, लखनऊ पर रिपोर्ट अंकित कराई कि दिनांक २/३-२-१९६६ की रात्रि में लगभग साढ़े नौ बजे जयहिन्द सिनेमा के निकट दो सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसकी जेब से उसके रूमाल में लिपटी हुई दो सोने की बालियां धमकी देकर ले ली तथा उस को लिबर्टी सिनेमा के साइकिल स्टेन्ड के पास ले गये और साइकिल स्टैन्ड के कर्मचारी को गालियां दे कर कहा कि यदि वह उसे ५० रुपया एक घन्टे के भीतर दे जाय तो बालियां लौटा दी जायं। वादी ने यह भी बताया कि वह उक्त दोनों सिपाहियों को और अपने सामान को देख कर पहचान सकेगा।

सूचना होते ही धारा ३९२।४११।१२०-बी भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक अभियोग अंकित किया गया। एक सब इन्सपेक्टर को साइकिल स्टैन्ड कर्मचारी की तलाशी तथा उक्त सामान की खोज के हेतु तुरन्त भेजा गया। साइकिल स्टेन्ड के कर्मचारी साबिर ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि सामान (रूमाल तथा बालियां) उक्त कान्सटेबुलों ने रात्रि में ही उससे वापस ले लिया उसी समय चौकी चाइना गेट पर उक्त सब इन्सपेक्टर ने तलाशी ली तो कान्सटेबुल राम अधार सिंह के पास से उक्त सामान ठीक दशा में प्राप्त हो गया। साबिर और कान्सटेबुल रामअधार सिंह तथा कान्सटेबुल शिवप्रसादसिंह को बन्दी बनाया गया।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९–२० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२२ पर)

आंकड़े (मेट्रिक टनों में)

१९—विदेशी गेहूं के प्राप्ति का विवरण

सितम्बर, १९६५	५७,२२५
अक्टूबर, १९६५	६५,७६७
नवम्बर, १९६५	५४,६३२
दिसम्बर, १९६५	५७,४३०

टिप्पणी—पिछले महीनों का बकाया, जो इन महीनों में प्राप्ति हुआ, उपरोक्त आंकड़ों में सम्मिलित हैं।

२०—केन्द्र द्वारा प्रदेश को विदेशी गेहूं एलाट किये जाने का विवरण—

सितम्बर, १९६५	६०,०००
अक्टूबर, १९६५	५५,७२९
नवम्बर, १९६५	५३,४८०
दिसम्बर, १९६५	५५,४९५

पी० एस० यू० पी—ए० पी० २१० एल० ए०—१९६६—७६२।